पंचम माला, खण्ड 60, अंक 27, मंगलवार, 27 अप्रैल, 1976/7 वैशाख 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LX, No. 27, Tuesday, April 27, 1976/Vaisakha 7, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

[खण्ड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : **Two Rupees**

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

8 LSS/76 — 1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27, मंगलवार, 27 अप्रैल, 1976/7 वैशाख, 1898 (शक)

No. 27, Tuesday, April 27, 1976/Vaisakha 7, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 542, 544 से 547, 550, 551, 553, 563, 554 और 559	Starred Questions Nos. 542, 544 to 547, 550, 551, 553, 563, 554 and 559 .	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न सख्या 543, 548, 549, 552 से 558, 560 से 562, 564 और 565	Starred Questions Nos. 543, 548, 549, 552 to 558, 560 to 562, 564 and 565	19—25
अतारांकित प्रश्न सख्या 2596 से 2609, 2611 से 2710, 2712 से 2724 और 2726	Unstarred Questions Nos. 2569 to 2609, 2611 to 2710, 2712 to 2724 and 2726	25—84
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	84
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee— . .	
212वां, 213वां और 217वां प्रतिवेदन	Two Hundred and Twelth, Two Hundred and Thirteenth and Two Hundred and Seventeenth Reports . . .	84
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee. . . .	84
98वां और 95वां प्रतिवेदन	Ninety-eighth and Ninety Fifth Reports	
दिल्ली के तुर्कमान क्षेत्र में 19 अप्रैल, 1976 को हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Incidents in Turkman Gate area, Delhi on 19-4-76 . .	85
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin .	
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77 . .	86
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture .	

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	86
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S .L. Saxena . .	87
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	87
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	88
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	89
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri.	91
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam .	92
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit . .	93
श्री बिश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	93
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	94
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	96
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	97
श्री जे० पी० दुबे	Shri J. P. Dube	97
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav .	98
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . .	98
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	Shrimati Premalabai Chavan .	99
श्री कार्तिक ऊरांव	Shri Kartik Oraon . .	100
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	101
श्री शिव नाथ सिंह	Shri Shiv Nath Singh	103
श्री अरविन्द नेताम	Shri Arvind Netam .	104
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	105
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	105
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo .	107
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav . .	107
श्रीमती रोज़ा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	108
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nural Hasan	108

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 27 अप्रैल, 1976/7 वैशाख, 1898 (शक)

Tuesday, April 27, 1976/Vaisakha 7, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr, Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मुस्लिम वैयक्तिक कानून

*542. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम वैयक्तिक कानून के सुधार करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भान सिंह भौरा : क्या मंत्री महोदय को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की इस सम्बन्ध में की गई इन टिप्पणियों की जानकारी है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून में सुधार करने के लिये यह उचित समय है ? और यदि जानकारी है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री शशि भूषण : न्यायाधीश का नाम क्या है ?

श्री भान सिंह भौरा : श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : माननीय सदस्य किस वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री भान सिंह भौरा : बयान इस प्रकार है : "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर का यह विचार है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून में सुधार करने, विशेषकर पुरुषों के लिये बहु विवाह और आसानी से तलाक देने की प्रथा समाप्त करने के लिये अब यह उचित समय है।"

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : मुझे इसकी जानकारी है, परन्तु केवल एक न्यायाधीश के वक्तव्य से हम कानूनों में परिवर्तन नहीं करते हैं।

श्री मान सिंह भौरा : जमाइत-ए-इस्लामी की स्थानीय यूनिट में भाषण करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले आगरा में कहा था

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा यदि आप राष्ट्रपति का उल्लेखन न करें। परंपरा यही रही है। कृपया उनके भाषण को उद्धरित न करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप नाम का जिक्र न करें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वैयक्तिक विचारों के बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री मान सिंह भौरा : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रगतिशील मुस्लिम वर्ग परिवर्तन चाहते हैं और कुछ अन्य वर्ग कानून में परिवर्तन करने का विरोध करते हैं? अनेक महिलायें भी कानून में परिवर्तन चाहती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या आप कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं? इसके अतिरिक्त जिस परिवार नियोजन की इतनी अधिक बातें आप कर रहे हैं उसे कानून में परिवर्तन किए बिना कैसे कारगर बना सकते हैं?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : आपको इस बात की जानकारी है कि कुछ धाराओं में संशोधन किया जाना है। परन्तु अधिकांश लोग इसके विरुद्ध हैं।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे : इस मामले में महिलाओं की मतैक्यता पर विचार करना होगा पुरुषों की नहीं, क्योंकि इसका सम्बन्ध महिलाओं से है। अतः क्या आप समझते हैं कि अधिकांश मुस्लिम महिलायें इस कानून में इस तरह का संशोधन करने के लिये तैयार नहीं हैं? मैं समझती हूं और मैं जानती भी हूं कि हजारों मुस्लिम महिलायें इस तरह के संशोधन के पक्ष में हैं। वे नहीं चाहती कि मुस्लिम पुरुष चार या पांच महिलाओं से विवाह करे। इससे अनेक समस्यायें पैदा होती हैं। आप यह समझते हैं। बेहतर तो यह होगा कि आप मुस्लिम महिलाओं से कहें। उनका मत लें और तब आप जानेंगे कि क्या वे इस कानून के पक्ष में हैं या नहीं? केवल मुस्लिम पुरुषों के मतैक्य को ध्यान में रखकर ही आगे कार्यवाही न करें। मैं समझती हूं कि आपको यह तरीका अपनाना चाहिए।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : यह सुझाव कार्यवाही के लिये है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि यदि हम गैर-मुस्लिमों के मामले में जन्म नियंत्रण के बारे में आमूल परिवर्तन लागू करेंगे और राष्ट्र के एक वर्ग को वैयक्तिक कानून के आधार पर कार्य करने देंगे तो क्या इससे साम्प्रदायिक भावनायें नहीं भड़केंगी?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : कतिपय परिस्थितियों में संविधान के अन्तर्गत भी कुछ भेद भाव सही हो सकता है।

श्री डी० एन० तिवारी : भारत में विवाह आदि के बारे में अनेक वैयक्तिक कानून हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या विश्व में कहीं भी उत्तराधिकार, परिवार नियोजन, विवाह आदि के बारे में अनेक प्रकार के कानून हैं? यदि नहीं हैं तो आप वही सिद्धान्त यहां क्यों नहीं अपनाते और विवाह, परिवार नियोजन, आदि के बारे में हरेक के लिये एक कानून क्यों नहीं अपनाते?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : यह मान लेना सही नहीं है कि कहीं भी कानूनों में अन्तर नहीं है। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में कैथालिक, प्राटेस्टेंट और यहूदियों के अलग-अलग वैयक्तिक कानून हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जिसका उत्तर नहीं दिया है, वह तो स्पष्ट ही है।

आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का समाप्त किया जाना

*544. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों तथा शिक्षकों के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए भारत सरकार से कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि विधान परिषदों में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाए।

(ख) भारत सरकार इस पक्ष में नहीं है कि विधान परिषदों में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त किया जाए।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस अनुरोध के समर्थन में कौन से कारण बताये हैं ?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : कारण ये हैं कि सभी व्यावसायों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 171(3)(ग) में यह उल्लेख है कि परिषद में 1/12 सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगें। उन्होंने यह कहा कि अन्य व्यावसायों को इस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। दूसरे, इस तरह के प्रतिनिधित्व देने से राजनैतिक वातावरण पैदा होता है। यही दो कारण हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार का विचार शिक्षकों का प्रतिनिधित्व समाप्त करने का नहीं है। क्या यह इस कारण है कि सरकार ऐसे प्रतिनिधित्व को थोड़ा थोड़ा करके समाप्त करने के विरुद्ध है और वह इस अनावश्यक व्यय वाली प्रथा को एकदम समाप्त करना अधिक अच्छा समझती है।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : अनेक कारणों के बीच यह भी हो सकता है कि सरकार संविधान में छुट-पुट संशोधन करने का विचार नहीं रखती।

Shri R.P. Yadav: Mr. Speaker, today the problem in the country is of discipline in universities and colleges and keeping it in view we feel that our teachers representatives thrust their ideas upon persons. Will the honourable Minister think to abolish teachers' constituency as has been requested by Andhra Pradesh.

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : मैं जो कुछ समझा वह यह है कि क्या सरकार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त करने का विचार करेगी ? उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ?

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातकों का प्रतिनिधित्व भी है और स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र भी हैं ? शिक्षकों का प्रतिनिधत्व अधिक असंगत हो गया है। क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सही बताया है कि अन्य व्यावसायों का प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि शिक्षकों के प्रतिनिधि शिक्षकों के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे तो संबंधित शिक्षकों के सच्चे प्रवक्ताओं की अपेक्षा राजनीतिज्ञ अधिक बन गये हैं। इस बात को और आन्ध्र प्रदेश सरकार की ठोस दलील को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है, क्योंकि स्नातक और अन्य लोग पहले से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा सी०ओ०बी० लाइसेंस के बिना उत्पादन

***545. श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अपने द्वारा बनाये जाने वाले औषध फार्मूलेशनों के लिये सरकार से अभी सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं एवं उनके द्वारा अभी तक सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जो विदेशी औषध निर्माण कम्पनियां गैर संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं तथा जिन्होंने अभी सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. मैसर्स जी डब्ल्यू कार्मिक कम्पनी (एशिया)
2. कूपर लेबोरेटरीज
3. एथनौर लि०
4. सी० ई० फुलफोर्ड
5. इंडियन शेरिंग लि०
6. जोन वैयथ (ब्रदर्स)
7. निकोलाज आफ इंडिया लि०

मैसर्स एथनौर लि० और मैसर्स इण्डियन शैरिंग लि० को छोड़कर अन्य सभी कम्पनियों को औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। जहां मैसर्स इण्डियन शेरिंग लि० अन्य एकक से प्राप्त 1952 के एक पंजीकरण प्रमाणपत्र पर कार्य कर रहे है वहां मैसर्स एथनौर लि० को सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देने को कहा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मैसर्स होचेस्ट फार्मास्यूटिकल लि० का जिनकी 50 प्रतिशत विदेशी 'ईक्विटी' है, आवेदन पत्र उनके कुछ कार्यों के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस देने के लिये सरकार के विचाराधीन है।

श्री भालजी भाई परमार : क्या यह सही है कि सी०ओ०बी० लाइसेंस मैसर्स मे एण्ड बेकर, बारो वेलकम, रोश, जान व्येथ और अन्य फर्मों को नीति की उपेक्षा करके दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों का पुनरीक्षण करेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : माननीय सदस्य इसे अन्य प्रश्न के साथ जोड़ रहे हैं। इस पर तो अलग से एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहने का मतलब यह है कि वे एक साथ लिये जा सकते हैं?

डा० रानेन सेन : यह सर्वथा एक भिन्न प्रश्न है। प्रश्न 545 और 563 तो पूरी तरह भिन्न है। अब आप प्रश्न 545 का उत्तर दे सकते हैं।

श्री भालजी भाई परमार : मैं प्रश्न पहले तो पूछ चुका हूं।

श्री पी० सी० सेठी : इस पर अलग से एक प्रश्न है। वह यह प्रश्न उस समय पूछ सकते हैं। जब हम उस प्रश्न को लें।

श्री के० एस० चावड़ा : यह प्रश्न सी० ओ० बी० लाइसेंस के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या क्या है?

श्री पी० सी० सेठी : इस विशेष प्रश्न से संबंधित 10 कम्पनियां हैं और मैंने इन दस कम्पनियों के बारे में उत्तर तैयार कर लिया है। परन्तु इस विषय से संबंधित अलग से एक प्रश्न है और जब हम उस प्रश्न को लें तब वह इसके बारे में पूछ सकते हैं।

डा० रानेन सेन : वह गुमराह कर रहे हैं। अन्य प्रश्न मूल्यों के बारे में हैं इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री पी० सी० सेठी : मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कृपया प्रश्न को देखिये। मे एण्ड बेकर के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। यह तो केवल मर्क एण्ड कम्पनी के उत्पादन के बारे में है। डा० रानेन सेन भी ठीक ही कह रहे हैं कि मूल्य से संबंधित दो प्रश्न और हैं।

श्री भालजी भाई परमार : मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप पूछ सकते हैं।

श्री भालजी भाई परमार : क्या यह सही है कि मेसर्स मे एण्ड बेकर, बारो वैलकम, रोश, जान व्येथ और अन्य विदेशी फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस नीति की उपेक्षा करके दिये गये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों का पुनरीक्षण करेगी ?

श्री पी० सी० सेठी : महोदय वास्तव में जो प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार एंग्लो-थाई निगम, मेसर्स जी डब्ल्यू कार्निक कंपनी (एशिया), कूपर लेबोरेटरीज, एथनौर लि०, सी० ई० फुलफोर्ड, मेसर्स इंडियन शेरिंग लिमिटेड, जान वैयथ (बद्रर्स), निकोलाज आफ इंडिया लि० और मेसर्स रुसेल के बारे में उल्लेख है।

श्री भालजी भाई परमार : क्या अमरीकन फर्म; मेसर्स ग्रूव प्रोडक्ट्स, बम्बई जैसी कंपनियां भी हैं जिन्हें अभी भी सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं। यदि हां, तो सरकार इस तरह की कम्पनियों के प्रार्थनापत्रों पर क्यों विचार करने जा रही है जबकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है ?

श्री पी० सी० सेठी : इन कंपनियों के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है। तीन कंपनियों में पचास से कम कर्मकार हैं और इस अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के अनुसार उन्हें सी० ओ० बी० लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित मंत्रालय का यह विचार है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाये। यह औद्योगिक विकास मंत्रालय के पहले ही विचाराधीन है। अब दो कंपनियां औषधियां नहीं बना रही है और इस लिये उन्हें सी०ओ०बी० लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दो कंपनियां ऋण लाइसेंस आधार पर अपना माल तैयार करा रहीं है और इसलिये नियमों के अनुसार उन्हें सी० ओ० बी० लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हैं। एक कंपनी ने 1973 की नीति के अन्तर्गत पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। एक कंपनी ने सी० ओ० बी० के लिये आवेदन नहीं किया है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। एक कंपनी ने रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के साथ कारखाना खरीद लिया है। सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने और रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की उपलब्धि की आवश्यकता के कानूनी प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा।

श्री के० एस० चावड़ा : इस प्रश्न से उत्पन्न मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। यह इस प्रश्न के अन्तर्गत ही आता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या यह सही है कि मेसर्स सी० ई० फुलफोर्ड ने पहले सी० ओ० बी० लाइसेंस, जिसके लिये लाइसेंस समिति ने थोड़े समय में रहस्यमय ढंग से सिफारिश की थी, प्राप्त किये बिना औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन किया था ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि सी० ई० फुलफोर्ड का जेन्टामाइसीन सल्फेट इंजेक्शन लाइसेंस शीघ्र ही वापस ले लिया जाये और जैसा कि पहले सभा को आश्वासन दिया गया है, भारतीय फर्मों के जेन्डामाईसीन सल्फेट लाइसेंस आवेदनपत्र, जो लाइसेंस समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये थे, शीघ्र ही स्वीकार किये जायें ?

श्री पी० सी० सेठी : मेरी तो धारणा यह थी कि माननीय सदस्य श्री चावड़ा औषध उद्योग के बारे में मुझसे अधिक जानते हैं। परन्तु खेद है कि आज उन्होंने कुछ न जानते हुए यह प्रश्न किया है। महोदय, सी० ओ० बी० लाइसेंस और औद्योगिक लाइसेंस दो अलग चीजें हैं (**व्यवधान**)। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अनुसार यदि कोई कंपनी पचास से अधिक कर्मकार रखती है तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि कंपनी 50 कर्मकारों को काम पर नहीं लगाती है और यदि यह भी निर्धारित शर्तों के अधीन काम कर रही है तो वह सी० ओ० बी० लाइसेंस पर काम कर सकती है। छोटे पैमाने के एककों में, जिसमें 10 लाख रुपये के मूल्य के संबंध और मशीने हों, यदि वे 10 लाख रुपये से अधिक निवेश करते हैं तो उन्हें सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। अन्यथा उन्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब विदेशी कंपनियों, बडे औद्योगिक समूहों आदि से संबंधित औद्योगिक उपक्रमों को, जिनकी फरवरी, 1970 से पहले 25 लाख रुपये से अधिक की अस्थिर अस्तियां नहीं थी, उस तारीख के बाद सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित था। फरवरी, 1973 से एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें अधिनियम के भाग तीन में कथित उपक्रमों को, जिनके मालिक ऐसी कंपनियां है जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ईक्विटी है, भाग दो के उपक्रमों के समकक्ष लाया गया।

डा० रानेन सेन : महोदय, अनुमति पत्र और सी० ओ० बी० लाइसेंस के प्रश्न पर इस सभा मे बड़े लम्बे अरसे से चर्चा हो रही है। हाथी समिति ने समूचे प्रश्न का अध्ययन किया और उद्योग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों के सचिवों तथा तकनीकी विकास महानिदेशक के बयान भी लिये। अन्त में हाथी समिति सर्वसंमति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी सी० ओ० बी० लाइसेंस या अनुमती पत्र गैर कानूनी तौर पर या अनियमित ढंग से दिये गये हैं। इसके बावजूद अर्थात् ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिश को उपेक्षा के बाद इसका क्या कारण है कि सरकार मेसर्स होचेस्ट फार्मास्युटिकल लिमिटेड और मसर्स इन्डिया शेरिंग लिमिटेड जैसे कतिपय मामलों में, चाहे जितनी खामियां हों, उनसे कुछ अन्य कार्यों के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन करने के लिए कहकर के रियायत देने की कोशिश कर रही है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इन सबके पीछे रहस्य क्या है ?

श्री पी० सी० सेठी : सिवाय इसके उसमें रहस्य कोई नहीं है कि माननीय सदस्य पूरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह समूचे मामले को केवल एक दृष्टि से ही देख रहे हैं। मैंने औद्योगिक विकास अधिनियम, 1951 पढ़ा है। इस औद्योगिक विकास अधिनियम के अनुसार कंपनियों को किसी भी चीज को बनाने के लिये लाइसेंस लेने होते हैं यदि उनमें 50 से अधिक लोग काम करते हों। अब औद्योगिक विकास मंत्रालय पहले ही इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए और सरकार दृष्टि से इस अधिनियम में संशोधन करना चाहती है कि वह विद्युत् की सहायता से कर्मकारों की संख्या 50 से घटाकर 10 और बिना विद्युत् की सहायता से 100 से घटाकर 20 करना चाहती है। अतः आज यदि कोई कंपनी विद्युत् की मदद से काम कर रही है तो इसे औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा यदि उसमें 50 से अधिक कर्मकार हों। यदि वे विद्युत् की सहायता के बिना काम करती है तो वह औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं यदि उनमें 100 से अधिक कर्मकार काम पर लगे हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूं उद्योग मंत्रालय इस पर पहले ही विचार कर रहा है और उन्हें समस्या का भी ज्ञान है। हाथी समिति की सिफारिश पहले ही उनके समक्ष है।

लद्दाख की पूगा घाटी में उपलब्ध मन्धक का उपयोग

*546. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की पूंगा घाटी में गंधक निक्षेपों के निकट उपलब्ध भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग करके गंधक निकालने के लिए जम्मू स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा जन-तापीय प्रक्रिया का विकास किया गया है ;

(ख) क्या तत्वीय गंधक लद्दाख की केवल पूंगा घाटी में सफटिकमय परतदार चट्टानों के बीच पाया जाता है या हमारे देश में अन्य स्थानों में भी पाया जाता है, और

(ग) क्या इस प्रक्रिया के विकास से गंधक पर आधारित रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन को बढावा मिलेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू के लद्दाख की पूंगा घाटी में जिओलोजीकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा भू-तापीय (जियोथरमल) सर्वेक्षण के दौरान किये गये व्यधन छिद्रों से स्टीम का उपयोग करके कम ग्रेड वाले सल्फर युक्त चट्टानों से अधिक शुद्धता वाले सल्फर की कुछ मात्रा प्राप्त की है ।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य में लद्दाख की पुगा घाटी में तात्विक सल्फर कांच की चट्टान के रूप में निकलता है । तात्विक सल्फर को वैरेन द्वीप समूह तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश में भी अन्य चट्टानों पर पपड़ी के रूप में पाया गया है ।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि क्या ये भंडार उर्वरक उत्पादन में प्रयुक्त सल्फर के आयात प्रतिस्थापन में किसी हद तक सहायक होंगे, क्योंकि पुगा घाटी के भंडारों के उपयोग की आर्थिक व्यवहार्यता अभी स्थापित नहीं की गई है ।

Shri Rajdeo Singh: I want to know from the honourable Minister whether the water condition in the Puga Valley is such which should indicate rich deposits of sulphur in mines. Scientists are also of the opinion that wherever there is less oxygen in atmosphere, there is greater possibility of deposits of sulphur. He has stated in his statement that sulphur occurs at some places in U.P. and Tamil Nadu but he has not given the names of these places. I want to know the names of the places in U.P. and Tamil Nadu where Elemental Sulphur has been traced.

Mr. Speaker: Why should you refer to U.P. and Tamil Nadu when the question is about Ladakh?

Shri Rajdeo Singh: He has referred to U.P. and Tamil Nadu in the Statement.

श्री पी० सी० सेठी : यह प्रश्न कुछ व्यापक है, इसलिये यदि आप माननीय सदस्य को इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे...........

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि प्रश्न केवल लद्दाख के बारे में ही होना चाहिए ।

श्री पी० सी० सेठी : तब ठीक है ।

Mr. Speaker: It does not matter if it is referred in the statement.

श्री जगन्नाथ राव : कृपया आप विवरण का भाग (ख) देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल प्रासंगिक है प्रमुख प्रश्न लद्दाख के बारे में है।

Shri Rajdeo Singh: Whether it is a fact that where ever there is low pressure of oxygen in atmosphere, there is a possibility of Sulphur deposits there?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक पूगा घाटी का सम्बन्ध है, वहां जियोलाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया द्वारा उच्च ग्रेड के सल्फर के भंडारों का पता लगाया है किन्तु समस्या यह है कि .

One Honourable Member: Please answer in Hindi as the question has been asked in Hindi.

Shri P.C. Sethi: The sulphur deposit found in Puga Valley is of very high quality. It has Sulphur of 98 per cent purity and the Geological Survey of India is examining the quantum of Sulphur deposits. It is their opinion that the proven deposits so far comes to about 2 lakh tonnes and the production is 25 Kilogram per day. A plant with a capacity of 25 Kilograms has been set up to utilise the Sulphur being extracted daily. It is a sort of experiment being conducted and if sulphur deposits are found in great quantities, then there will be more scope.

As far as occurrence of Sulphur at other places is concerned, it has been found in chauri, Raipur and Solav and also in Talla Ramgarh and Kathgodam. In addition to this, sulphur has been found in Almora (U.P.) and some deposits have been found in the barren Islands, a group of islands in Andaman किन्तु यह बडे ही प्रारिम्भक स्वर हैं।

Shri Rajdeo Singh: Some parts of Ladakh Valley are occupied by China. I want to know the distance between its boundary and the Puga Valley and whether Government is contemplating to acquire it on commercial basis as it is very near the borders. More over we are developing friendly relations with China. May I know whether in view of this, Government propose to exploit it commercially as it has got high grade sulphur.

Shri P.C. Sethi: I want to tell the honourable member that deposits have been found in our territory. So question of sharing with them does not arise and there is nothing to be afraid of in this regard. The question is this that if Sulphur deposits are commercially viable, these will be fully utilised. The Geological Survey of India is examining whether deposits are more than 2 lakhs of tonnes. When it is commercially viable, it will be fully utilised.

Mr. Speaker: Next question.

ईरान द्वारा तेल की कीमत में कटौती

*547. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईरान द्वारा भारी कच्चे तेल की कीमत में की गई कथित कटौती की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका हमारी पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हाल ही में प्रेस रिपोर्टों से यह पता लगा है कि इरान ने ईरानियम भारी कच्चे तेल के बिक्री मूल्य में कमी घोषित की है। अब तक इरानियन भारी कच्चा तेल आयात नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था

*550. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से दक्षिण को जाने वाली अनेक रेलगाड़ियां अब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों के लिए वहां पर बेहतर सुविधायें उपलब्ध करने हेतु क्या प्रबन्ध किय जा रहे हैं ; और

(ग) क्या परिक्रमा गाड़ी के समय का पुनर्निर्धारण करने के लिए कार्यवाही की गई है ताकि दक्षिण जाने वाली इन गाड़ियों के अधिकांश यात्री इसका लाभ उठा सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण को जाने वाली पांच जोड़ी गाड़ियों में से तीन जोड़ी गाड़ियां हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जाती-आती हैं।

(ख) हजरत निजामुद्दीन में उन अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था है जिनकी अन्य किसी स्टेशन पर है।

(ग) जी नहीं। फिर भी, हजरत निजमुद्दीन से दक्षिण को जाने /आने वाली गाड़ियों से अन्य सवारी गाड़ियों का उपयुक्त मेल उपवलब्ध हैं।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि अब भी एक लाइन है जो निजामुद्दीन को नरायना से जोड़ती है ? अगर है तों परिक्रमा गाड़ी के समय का पुनर्निर्धारण क्यों नहीं किया जाता ताकि लोग कम पैसे में निजामुद्दीन पहुंच जायें क्योंकि इस समय भी वहां पहुंचने का टेक्सी का भाड़ा 25 रुपये है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : परिक्रमा गाड़ी स्थानीय यात्रियों के लिये है और दूरगामी रेलों के यात्रियों के लिये परिक्रमा गाड़ियों के समय में, ताल मेल बिठाना सम्भव नहीं है ।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या यात्रियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस स्टेशन पर वाहन उपलब्ध नहीं होते हैं ?

श्री वयालर रवि : हम सब इस ब्यान का समर्थन करते हैं।

श्री आर० एन० बर्मन : अगर वाहन उपलब्ध नहीं है तो इसके लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? क्या परिक्रमा गाड़ियों में मासिक टिकट की कीमत में वृद्धि कर दी गई है ? अगर हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : पहले पहल हमें यात्रियों से शिकायतें मिली थीं कि टैक्सी उपलब्ध नहीं होती और स्कूटर वाले अधिक भाड़ा लेते हैं। स्कूटरों का पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया गया है। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है और वह इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि टेक्सी वाले अधिक किराया वसूल न करें। इसके अतिरिक्त डी०टी०सी० की बसों की भी इस स्टेशन पर व्यावस्था कर दी गई है। इन सब प्रबन्धों से अब किसी यात्री से कोई गम्भीर शिकायत नहीं आती है।

Shri M. Ram Gopal Reddy: Mr. Speaker Sir, he says that there is no serious complaint. I tell the honourable Minister that we have got a serious complaint. The Southern Express train is starting from Nizamuddin instead of New Delhi. This means that we have to start one hour earlier and on the return journey we have to get up as early as 4.30 A.M. reach our home at 4.30 A.M. The Members of Parliament are experiencing great inconvenience and the rares of taxi fares are so high the Southern Express should start from New Delhi station. If this cannot be done, what alternate proposal is there with the Government in this regard?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The fact is that there is no terminal capacity available at Delhi and New Delhi stations. If a third terminal is developed, it involves an expenditure of Rs. 60—70 crores which is not possible to spare at present. So the Nizamuddin station was developed. It will give a bit of trouble, So you can get up at 4 A.M. instead of 5 A.M. and try to adjust accordingly.

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : शायद माननीय मंत्री को इस संबंध में कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है । जैसे उन्होंने पटना क्षेत्र में आकस्मिक चैकिंग की है। उसी प्रकार अगर वह गुप्त रूप से निजामुद्दीन स्टेशन पर भी जाये तो उन्हें पता चलेगा कि स्कूटर तथा टैक्सी चालकों ने किस प्रकार यात्रियों का शोषण किया है और दक्षिण जाने वाले यात्रियों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के मामले हुए हैं जहां टैक्सी वालों ने अधिक भाड़ा लिया है। किन्तु उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा चुकी है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं.........

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को घोषित न करें आप यह स्वयं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं इस स्टेशन पर कम से कम पांच बार गया हूं।

Advocates' Conference at Patna

***551. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether he had inaugurated the Advocates' Conference on "Legal Assistance, Freedom, Democracy and Socialism" held in Patna on 7th and 8th February, 1976;

(b) if so, the main decisions taken at the said Conference; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. V.A. Seyid Muhammad): (a) No Sir;

(b) A copy of the Resolution passed in the Advocates' Conference is being laid on the Table of the House; and

(c) Government is already seized of the problem of rendering legal aid to the economically under-privileged persons.

COPY OF THE RESOLUTION

This convention of Lawyers of Bihar records its deep sense of appreciation of the programme of legal aid to the weaker sections of our society with a view to carrying justice to the down-troden millions of this country which has been hitherto denied to them as a result of their financial disability. It is heartening to note that the Union Government under the dynamic leadership of the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi has with alacrity accepted the major burden of the implementation of this programme and the Bihar Government,

like some other State Governments has followed suit in a vigorous way. The convention further thinks it necessary to appeal to young lawyers on whose shoulders rests the dignity and future destiny of this noble profession, to implement the programme of legal aid not in a mercenary spirits but in the spirit of crusaders. It also appeals to the public to make handsome contributions to make this programme a success.

Secondly the convention requests the Union Government, members of judiciary, lawyers and social scientists to jointly sponsor a high-powered committee for suggesting as early as possible, comprehensive constitutional and judicial reforms. It feels that it is particularly necessary to emphasise that the right to property appearing in part III of the Constitution be deleted and the right to work as a fundamental right be added to ensure rapid, social and economic transformation and to move speedily towards secular socialist democracy.

Lastly, the convention notes with satisfaction the spirit of new awakening and ferment in the legal community and courts of this country. The legal brotherhood is now keen to dedicate itself to the great tasks of national well-being of the hungry millions. It is high time for the lawyers to bestir themselves and take in right earnest to the task of making India strong and ushering in a new socio-economic order based on justice and equality for all, which alone will take our country from poverty to plenty, from a life of denial to one of satisfaction and fulfilment and enable us to be rid of our weakness-as to face ever new challenges. This vision of our country's great glory based on justice shall be inspiration of lawyers on our journey to our goal.

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker Sir, First of all I would request you to protect our rights. He has given totally false reply.

Shri Shankar Dayal Singh: We cannot hear the allegation that the honorable Minister has told a lie.

Shri Ramavatar Shastri: It can be proved from the newspaper, that is why I have said so.

Shri Shankar Dayal Singh: Many times he brands newspapers as liers.

Shri Ramavatar Shastri: Mr Speaker Sir, kindly see the question:—

"क्या उन्होंने पटना में 7 और 8 फरवरी, 1976 को विधि सहायता, स्वतन्त्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद विषयों पर हुए एडवोकेट सम्मेलन का उद्घाटन किया था ?"

He has replied to it:—

"नहीं, महोदय"

The photograph of Shri Gokhale has appeared in the news paper........*(Interruptions)*.......... Shri Shankar Dayal Singh, you will also not be able to ask any question. I have not asked the question of you. I have asked it from the Minister. It is published in the 'Indian Nation':—

"श्री गोखले के अनुसार सरकार के स्वरूप में परिवर्तन की संभावना नहीं है।" He is proved wrong on this basis

Mr. Speaker: Is it written in it that he inaugurated the conference?

Shri Ramavatar Shastri: Yes, I will read out.

"केन्द्रीय विधि, और न्याय मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने यहां कहा है कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जायेगा जिससे देश में संसदीय पद्धति को हानि पहुंचाने का उद्देश्य होगा।"

Mr. Speaker : There is no mention of inauguration in it.

Shri Ramavatar Shastri: It has been said further—

"केन्द्रीय मंत्री ने विधि सहायता, स्वतन्त्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद संबंधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कुछ शरारती तथा निहित तत्व लोगों के दिलों में आतंक की भावना भरने का प्रयास कर रहे हैं....."

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस सम्मेलन में गया था मुझे मालूम था कि विधि मंत्री भी वहीं थे। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। समाचार पत्र में यह बात छपी है। अब मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि कर सकते हैं।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : प्रश्न यह है कि क्या विधि मंत्री ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उत्तर यह है कि उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन नहीं किया बल्कि वह सम्मेलन में उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय यह कहते हैं तो यह मानना होगा।

डा० रानेन सेन : उद्घाटन भाषण का अभिप्राय यही है कि उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इन दोनों में क्या अन्तर है।

डा० वी० ए० सईद मोहम्मद : बिहार के मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया था। विधि मंत्री केवल वहां उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट हो गया है कि यह समाचार गलत है।

Shri Ramavatar Shastri: The statement made by him contains three points—Firstly the fundamental Rights be amended for including right to work therein. Secondly he has stated that a high-powered committee should be set up to amend the constitution and thirdly, legal aid be given. He has replied to the question about legal aid but he has not replied about amending the constitution for including right to work in the fundamental Rights. He has not touched the question of constituting a high powered committee to consider the question of amendment of the constitution. What is the attitude and policy of Government in this regard and what is the position at present?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : संविधान के संशोधन के प्रश्न के साथ-साथ अन्य अनेक सुझाव न केवल यहां बल्कि अन्य स्थानों पर भी दिये गये हैं। उन सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। उन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Shri Ramavatar Shastri: There is a demand from all over the country that the constitution should be amended. I want to know whether any amending bill is to be brought forward in this session, or next session or next to next session that is in any session of 1976 and if not, why not?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : इस मामले पर विचार किया जा रहा है। इस समय कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री बी० वी० नायक : अधिवक्ता सम्मेलन का पहला वाक्य ही इस प्रकार का है :

"बिहार के वकीलों का यह कन्वेंशन, इस देश के लाखों पद दलित लोगों को न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से बनाये गये कार्यक्रम की हृदय से सराहना करता है आदि आदि—"

8 LSS/76—2

क्या मैं जान सकता हूं कि यह एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें कानूनी सहायता के संबंध में वित्तीय वचन दिया गया है? अगर ऐसा है तो इस वर्ष के बजट में अथवा सम्मेलन करते समय इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? और अगर इसके लिये धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो क्या यह संकल्प पुनः एक झूठ है?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : हमने किसी कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया है। हम न्यायाधीश कृष्णअय्यर की रिपोर्ट के आधार पर इस सारे मामले की जांच कर रहे हैं और अगर आवश्यक हुआ तो एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra: All the time of freedom struggle, some lawyers use to help poor people in the sub-divisional courts, district courts, high courts and in the Supreme Court. I want to know from the honorable Minister the form of this help now. What rules have been formulated to give help to the weaker and poorer sections of society in these courts and what arrangements are you making to help these people to ensure justice to them?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है वह मात्र एक न्यायालय का नहीं है बल्कि मुनसिफ न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय सब के बारे में है। इस प्रश्न पर व्यापक तौर पर विचार किया जा रहा है और अगर आवश्यक हुआ तो उचित समय पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कानूनी सहायता संबंधी स्वरूप को स्पष्ट कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों में क्या कार्यवाही की गई है? क्या विभिन्न राज्यों में हुये सम्मेलनों पर हुए व्यय का भार अंशतः राज्य सरकारों ने वहन किया है? अगर हां, तो इसके संबंध में लेखों के बारे में किसकी जिम्मेदारी होगी?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : यदि माननीय सदस्य को पूरा विवरण चाहिये तो मैं उसे सभा पटल पर रख सकता हूं। अब प्रश्न यह है कि राज्य सरकार किस सीमा तक सहायता दे और केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक सहायता दे। लगभग यह 70 करोड़ रुपये का खर्च है। अतः इन सब बातों पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह विवरण सभा पटल पर रख देंगे।

अब प्रश्न संख्या 553 और 563 को इकट्ठे पूछा जा सकता है।

औषध निर्माताओं द्वारा औषध मूल्यों का पुनरीक्षण

*553. **श्री सी० जनार्दनन** :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **रसायन** और **उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स एककों को औषध मूल्यों में बढ़ोत्तरी करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) एक विस्तृत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 है जिसमें सामग्री व्यय में अत्यधिक वृद्धि और अन्य तथ्यों के परिणामस्वरूप मूल्य में संशोधन करने की एक प्रणाली दी हैं। सरकार ने औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो द्वारा आवश्यक छान-बीन/निरीक्षण करने के बाद कथित आदेश के उपबन्धों के अनुसार औषध यूनिटों की मूल्य वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की है।

पेटेन्ट अथवा स्वामित्व वाली दवाइयों और एल्कोहल वाली चिकित्सीय औषधों, नारकोटिक औषधों तथा नारकोटिक पर उत्पादन शुल्कों में 16 मार्च, 1976 से केन्द्रीय सरकार द्वारा वृद्धि कर दी गई है। औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अधीन अन्य बातों के साथ साथ स्वीकृत फुटकर मूल्यों में उत्पादन शुल्क के तत्व शामिल हैं और जैसा कि मूल्य संशोधन के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने में संभवतः कुछ समय लग गया था, सरकार ने निर्माताओं को अनुमति दी है कि संबंधित उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यथा निश्चित कथित तारीख से वसूल किए गए उत्पादन शुल्क के तत्व की कुछ सीमा तक दवाईयों और औषध संबंधी दवाइयों के फुटकर मूल्यों का संशोधन कर सके। उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों की मार्फत स्वीकृत बैचों पर 16 मार्च, 1976 से नए मूल्यों को लागू करना होगा। निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित बैच संख्याओं को शामिल करते हुए संशोधित मूल्य सूची प्रस्तुत करें जिन के लिए संशोधित मूल्य लागू हैं।

औषधियों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति

***563. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार ने औषध निर्माता कम्पनियों को औषधियों के खुदरा-मूल्यों में लगाया गया अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के बराबर वृद्धि करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती है कि सरकार के इस निदेश का उन औषधियों के लिये दुरुपयोग न किया जाये जिनका निर्माण वर्ष 1975-76 के दौरान हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो सावधानी के तौर पर क्या उपाय किये गये हैं और जीवन रक्षक एवं अन्य श्रेणियों की औषधियों के मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने 16 मार्च 1976 से लागू उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त अंश की सीमा तक दवाइयों तथा दवाई संबंधी उत्पादों के वर्तमान फुटकर मूल्यों में संशोधन करने की अनुमति दी है। नये मूल्य उत्पाद शुल्क अधिकारियों के माध्यम से स्वीकृति किये जाने वाले बैचों पर लागू होंगे उत्पादकों को संबंधित बैच संख्या को भी सम्मिलित करना होता है। जिसके लिए संशोधित मूल्य सूची पर संशोधित

मूल्य लागू होंगे जो कि उन्हें डीलरों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैराग्राफ-17 के अन्तर्गत देने होते हैं। किसी भी डीलर, थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता को उन बैचों, जो 16 मार्च 1976 से पूर्व बिक्री के लिए, लिए गए है, पर संशोधित मूल्य लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन अनुदेशों को राज्य औषध नियंत्रणों को अनुपालन हेतु भेज दिया गया है।

पेटेंट तथा स्वामित्व वाली दवाइयों, प्रसाधन चिकित्सीय दवाइयों, एलकोहल युक्त नशीली औषधों पर ही उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है जब कि इन्सुलीन सेरा तथा बैकसीन तपेदिक निरोधी औषधों जैसे अन्य आवश्यक जीवन रक्षक औषधों एन्टिबायोटिक्स जैसे पेनासिलीन, स्टेप्टोमाइसीन तथा अन्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट में वृद्धि नहीं की गई है।

Shri Shiv Kumar Shastri : It has been mentioned in the statement laid on the table that price increases have been allowed from 16th March, 1976 consequent to escalation of material cost. It is, however, not clear as to who will increase the prices whether the Government or the manufacturer?

श्री सी० पी० माझी : मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सरकारी आदेश है।

श्री सी० पी० माझी : जी, हां, उत्पाद शुल्क बढ़ाये जाने के फलस्वरूप कुछ निर्माताओं को 16 मार्च, 1976 से मूल्यों में उतनी वृद्धि करने को अनुमति दी गई है जितनी उत्पाद शुल्क में की गई है।

Shri Shiv Kumar Shastri: According to an old convention, answers are given in the same language in which the questions are put. Of late, this convention is not being observed. If the hon. Member does not know Hindi, then it is a different matter. But if he knows, then he should give his answers in Hindi in which I am putting my questions.

अध्यक्ष महोदय : श्री माझी, क्या आप को हिन्दी में बोलने की आदत नहीं है?

श्री सी० पी० माझी : मैं हिन्दी समझ सकता हूं।

Shri Shiv Kumar Shastri: Will the revised price list be submitted to the Government? Has no final decision been taken about the extent of increase?

Mr. Speaker: It has already been stated that price increase have been allowed to the extent of additional excise duty levied.

Shri Shiv Kumar Shastri : In case no final decision has been taken, may I know the basis on which drugs are being sold in the market?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): Prices are fixed by the Bureau of industrial costs and Prices after examination of all the medicines under the Drug (Price Control) Act. The elements on the basis of which prices are fixed are : material cost, conversion cost, freight cost, profit margin and excise duty. Otherwise the question of price increase does not arise. In case there is an increase in the cost of raw material and other elements, the manufacturers cannot increase the prices without permission of the BICP. But since this time, excise duty has been increased as per announcement made by the Finance Minister, the manufacturers have been allowed price increase on the condition that the prices will have to be brought down in case there is any reduction in the excise duty and also that the prices will be increased to the extent of additional excise duty. A copy of the revised price list has been received by the BICP. Now if there is any complaint that any manufacturer has increased the prices more than the element of excise duty, action will be taken against such a manufacturer.

The dealers and retailers having old medicines will have to sell these medicines on the basis of old labels or they will revise the prices after 26th March, 1976 on the basis of a certificate to be issued by the excise commissioner. They will also send one copy of the revised price list to our Ministry, one copy to the BICP and one copy to the dealer. The dealer will be bound to show revised prices on all the medicines received after the month of March and not on the old medicines.

श्री के० एस० चावड़ा : हाथी समिति का एक निर्देश पद मूल्यों को कम करना है। कई महत्वपूर्ण दवाईयों पर आयात शुल्क के अतिरिक्त 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है। क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्री से उत्पादन शुल्क तथा प्रशुल्क को हटाने के लिए कहेंगे जिससे आम जनता को दवायें सस्ते मूल्यों पर मिल सकें ?

श्री० पी० सी० सेठी : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है। परन्तु इस सुझाव के लिये श्री चावड़ा को कोई श्रेय नहीं है। क्योंकि हमें जो कुछ करना पड़ता है, वह हम अपना कर्त्तव्य समझ कर करते हैं।

श्री एन० के० सांघी : क्या यह सही नहीं है कि गत वर्ष कच्चे माल के दाम कम हुए हैं और और बोनस में कमी कर देने से कारखानों में श्रम पर खर्च भी कम हो गया है। मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देते समय क्या इन पहलुओं पर विचार किया गया था ?

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य कहते हैं कि संगठित क्षेत्र में कारखाने, जिनकी संख्या बहु-राष्ट्रीय कारखानों को मिलाकर 147 है, बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार यह सही नहीं है। हाथी समिति ने सिफारिश की है कि कम्पनियों को मूल औषधों पर 10 से 14 प्रतिशत और तैयार की गई औषधियों पर 8 से 11 प्रतिशत मुनाफा कमाने दिया जाये जिससे वे कुछ धनराशि विस्तार के लिये अलग रख सकें। प्राप्त हुए अभिलेखों और सन्तुलन पत्रों के आधार पर अधिकांश कम्पनियों को उससे बहुत ही कम मुनाफा हो रहा है जितना हाथी समिति ने सिफारिश की है। अतः उनकी यह धारणा सही नहीं है कि वे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं और इसलिये मूल्य घटायें जायें।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

***554, Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether electric trains are being run on the Grand Chord section on the Eastern Railway;

(b) whether 3 electric engines were damaged due to fire during last two months as a result of which the Railways have to suffer a loss of about one crore of rupees; and

(c) if so, whether Government had taken any action against the Railway Officers responsible for the loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) Yes, Sir;

(b) No, Sir. However, there were two cases of fires on a electric locos of Eastern Railway during February 1976 which are suspected to be due to miscreant activities.

(c) Does not arise.

Shri Ramavatar Shastri : Mr Speaker, Sir, there is something wrong with the Government. I say it is a serious matter and I have got a proof that there has been a loss of about one crore of rupees. But the hon. Minister says that there has been no such loss. In the circumstances, may I know whether a Parliamentary Committee consisting of one or two Members will be constituted to enquire into this matter so that we are able to get correct information?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप जानकारी मांग सकते हैं और जानकारी देना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार ने जानकारी दे दी हैं। माननीय सदस्य अब यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने जो जानकारी दी है वह गलत है और आपकी ठीक है। प्रश्न काल में वह केवल जानकारी मांग सकते हैं न कि जानकारी दे सकते हैं।

Shri Ramavatar Shastri: I have stated that I have got a proof.

श्री भोगेन्द्र झा : यदि गलत उत्तर दिया गया हो, तो उसका क्या उपचार है ?

अध्यक्ष महोदय : उसे प्रमाणित करना पड़ता है। प्रश्न काल में सदस्य जानकारी मांगते हैं और सरकार जानकारी देती है। कुछ माननीय सदस्य इससे भले ही सहमत न हों, परन्तु सरकार हमें जो भी जानकारी देती है, उसे हमें मानना पड़ता है।

Shri Ramavatar Shastri : Will any committee be constituted to investigate this matter? My suggestion is that a committee should be constituted in this regard.

Mr. Speaker : Does the hon. Minister accept this suggestion. ?

Shri Buta Singh : This matter is already under investigation . Now there is no question of constitution of any committee.

Shri Ramavatar Shastri : If the matter is under investigation, he should have stated so.

Shri Buta Singh : Mr. Speaker, if you allow me, I may clear this point.

He has stated in part (b) of his Question that 3 electric engines were damaged due to fire. I have stated in my reply that only 2 engines were damaged. If the Member has got any proof, in this regard, be may send to us. We will examine it and in case there is any truth in it, we will enquire into it.

Shri Ramavatar Shastri: May I know whether the enquiry into this matter has been completed and if so, the findings thereof ?

Shri Buta Singh: I have just stated that this matter is being enquired into and as soon as this enquiry is completed, its findings will be made known.

पैट्रोल और मिट्टी के तेल के वितरण के लिये भूतपूर्व सैनिकों को एजेन्ट नियुक्त करना

*559. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल के वितरण के लिये एजेंट अथवा सब-एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिये कितने भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन पत्र दिये थे; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति एजेंट अथवा सब एजेंट नियुक्त किये गये है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) अपंगु रक्षा कार्मिकों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, आदि को पैट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप देने के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन की नीति के अन्तर्गत अब तक महाराष्ट्र में 45 एजेंसियों का आबंटन किया गया है और 183 आवेदन कर्ता अभी आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे है। 1975-76 के दौरान महाराष्ट्र से भूतपूर्व सैनिकों/रक्षा कार्मिकों के आश्रितों से प्राप्त 35 आवेदन पत्रों को पुनर्वास महा निदेशालय, रक्षा मंत्रालय में पंजीकृत किया गया है । उनमें से अभी किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री शंकरराव सावन्त : अब जब सरकार ने एस्सो और बर्मा-शैल को अपने नियंत्रण में ले लिया है, क्या इन के मामले म भी भूतपूर्व सैनिकों को अधिमान देने की नीति का अनुसरण किया जा रहा। और यदि हां तो उनसे कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, हां, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि वे सभी कम्पनियां अब सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। अतः अब, नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ कम्पनियों को हाल ही में नियंत्रण में लिया गया है। मैंने अभी जो कुछ कहा है वह इण्डियन आयल कारपोरेशन की विद्यमान नीति के बारे में कहा है।

श्री शंकरराव सावन्त : इन कम्पनियों के मामले में उस नीति को क्रियवान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : विद्यमान नीति के कारण हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इसीलिये, हम एक नीति बना रहे हैं जिससे जनता और माननीय सदस्यों को संतुष्ट किया जा सके ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इण्डियन पैट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के उत्पादों के उपयोग के लिये गुजरात सरकार को दिये गये लाइसेंस

***543. श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पैट्रो-कैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध होने वाले उत्पादों से और अधिक लाभ उठाने हेतु उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये गुजरात सरकार को आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) गुजरात सरकार के उपक्रमों (राज्य औद्योगिक विकास निगम और राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) को आई पी सी दल से उपलब्ध उत्पादों के उपयोग के लिए दिये गए औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्रों के विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिये हुए हैं।

विवरण

आशय-पत्र

पार्टी का नाम तथा परियोजना की स्थिति	निर्माण की मद क्षमता तथा प्रभार	आशय पत्र संख्या और तिथि
1	2	3
	राज्य औद्योगिक विकास निगम	
1. मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद (बड़ौदा-गुजरात)	टोलयून डिइसोसाइनेट 5000 मी टन प्रतिवर्ष (एन०ए०)	एल०आई० 697/74 दिनांक 19-7-1974

1	2	3
2. मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद (बड़ौदा-गुजरात)	मैसर्स आई पी सी एल द्वारा सप्लाई किया जाने वाला हाइड्रोसयानिक एसिड गैस से सायनाइड साल्ट ।	एल० आई० 710/74 दिनांक 25-7-1974
3. —वही—	1. फेनोल–10,000 मी० टन टोलयून–14,000 मी० टन (एन०यू०)	एल०आई० 523/75 दिनांक 30-6-1975
राज्य सरकारी क्षेत्र		
1. मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि०, बड़ौदा (कोयाली-बड़ौदा-गुजरात)	ए बी एस रेसिन्स 4000 मी० टन आदि आदि (एन०ए०)	3/51/71–के मी दिनांक 19-2-1973
औद्योगिक लाइसेंस		
राज्य सरकारी क्षेत्र		
1. मैसर्स पालीमर्स कारपोरेशन आफ गुजरात, अहमदाबाद (गुजरात)	1. मेथाइल मेथाक्राइलेट (मोनोमेर–5000 मी० टन) 2. पोलीमेथाइल मेथाक्राइलेट पेलेटस 1500 मी० टन आदि (एन०यू०)	सी०आई०एल० 154/75 दिनांक 20-5-1975

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के लिये रेलवे का अंशदान

***548. श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की पूंजी में रेलवे के समान अंशदान के रूप में रेलवे पर उक्त निगम की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उक्त राशि की समय-समय पर अदायगी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 47.30 लाख रुपये।

(ख) 1965 में निगम के गठन से लेकर 1972-73 तक निगम की पूंजी का अपेक्षित अंशदान पूरा-पूरा किया गया था। लेकिन, अगले तीन वर्षों में अपेक्षित अंशदान धन की कमी के कारण केवल अंशत: किया जा सका। चालू वित्त वर्ष में 47.30 लाख रुपये की बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के लिए आवश्यक बजट-व्यवस्था कर दी गयी है।

ईराक में रेल परियोजना की स्थापना

***549. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईराक में एक बड़ी रेल परियोजना स्थापित करने हेतु उस देश के साथ ठेका करने के लिए बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) फरवरी, 1976 में रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड जो कि रेल मंत्रालय के संरक्षण में एक सार्वजनिक उपक्रम है, ने ईराक में एक नयी रेलवे लाइन बनाने के लिये अपना टेंडर दिया है। यह टेंडर अभी ईराक सरकार के विचाराधीन है और अभी तक कोई ठेका नहीं दिया गया है।

नैमित्तिक श्रमिकों को बहाली पर अस्थायी दर्जा

***552. श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री कह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या जोनवार, क्या है जिन्होंने मई 1974 से पूर्व अस्थायी दर्जा हासिल कर लिया था परन्तु जिन्हें रेल हड़ताल के बाद बहाली के समय दैनिक मजूरी पर पुनः रखा गया था ;

(ख) क्या उन्हें तब से अस्थायी दर्जा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी (जोन-वार) संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क)

रेलवे क्षेत्र	संख्या
मध्य	77
पूर्व	36
उत्तर	2
पूर्वोत्तर	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	186
दक्षिण	579
दक्षिण-मध्य	कोई नहीं
दक्षिण-पूर्व	2152
पश्चिम	486

(ख) और (ग) नैमित्तिक मजदूरों की उपर्युक्त संख्या में से उन व्यक्तियों की संख्या जो इस समय, चार मास की निरन्तर सेवा के आधार पर अस्थायी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं, इस प्रकार हैं—

मध्य	77
पूर्व	36
उत्तर	कोई नहीं
पूर्वोत्तर	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	67
दक्षिण	472
दक्षिण-मध्य	कोई नहीं
दक्षिण-पूर्व	681
पश्चिम	325

हुबली हास्पेट लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*555. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और हास्पेट के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब आरंभ होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां। हुबली के रास्ते हास्पेट से मार्मुगोवा हार्बर और मीरज से लौंडा तथा अलनावर सेदांडेली तक सम्पर्क शाखा के 561 कि०मी० रेल मार्ग के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया गया है। इस पर 60 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था हुबली से हास्पेट तक के 143 कि०मी० लम्बे भाग पर लगभग 12 करोड़ रुपये लागत आयेगी ।

(ग) इस आमान परिवर्तन का संबंध मार्मुगोवा पत्तन के रास्ते लोह अयस्क के अधिक निर्यात के प्रस्ताव और विजयनगर इस्पात कारखाना को चालू करने, जिसके लिए अभी तक कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, से है ।

कोरापुट और बस्तर जिलों में प्राथमिकता के आधार पर रेल लाइनें

*556. श्री के० प्रधानी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कोरापुट और बस्तर जिलों में, जहां मुख्यतया आदिवासी रहते हैं, कोई रेल लाइन नहीं है और डी० बी० के० लाइन को छोड़कर भारत के रेल मानचित्र में यह सबसे बड़ा अन्तराल है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए कोई रेल लाइन बनाने हेतु कोई प्राथमिकता देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) बस्तर जिले के पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु डल्ली राजहरा से /जगदलपुर तक नयी बड़ी लाईन के निर्माण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्टों से यह ज्ञात हुआ है कि यह परियोजना 234 कि०मी० लम्बी होगी तथा इस पर 46 करोड़ रुपये लागत आएगी। इससे भाप कर्षण से 7.84 प्रतिशत (डी० सी० एफ०) और डीजल. कर्षण से 7.97 प्रतिशत (डी० सी० एफ०) आय हो सकेगी। रिपोर्टों की जांच हो जाने पर ही इस लाइन के निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

Contracts for Refreshment and Tea Stalls given to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Allahabad Division

557. **Shri Chandra Shailani:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of stations in Allahabad Division on the Northern Railway where contracts for refreshment and tea stalls have been given to the persons belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(b) the number of stations out of them where policy of duplication in respect of these contracts has been adopted; and

(c) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) At two stations on the Allahabad Division, vending contracts have been allotted to persons belonging to Scheduled Castes/Tribes.

(b) At one station, namely Aligarh, duplicate sale of tea has been allowed.

(c) As Aligarh is an important Jn. station, sale of tea by more than one contractor has been permitted to meet the additional requirements of passengers.

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार

*558. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद): (क) जी हां ।

(ख) "उच्चतर न्यायपालिका की संरचना और अधिकारिता" सम्बन्धी 58वीं रिपोर्ट की मुख्य बातों में, जो न्यायिक सुधारों से सम्बन्धित हैं, यह सम्मिलित है कि अनुच्छेद 134(1)(ग) का संशोधन किया जाए, अनुच्छेद 266 के अधीन पिटीशनों के सम्बन्ध में नियम बनाए जाएं, आयकर अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध विधि से सम्बन्धित सारवान् प्रश्न पर अपील करने के लिए उपबन्ध किया जाए, सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहित करने और दृढ़ बनाने के लिए व्यवस्था की जाए तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों में सुधार किया जाए । अन्तिम सिफारिश को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्त) संशोधन अधिनियम, 1976, 1976 का अधिनियम सं० 35 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्त) संशोधन अधिनियम, 1976, 1976 का अधिनियम सं० 36 द्वारा लागू कर दिया गया है और अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । यह विधेयक विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई "सिविल प्रक्रिया संहिता" सम्बन्धी 54वीं रिपोर्ट के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था ।

डोलो नुरोबियन तथा अन्य फारमुलेशनों का उत्पादन

*560. **श्री नानुभाई एम० पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक औषध निर्माता कम्पनी वैध औद्योगिक लाइसेंस के बिना भी डोलो नुरोबियन तथा कुछ अन्य फारमुलेशनों का उत्पादन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) मैसर्स ई मर्क को बिना औद्योगिक लाइसेंस से डोलोन्योरोबिन सूत्रयोग जो एनलजिन और विटामिन बी$_1$, बी$_6$ और बी$_{12}$ का

एक मिश्रण है का निर्माण करते हुए पाया गया है । अन्तर मंत्रालीय अध्ययन ग्रुप ने मामले की जांच की है और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अवैधता तकनीकी है । इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इसे जाने दिया जाए और पार्टी को कहा गया है कि इस कार्यकलाप को वैध करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन दें । अब उन्होंने ऐसा किया है और उनके आवेदन पत्र पर सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

औषध अनुसंधान परियोजना के लिये सोवियत संघ के साथ सहयोग

*561. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने औषध अनुसंधान परियोजना में हमारे देश के साथ सहयोग करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल मूल्य ढांचा

*562. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने वर्तमान तेल मूल्य ढांचे में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन और अन्य तेल कम्पनियों ने 14-7-75 से प्रभावी की गयी वर्तमान मूल्य निर्धारण योजना में कुछ समायोजन तथा संशोधन करने के लिये तेल मूल्य समिति को अभ्यावेदन दिया है । ओ०पी०सी० की अन्तिम रिपोर्ट जून, 1976 के अन्त तक मिलने की आशा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां

*564. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी के संस्था अन्तर्नियम आदर्श स्वरूप बनाये हैं और यदि हां, तो उनकी विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या ये देश के उद्यमकर्ताओं के साथ परामर्श करके बनाये गये हैं;

(ग) एक साधारण प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और इसमें महत्वपूर्ण अन्तर क्या है;

(घ) गत एक वर्ष में संयुक्त क्षेत्र में कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है अथवा वे बनाई गई हैं; और

(ङ) वे मुख्यतया कौन-कौन से कारोबार अथवा उद्योग आरम्भ करना चाहती हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के रूप में इस प्रकार की कोई परिकल्पना नहीं है । अधिनियम केवल धारा 3 में यथापरिभाषित कम्पनी और उक्त अधिनियम की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी को ही मान्यता देता है । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के रूप में पंजीकृत कम्पनियों का कोई विशेष वर्ग नहीं है ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

बस्सीन के निकट पाये गये कुएं की तेल क्षमता

*565. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बस्सीन के निकट तट दूर पाई गई तेल संरचना में खोदे गये नये कुएं मे तट पर पाये गये अन्य सभी तेल कुओं की अपेक्षा अधिक तेल मिलने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसके बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जब कुएं का उत्पादन परीक्षण किया गया तो उसमें से प्रति दिन 565 घन मीटर की दर से तेल निकला । बस्सीन संरचना तथा समीपवर्ती क्षेत्र में तेल की सम्भावना का शीघ्र पता लगाने के लिये अविलम्ब अन्वेषण और अनुमानित व्यधन आरम्भ करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है । अन्वेषी-व-मूल्यांकन व्यधन कार्य अक्तूबर 1976 तक पूरा हो जायेगा ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में बम्बई हाई से प्राप्त अशोधित तेल के प्रयोग का अध्ययन

2596. **श्री वयालार रवि :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेलशोधक कारखाने में बम्बई हाई से प्राप्त अशोधित तेल के प्रयोग का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) क्या उक्त अध्ययन रिपोर्ट की ओर नौवहन और परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कोचीन शोधनशाला द्वारा अध्ययन प्रारम्भिक अवस्था में है । कोई अध्ययन अथवा सम्भाव्य रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Recruitment of SC/ST Employees on Western Railways

2597. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the percentage of Scheduled Caste and Sdheduled Tribe employees in the Western Railway at present, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): The percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the total strength of staff on Western Railway as on 1-1-1976 is given below:

Class of service	Percentage of S. Cs.	Percentage of S. Ts.
I	5.7	1.2
II . .	6.4	0.9
III .	9.1	3.2
IV . . . (excluding sweepers)	13.3	8.9
IV . (Sweepers)	95.8	2.4

Conversion of Narrow Gauge Lines into Broad Guage Lines in Gwalior Division

†2598. **Shri G.C. Dixit.** will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether narrow gauge lines in Gwalior division of M.P. are proposed to be converted into broad gauge lines; and

(b) if so, whether complete survey has been made in this regard and the time by which this conversion work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) It is not proposed to take up the conversion of these lines at present.

(b) Does not arise.

महानदी पुल की मरम्मत

2599. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में महानदी पुल की मरम्मत में कितना समय लगेगा; और

(ख) मरम्मत कार्य पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) महानदी पुल पर फिर से गर्डर बिछाने का काम प्रगति पर है और आशा है कि मार्च, 1977 तक यह काम पूरा हो जायेगा ।

(ख) लगभग तीन करोड़ और तैंतीस लाख रुपये ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में माल यार्ड में कार्यकारी नियम

2600. **श्री नूरुल हुडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के जंकशनों के अनेक माल-यार्डों में कार्यकारी नियम और सिद्धान्त नियमित स्टेशनों के नियमों से भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) स्टेशनों के कार्यकारी नियम और मापदण्ड एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और एक यार्ड से दूसरे यार्ड पर इस प्रकार भिन्न होते हैं ताकि वे यार्डों के आकार-प्रकार और उनमें की गयी सुविधाओं तथा सम्भाले जाने वाले यातायात के स्वरूप तथा मात्रा के अनुकूल तथा उस स्टेशन या यार्ड की विशेष प्रकृति के उपयुक्त हो सके ।

Fraud by Manasa and Seetamau Railway Out-Agencies

†2601. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether cases involving frauds by the Manasa Railway out-agency (from Neemuch station to Manasa) and Seetamau out-agency (from Mandsaur to Seetamau) were reported and investigations conducted in this regard; and

(b) if so, the action taken so far in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) The contracts of Manasa and Seetamau Out-Agencies have since been terminated; In the case of Manasa Out-Agency, the irregularities were found to be only of technical nature. Instructions have been issued for recovery of railway dues through adjustment of their security deposit and bills pending for payment. Against Seetamau Out-Agency, the GRP has filed a Challan u/s 409/420 of the Indian Penal Code in respect of fraudulent delivery, in the Court of Judicial Magistrate, Mandsaur and the case of pending trial.

उत्तर रेलवे के लोको शैड के मंत्रालयी कर्मचारियों की शिकायतें

2602. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लोको शैड के मंत्रालयी कर्मचारियों ने (एक) राजपत्रित छुट्टियों के दिन पड़ने वाले साप्ताहिक विश्राम की एवज में सुविधा; और (दो) शैड तथा प्रशासनिक कार्यालय में कार्य करने वाले मंत्रालयी कर्मचारियों के बीच कार्य के घन्टों की असमानता को दूर करने के बारे में 23 अक्तूबर, 1975 को डिवीजनल सुपरिटेंडेंट उत्तर रेलवे, लखनऊ को एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया था जिसकी एक प्रति जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली को दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह स्पष्ट कर दिया गया था कि--

(i) किसी राजपत्रित छुट्टी के दिन पड़ने वाले साप्ताहिक विश्राम के बदले में कोई प्रतिपूरक विश्राम अनुमेय नहीं है; और

(ii) लोको शैडों तथा प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के काम के घन्टों में असमानता वर्तमान नियमों के अनुसार है ।

विद्युत चालित तथा अन्य यात्री गाड़ियों में पंखों, बिजली के तारों और गद्दों की चोरी

2603. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 और 1975 में विद्युत चालित तथा अन्य यात्री गाड़ियों में पंखों, बिजली के तारों तथा गद्दों की चोरियों की घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिये कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी कार्यवाही से कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1975 के दौरान रेलवे में इस प्रकार की चोरी के 4,267 मामले दर्ज किये गये थे जबकि 1974 में 3,502 मामले दर्ज किये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है :

(1) विभिन्न निवारक धाराओं के अन्तर्गत बार-बार छापे मारे जाते हैं और चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(2) रेल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के उपबन्धों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाता है।

(3) यथा सम्भव फोम के गद्दों के बदले रबर क्वायर के गद्दे लगाये जाते हैं।

(4) फोम के गद्दों को किसी उपयुक्त चिपचिपे पदार्थ द्वारा कड़े तख्ते पर लगाया जाता है।

(5) यार्डों में सुरक्षा के उपाय सुदृढ़ कर दिये गये हैं।

(6) प्रभावित खण्डों में बिजली तथा अन्य सवारी गाड़ियों के साथ मार्गरक्षी चलते हैं।

(7) अपराधियों पर सावधानीपूर्वक निगाह रखी जाती है।

(8) ताम्बे के संवाहकों के बदले अल्युमीनियम के संवाहक इस्तेमाल किये जाते हैं।

(9) सादा कपड़ों में सिपाही तैनात करके, इस प्रकार के अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों के बारे में आसूचना इकट्ठी की जा रही है।

(10) बदनाम अपराधियों/चुरायी गयी रेल सम्पत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया जाता है। स्थिति को सुधारने के लिए रेलों द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान औषधियों का निर्माण करने का प्रस्ताव

2604. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने पांचवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान किन-किन अधिक खपत वाली औषधियों तथा फार्मूलेशनों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटड इस समय किन-किन अधिक खपत वाली औषधियों का निर्माण कर रही है तथा गत तीन वर्षों के दौरान मात्रा तथा मूल्य में उनका कितना उत्पादन रहा है; और

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अधिक खपत वाली जिन औषधियों का स्वयं उत्पादन किया है, उनकी कुल बिक्री कितनी हुई है तथा उनकी अधिक खपत वाली आयातित औषधियों की कुल बिक्री कितनी हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित प्रपुंज औषधों ने नाम परिशिष्ट **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10708/76]** में दिये गये हैं। इन मूल औषधों पर आधारित विभिन्न सूत्र रोगों का भी निर्माण किया जायेगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० के प्रपुंज औषधों का मदवार उत्पादन और उनका मूल्य परिशिष्ट II **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10708/76]** में दर्शाया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित और आयातित प्रपुंज औषधों से निम्नलिखित लाभ हुआ था:—

वर्ष	उत्पादित प्रपुंज औषध	आयातित प्रपुंज औषध
		(रुपये लाखों में)
1973-74	862.35	729.52
1974-75	1269.19	1239.52
1975-76	1832.43*	997.57*

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

2605. **श्री मधु दण्डवते**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने वर्ष 1975 और 1976 में सरकार को कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए; और

(ख) उनमें से कितने प्रतिवेदनों को, जैसा कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अनिवार्य है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) 1975 तथा 1976 के मध्य सरकार को एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग से एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत एक तथा धारा 22 के अन्तर्गत दो, मिलाकर तीन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) एक विषय में हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, एवं उक्त रिपोर्ट शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अन्य दो रिपोर्टें वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

*(वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप देने तक में आंकड़े अस्थायी हैं।

मैसर्स एब्बाट द्वारा बिना वैध लाइसेंस के इन्जेक्शनों का उत्पादन

2606. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स एब्बाट बिना किसी वैध औद्योगिक लाइसेंस अथवा सरकार की स्वीकृति के 'एरीथ्मेमाइसीन, आई० एम० इन्जेक्शनों का उत्पादन कर रही है;

(ख) क्या उन्हें इन दोनों इन्जेक्शनों के लिये क्रमशः राज्य व्यापार निगम और तकनीकी विकास महानिदेशालय से कच्चा माल मिल रहा है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी में इन दोनों इन्जेक्शनों का कितना उत्पादन हुआ और राज्य व्यापार निगम तकनीकी विकास महानिदेशालय ने कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कच्चा माल उन्हें सप्लाई किया; और

(घ) बिना औद्योगिक लाइसेंस के इन फार्मूलेशनों का उत्पादन करने के लिये इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग):—(i) **एरिथ्रोमाइसीन आई० एम० इन्जैक्शन :**

मैसर्स एबोट भारत में इस उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। पहले वे भारत के औषध नियंत्रक की सिफारिश पर इस जीवन रक्षक औषध का तदर्थ आधार पर पूर्ण रूप से तैयार उत्पाद के रूप में आयात करते थे ।

(ii) **थिरोपेटेन सोडियम इन्जेक्शन**

औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व यह कम्पनी लघु उद्योग क्षेत्र में एक इन्जेक्टेवल के रूप में पैण्टोथल सोडियम के नाम से इस उत्पाद को बाजार में भेज रही थी तथापि इस पार्टी को दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस में पैण्टोथल सोडियम को ग्रेन्यूल्स की क्षमता में शामिल किया गया है । यह बताया गया है कि इस उत्पाद को एनैस्थैटिक के रूप में स्टेरिल वायल्स में पाउडर/ग्रेन्यूल्स के रूप में निरन्तर प्रयोग किया जाता है और इसका केवल प्रयोग में लाने से पूर्व ही विषाक्त रूप से पानी में मिलाया जाता है । वर्ष 1973-74 और 1975 के दौरान इसका उत्पादन क्रमशः 92 किलोग्राम, 80 किलोग्राम और 19 किलोग्राम हुआ था । मैसर्स एबोट के पास एरिथ्रोमाइसीन के निर्माण के पहले ही एक आशय पत्र है जिसकी शर्त यह है कि प्रपुंज औषध का 25% भाग गैर-सम्बद्ध निर्माताओं को उपलब्ध कराया जायेगा । वे भी इन्जेक्टेबल के अलावा एरिथ्रोमाइसीन सूत्रयोगों के निर्माण के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस रखते हैं और इससे वे समय-समय पर लागू आयात नीति के अनुसार एस० टी० सी०/डी० जी० टी० डी० से आयातित एरिथ्रोमाइसीन और थियोपेटेल सोडियम आदि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Distribution of Fertilizers

2607. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Chemicals & Fertilizers** be pleased to state:

(a) number of engineers in the country who have been entrusted with the job of distribution of fertilizers and terms and conditions on which they have been given agencies in each State; and

(b) number of engineers in Rajasthan appointed as agents for distribution of fertilisers or entrusted with this Job and since when have they been working as agents?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित ग्राम इस्तेमाल की औषधियों और ऐन्टी बायोटिक्स के खुदरा मूल्य

2608. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित ग्राम इस्तेमाल की स्टैण्डर्ड औषधियों तथा एन्टी बायोटिक्स के खुदरा मूल्य गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित ऐसी ही औषधियों के खुदरा मूल्यों से अधिक हैं; और

(ख) क्या यह विश्वास करने का कोई कारण है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माता इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के साथ प्रतियोगिता करने की दृष्टि से दरों में कमी करने में अनुचित तरीके अपनाने लगे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन औषधों के मूल्यों का कानूनी रूप से नियंत्रण किया जाता है। फुटकर मूल्य का नियतन करने के लिए विचार किए गए तथ्य सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभार, पैकिंग सामग्री मार्क अप है जिसमें निर्माताओं की गुंजाइश, प्रवर्तन सम्बन्धी व्यय, वितरण सम्बन्धी व्यय, व्यापार कमीशन आदि और उत्पादन शुल्क शामिल है। कथित आदेश के प्रवर्तन की मार्फत, विभिन्न निर्माताओं के उसी प्रकार के उत्पादों के मूल्यों में सब मिलाकर एकरूपता प्राप्त करना सम्भव हो गया है। विद्यमान निर्माता अर्थात् मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोमे आफ इण्डिया लि० की तुलना में भारतीय औषध और भेषज लि० की मेथाइल डोपा गोलियों के लिए अनुमति के अधिक मूल्यों के सम्बन्ध में 1975 में एक शिकायत मिली थी। इस मामले पर भारतीय औषध और भेषज लि० के साथ बातचीत हुई थी उन्होंने सूचित किया कि वे मेथिल डोपा (250 मि० ग्राम) की 10×10 गोलियां 53 रुपये और अतिरिक्त स्थानीय कर के मूल्य पर अपने अनुमत मूल्य 61.33 और मर्कशार्प डोहमे के मूल्य 53.67 रुपये की तुलना में बेच रहे हैं।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन अधिकतम फुटकर मूल्य होते हैं प्रत्येक निर्माता अनुमत मूल्य तक किसी मूल्य को लेने/कोट करने के लिए स्वतन्त्र है और ऐसी स्थिति में कुछ गैर-सरकारी निर्माता निविदा जांचों में आई० डी० पी० एल० की अपेक्षा कम दरों को कोट करने की कोशिश करते हैं।

प्लास्टिक उद्योग का विकास

2609. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "भारत में प्लास्टिक उद्योग का भविष्य" के बारे में हाल ही में हुई गोष्ठी में भाषण देते हुये प्लास्टिक उद्योग से कहा था कि वह प्लास्टिक के उत्पादों की लागत कम करें;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य तथा उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या उद्योग ने इस उद्योग के विकास के लिये कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री ने "भारत में प्लास्टिक उद्योग के भविष्य" पर किसी संगोष्ठी में भाग नहीं लिया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शीघ्र आग पकड़ने वाले माल को यात्री डिब्बे में ले जाने के बारे में बरौनी में शिकायत

2611. **श्री बृज राज सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1975 में एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी ने बरौनी जंकशन पर ड्यूटी पर नियुक्त एक रेलवे अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी थी कि "रैड टैरिफ" के अन्तर्गत शीघ्र आग पकड़ने वाले माल की सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन कर मेल/एक्सप्रेस गाड़ी में यात्री डिब्बे में अनुचित रूप से ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां। सिनेमा फिल्म को ले जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) शिकायत को जांच-पड़ताल की गयी थी। संरक्षामूलक सिनेमा फिल्म खतरनाक और ज्वलनशील सामानों के अन्तर्गत नहीं आते और वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उन्हें सवारी गाड़ियों में सामान के रूप में बुक किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को स्थिति की ठीक-ठीक जानकारी दे दी गयी थी।

दिल्ली में महानगरीय परिवहन (रेलवे) परियोजना के नैमित्तिक कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार

2612. **श्री नारायण चन्द्र पराशर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में महानगरीय परिवहन (रेलवे) परियोजना में काम कर रहे कुछ नैमित्तिक कर्मचारियों को इस आशय के नोटिस दिए गए हैं कि उनकी सेवायें 30 अप्रैल, 1976 से समाप्त कर दी जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवायें समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें अन्य परियोजनाओं/कार्यालयों में खपाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) इस बचे हुये काम के लिए थोड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता है।

(ग) उत्तर रेल प्रशासन को इस आशय की हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि इस परियोजना के बर्खास्त नैमित्तिक श्रमिकों को चालू लाइन पर नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जाय। प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि सेवा अवधि के आधार पर नियमित रिक्तियों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में छानबीन के प्रयोजन के लिए ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को चालू लाइन के नैमित्तिक श्रमिकों के बराबर समझा जाय।

रेल कर्मचारियों (पूर्व रेलवे) की सेवानिवृत्ति

2613. **श्री के० एम० मधुकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में पूर्व रेलवे के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : पूर्व रेलवे पर पिछले एक वर्ष के दौरान अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों की संख्या निम्न है :—

श्रेणी I	1
श्रेणी II	7
श्रेणी III	83

रेलवे में राजभाषा/क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

2614. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे अड़चने कौन सी हैं जिनके कारण रेलवे में केन्द्रीय सरकार की राजभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रगति बहुत धीमी है; और

(ख) उन अड़चनों को दूर करने के सम्बन्ध में तथा रेलवे के कार्यकरण को ऐसा बनाने के सम्बन्ध में कि आम जनता उसे समझ सके, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग रेलों पर सन्तोषजनक ढंग से बढ़ाया जा रहा है । जनता के साथ व्यवहार में क्षेत्रीय भाषा का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है ।

जनता के साथ रेलों का घनिष्ठतर सम्पर्क कायम करने के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) हिन्दी/प्रादेशिक भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से दिया जाता है ।

(2) साधारण जनता के उपयोग में आने वाले फार्म हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में जारी किये गये हैं ।

(3) रेलवे परिसरों और सवारी डिब्बों में रेलवे के सभी साइन बोर्ड, नोटिस आदि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में लगाये जाते हैं ।

(4) क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेलवे समय सारणियां हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में जारी की जाती हैं ।

(5) रेलवे टिकट हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में छापे जाते हैं ।

(6) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में चलने वाली प्रमुख गाड़ियों के आरक्षण चार्ट हिन्दी में भी लगाये जाते हैं ।

(7) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी में तार स्वीकार किये जाते हैं ।

(8) लाउडस्पीकरों के जरिये सवारी गाड़ियों के आने-जाने की सूचना हिन्दी और प्रादेशिक भाषा में दी जाती हैं ।

सौमानी उद्योग समूह द्वारा एसिटिक एसिड संयंत्र को अपने अधिकार में लिया जाना

2615. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एकाधिकार गृहों के एक गृह बम्बई के सोमानी उद्योग समूह द्वारा सरकारी क्षेत्र के एक एकक आन्ध्र के राज्य औद्योगिक विकास विभाग के एसिटिक एसिड संयंत्र को अपने अधिकार में लिये जाने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में औषध तथा रसायन सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र की परियोजना

2616. **श्री नाथु राम अहिरवार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में से एक है जहां औषध तथा रसायन सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र की कोई परियोजनायें नहीं हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें स्थापित करने की कार्यवाही कर रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ संयुक्त रूप में सरकारी क्षेत्र में औषध निर्माण संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है । वह सरकार परस्पर स्वीकृति के अनुसार लागत और अन्य सुविधाओं के बारे में अपेक्षित योगदान के लिए तैयार है । ऐसे प्रस्ताव अन्य राज्य सरकारों से भी प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों पर सरकार को अभी विचार करना है ।

गुना माक्सी रेलवे लाइन का पूरा किया जाना

2617. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुना-माक्सी रेल लाइन के किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आशा है यह लाइन जून, 1976 तक पूरी कर ली जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन

*2618. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम को क्षेत्र-वाद पृथक-पृथक निगमों में विभाजित कर तथा उन्हें स्वतंत्र प्राधिकार देकर उसका पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण

2619. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी यूनिट के निरन्तर घाटे में जाने के कारण यह है कि संयंत्र में मशीने इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वहां लाभप्रद ढंग से उत्पादन नही किया जा सकता ;

(ख) यदि हां तो इसके रख-रखाव और समय-समय पर उसको आधुनिक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए किन्हीं प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बात पर कितना समय लगेगा तथा कितनी लागत आएगी ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सिन्दरी संयंत्र की हानियां निम्नलिखित के कारण हैं :—

(i) संयंत्र आर्थिक दृष्टि से पुराना हो चुका है, इसको चालू रखने के लिए भारी खर्चे की आवश्यकता है ।

(ii) पुराना और अप्रचलित प्रौद्योगिकी ।

(iii) निवेश की अधिक लागत और बिक्री से प्राप्ति (सांवधिक रूप से नियन्त्रित) जो अमोनियम सल्फेट की उत्पादन लागत से बहुत कम है ।

(iv) कच्चे माल अर्थात् कोयले/जीपसम की घटिया किसम ।

(ख) संयंत्र की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए पुराने संयंत्र की प्रौद्योगिकी में कोई नवीनकरण करना संभव नहीं है क्योंकि संयंत्र और उपकरण लगभग 50 के प्रारंभ में उपलब्ध प्रौद्योगिक के संबंध में तैयार किए गए थे । उत्पादन जारी रखने के लिए उसके अनुरक्षण पर भारी खर्च और फालतू पुर्जों का प्रयोग अति आवश्यक बन पड़ा है ।

(2) सिन्द्री संयंत्र के आधुनिक बनाने को ध्यान में रख कर सिन्द्री आधुनिकीकरण प्रयोजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है और अक्तूबर 1974 में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है । आधुनिकीकरण के पूरे होने के बाद सल्फेट संयंत्र और विद्युत पैदा करने की सुविधाओं के अलावा पुरानी सुविधाएं समाप्त हो जाएगी ।

(ध) सिन्द्री आधुनिकीकरण प्रायोजना की अनुमानित लागत 141.6 करोड़ रुपए है और उसके 1978 के प्रथम तिमाही में पूरे होने की संभावना है ।

औद्योगिक लागत तथा मूल्यों सम्बन्धी ब्यूरो द्वारा औषध मूल्यों की जांच

2620. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित उन 'बल्क' ड्रग्स के नाम क्या है, जिनके लिए लागत की जांच करने का कार्य औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किया गया है, और

(ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा लागत जांच के आधार पर सम्बन्धित 'बल्क' ड्रग्स के नियत किए गए मूल्य क्या है और ब्यूरो द्वारा नोट किए गए मूल्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) :–50% के अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले कम्पनियों के सम्बन्ध में बी आई सी पी द्वारा किये गये लागत जांच के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत औषध के नाम एवं मूल्य के व्योरे संलग्न हैं [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी०—10709/76**] 1974 एवं 1975 के दौरान औषध (मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के परन्तुक के अंतर्गत किसी विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित मूल्य को केवल नोट नहीं किया गया था।

दूसरे देशों में रेल लाइनों के लिए भारतीय विशेषज्ञता

2621. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने कितने देशों में रेल-लाइनें बिछाने का काम अपने हाथ में लिया है अथवा लेने का विचार है; और

(ख) यह कार्य करने संबंधी शर्तों सहित तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने 1974 में सरकारी क्षेत्र में रेल इंडिया टेकनिकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड नामक एक कम्पनी की स्थापना की थी। यह कम्पनी भारत तथा विदेशों में रेलवे निर्माण, परिचालन अनुरक्षण, उपस्करों की सप्लाई आदि के सम्बन्ध में परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। बहुत से मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों द्वारा अत्यधिक यनवेश के कार्यक्रम को देखते हुए, सरकार ने मुख्य रेलवे निर्माण परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक अन्य कम्पनी की स्थापना करने का अनुमोदन कर दिया है। जब तक इस कम्पनी का गठन नहीं हो जाता, तब तक सरकारी क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के साथ रेल इंडिया टेकनिकल एण्ड इकानिमिक सर्विसेज लि० ने ईराक में, मुसायेब से समावा तक, लगभग 300 कि०मी० लम्बी नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए टेंडर भरा है। इस टेंडर पर ईराक सरकार अभी विचार कर रही है।

नाइजेरिया में एक रेलवे लाइन बनाने के लिए तथा ईराक में लगभग 550 कि०मी० लम्बी एक अन्य लाइन बनाने के लिए भी टेंडर जारी किये गये हैं। इनके लिए टेंडर भेजने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

कावेरी बेसिन में तेल का पता लगाने के लिये संसाधनों का जुटाया जाना

2622. **श्री के० मालन्ना** :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में तेल का पता लगाने के लिए साधन जुटाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए स्तर-ट्रैपों (स्ट्रैटीग्राफिक ट्रैप्स का पता लगाने के लिए खोज के काम में कितनी प्रगति हुई है।

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कावेरी बेसिन की भूमि पर अनेक अन्वेषणी कुए खोदे गए हैं परन्तु उनमें कोई वाणिज्यिक तेल अथवा गैस भंडार नहीं पाए गए हैं। अब अपतटीय कावेरी का भूकम्पनी सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस भूकम्पीय कार्य के परिणामों के आधार पर यथा संभव अन्वेषणी खुदायी की जाएगी। तटवर्ती और अपतटीय स्ट्रेटीग्राफिक ट्रैप्स के लिए अन्वेषण कार्य इस जांच से प्राप्त आंकड़ों और उनके एकीकरण तथा मूल्यांकन करने के पश्चात ही किया जा सकता है।

सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन के कब्जे में रेलवे के भवन

2623. **श्री जी० भुवाराहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन के कब्जे में रेलवे के कितने भवन हैं ;

(ख) क्या उन सब के लिए किराया निश्चित कर दिया गया है ;

(ग) क्या उक्त सभी भवनों का किराया तथा बिजली खर्च इस यूनियन से वसूल कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो फरवरी, 1976 तक की अवधि का कितना किराया और बिजली खर्च अभी वसूल होना शेष है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 66

(ख) जी हां पांच इमारतों के मामले को छोड़ कर जिनका आबंटन हाल ही में किया गया है ।

(ग) और (घ) 28-2-1976 को समाप्त अवधि के लिए किराया बिजली प्रभार आदि की मद में यूनियन से सभी 49, 731.74 रुपये की रकम वसूल करना है।

इस समय चल रहे उर्वरक संयंत्र

2624. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां इस समय उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक संयंत्र का पृथक पृथक उत्पादन कितना था ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी सी० सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10710/76]**

ईरान द्वारा पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों को कच्चे तेल की सफाई

2625. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ईरान के पश्चिमी देशों की तेल-कम्पनियों को उन के द्वारा ईरान में तेल की खोज के लिए किये गये पूंजी-निवेश के बदले में कच्चे तेल की बिक्री पर 22 सैंट प्रति बैरल की छूट ली है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे समझौते के लिए ईरान सरकार से बातचीत करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाइड्रो कार्बन्स इण्डिया लि०, जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की एक सहायक कम्पनी है, सम्बन्धित प्राधिकारी के साथ परशियन खाड़ी में इसके कार्य की कुल लाभ प्रददत्ता की चर्चा कर रही है।

आर्थो-आइलीन का निर्यात

2626. **श्री एम राजगोपाल रेडडी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में आर्थो-जाइलीन का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) इसका निर्यात किन देशों को किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 2535.933 मी० टन

(ख) निर्यात ठेका पानामा के मैसर्स काल्मन हिल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एफ ओ बी के आधार पर) के पास था जिन्होंने इटली को माल भेजा था। अर्जित विदेशी मुद्रा 4,56,469.94 यू एस डालर (40.72 लाख रुपये) थी।

रेलवे के उजड़े भवनों में वैगनों में सेंध लगाने वाले तथा अन्य समाज विरोधी तत्व

2627. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे के उजड़े हुए भवन वैगनों में सेंध लगाने वालों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों के अड्डे बन गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भवनों को तुरन्त ही गिरा देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, केवल दक्षिण और पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासनों से कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) रेलों का विचार ऐसी इमारतों को गिराने का है।

रेलवे वैगनों का निर्यात

2628. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल वेगनों का निर्यात रेल इंडिया टक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अब रेल माल डिब्बों का निर्यात भारत के राज्य व्यापार निगम की एक सहायक संस्था परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा रहा है। इसको रेल इंडिया टक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड की मार्फत निर्गमित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों में स्थिरता

2629. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवश्यक औषधियों के मूल्यों में आई स्थिरता को बचाये रखने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में हाल में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) से (ग) औषधियों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 जिसमें कुछ निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था है, के अंतर्गत नियन्त्रित हैं। इस आदेश के कार्यान्वियन से औषधों के मूल्यों को अधिकतर उचित स्तर पर रखना संभव हो पाया है।

इस उद्योग के विभिन्न तथ्यों की जांच करने के लिए सरकार ने औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति की भी नियुक्ति की है, और अन्य बातों के साथ-साथ समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विचार शमिल हैं :

> "उपभोक्ता के लिए औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए अब तक अपनाये गये उपायों की जांच करना और मूल औषधों और सूत्रभोगों के मूल्यों को अपेक्षित युक्ति सुसंगत बनाने के लिए ऐसे और उपायों की सिफारिश करना।"

समिति ने 6 अप्रैल, 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कम मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध कराने में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और मूल्य नीति का गहन निरीक्षण किया था। समिति की सिफारिशों पर ध्यान देते हुए उपभोक्ता के लिए स्थाई मूल्य और निर्माता के लिए उचित लाभ के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मूल रसायनों का निर्यात

2630. **श्री भाऊसाहेब धामनकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के मूल रसायनों, औषधियों, भेषजों समेकित रसायनों; और कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों का निर्यात हुआ ;

(ख) इससे पूर्व के दो वर्षों की तुलना में यह आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं ; और

(ग) कुछ मामलों में निर्यात में कमी होने के क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिनों के लिये माल न उतारे जाने पर विलम्ब शुल्क

2631. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1975 से रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिनों में माल न उतारे जाने पर विलम्ब शुल्क न लिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा बताई गई कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) माल डिब्बों की शीघ्र विमुक्ति तथा टर्मिनलों के बेहतर उपयोग की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण माल शेडों और पार्सल कार्यालयों को रविवार के दिन खुला रखने के लिए रेलों को प्राधिकृत किया गया है। रेलों पर इस व्यवस्था को प्रारम्भ करने से पूर्व, स्टेशनों/माल शेडों आदि के नामों को अधिसूचित कर दिया जाता है और व्यापारी वर्ग में इसका समुचित प्रचार किया जाता है। केवल इस प्रकार अधिसूचित स्टेशनों पर ही रविवार के दिन के लिए स्थान-शुल्क लगेगा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को स्थान-शुल्क से विमुक्ति पूर्ववत जारी रहेगी।

(ख) और (ग) कुछ अंचलों से विभिन्न कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पुनर्विचार करने पर, रविवार को कार्य-संचालन करने वाले स्टेशनों की संख्या में कमी कर दी गयी है। स्थिति पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।

बाराबंकी-मुजफ्फरपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा होना

2632. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराबंकी और मुजफ्फरपुर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी काम पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है ;

(ख) इस काम को पूरा करने की आरम्भ में क्या तिथि निर्धारित की गई थी और उसको कितनी बार बदला गया है ; और

(ग) मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) निधि की अत्यन्त सीमित उपलब्धता और आगामी वर्षों में उपलब्ध की जाने वाली निधि की मात्रा की अनिश्चितता की वजह से अभी तक इस परियोजना के पूरा किये जाने की कोई निश्चित लक्ष्य-तिथि नहीं बतायी जा सकती। प्रारम्भ में, इस परियोजना के पूरा होने की लक्ष्य-तिथि मार्च, 1976 निश्चित की गयी थी, जिसे बाद में मार्च, 1977 कर दिया गया था। अपर्याप्त धन राशि आवंटित किये जाने के कारण यह काम लक्ष्य-तिथि तक पूरा नहीं किया जा सका। निधि की उपलब्धता में सुधार होने पर ही इस कार्य की प्रगति में तेजी लायी जा सकती है।

बंगाल की खाड़ी में तटदूर छिद्रण

2633. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किये गये तटदूर छिद्रण के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) क्या उस क्षेत्र में तटदूर छिद्रण की परियोजना त्याग दी गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लगभग 6000 फुट की गहराई पर पानी मिश्रित तेल के गौण रूप में दिखाई देने के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी के अप तट में तेल नहीं निकला है ।

(ख) जी नहीं, क्षेत्र में आगामी अन्वेषणी खुदाई जारी हे ।

विशिष्ट रख-रखाव सेवाओं की व्यवस्था

2634. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम शोधन, पैट्रो रसायनों, उर्वरकों और रसायन उद्योगों के लिए विशिष्ट रख-रखाव सेवाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) इंजीनियर्स इण्डिया लि० में पहले से ही एक केन्द्रीय सेवा संगठन है जो विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करता है और इन उद्योगों में स्थापित "इन हाऊस" अनुरक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न रसायनिक प्रक्रिया उद्योगों के अनुपूरक की सलाह देता है । इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने प्रस्ताव रखा है कि उक्त संगठनों को इस ढंग से विकास करना चाहिए कि वे अपने उपयोग कर्ताओं को अत्याधिक विस्तृत और प्रभावी सेवा की व्यवस्था करें और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय अनुरक्षण सेवा संगठन नाम के एक पृथक संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है । इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता सुनिश्चित करने के बाद इस संगठन की स्थापना करने के निर्णय पर विचार किया जाएगा ।

बम्बई में उप-नगरीय रेलगाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना

2635. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च 1976 को बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ी की एक अन्य दुर्घटना हुई थी;

(ख) क्या बम्बई में एक महीने में यह चौथी उपनगरीय दुर्घटना थी ;

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे और रेल सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) 14-2-76 से 13-3-76 तक बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों में दो रेल दुर्घटनाएं हुई ।

पहली घटना आग लगने की थी जो पश्चिम रेलवे के जोगेश्वरी स्टेशन पर 433 डाउन उप-नगरीय लोकल गाड़ी में 7-3-1976 को हुई थी । रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, संभवतः इस दुर्घटना का कारण यह था कि पहले दर्जे के एक डिब्बे में क्षीर-फोम गद्दे को किसी असम्बद्ध चीज जैसे जलती हुई दियासलाई, द्वारा आग लग गई थी जो किसी एक यात्री द्वारा या तो जानाबुझ कर या फिर बिल्कुल लापरवाही के साथ इस पर फेंकी गई थी ।

पत्तनों के लिये तीव्रगामी रेलगाड़ी सेवा

2636 **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात- कर्ताओं के लाभ के लिए पत्तनों को तीव्रगामी रेलगाड़ी सेवा की व्यवस्था करने का सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निर्यात यातायात के लिए तीव्रगामी रेल सेवा की व्यवस्था करने के लिए व्यापारियों से कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अधिमान्य यातायात दर सूची के अन्तर्गत पत्तन को जाने वाले यातायात के संचालन को उच्च अग्रता दी जाती है और इस की निकासी शीघ्रता से की जाती है । निर्यातकों के लाभ के लिए यदि यातायात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो निर्यात के लिए विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

अरुणाचल प्रदेश स्थित खरसांग में तेल की खोज

*2637. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश स्थित खरसाँग में तेल का पता लगा था; और

(ख) यदि हां तो यहां अपेक्षित तेल किस कोटि का है और उसकी आर्थिक उपादेयता क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल का 28.90 ए पी आई घनत्व है जिससे हल्के आसुतों का उत्पादन कम होगा और मध्य आसुतों का उत्पादन अधिक होगा । इस क्षेत्र की संभावना का अनुमान लगाने के लिए कुछ और अधिक कुओं की खुदाई की जानी होगी।

जयपुर डिवीज़न (पश्चिम रेलवे) में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर छंटनी

2638. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अगरतल्ला में गोहाटी उच्च न्यायालय की बैंच

2639. **श्री दशरथ देव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अगरतल्ला में गोहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी बैंच न होने से न्याय में विलम्ब होता है और मामले वर्षों तक लम्बित रहते हैं;

(ख) त्रिपुरा को गोहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता में लाने के बाद कितनी बार बैंच की बैठक अगरतल्ला में हुई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अगरतल्ला में गोहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी बैंच की स्थापना करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : (क) जी नहीं।

(ख) 26

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन आर्गेनाइज़ेशन के पास ठेके

2640. **श्री वयालार रवि :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन आर्गेनाइजेशन के पास इस समय कुल कितने ठेके हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन आर्गेनाइजेशन के साथ कितने ठेके किए गए और कितना कार्य पूरा हुआ और इन ठेकों में कितनी धनराशि अन्तग्रस्त है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों के दौरान फैक्ट इंजीनयरिंग एण्ड डिजाइन आर्गेनाइजेशन के पास ठेके तथा उसके द्वारा किए गए ठेके के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	गत तीन वर्ष के दौरान किये गये ठेके तथा उनके पास ठेके	अभी तक पूर्ण किये गए कार्य	शुल्क (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे के सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का सुधार कार्य	विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग	7.60
2.	केरल में ओसेन संयंत्र	—तदैव—	7.00
3.	कारेडाइट कारखाने, एसवेंकाडू के लिए ईंधन तेल के संचय सम्बन्धी सुविधाएं	—तदैव—	0.65
4.	तारापुर पर महाराष्ट्र कोआपरेटिव फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स के लिए 200 टी पी डी अमोनिया प्लांट	यह राष्ट्र को-आपरेटिव फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	52.50
5.	कासवा स्टार्च काम्पलैक्स तनजानिया	आरम्भिक रिपोर्ट	1.75
6.	कारेडाइट कारखाने, एनुवेंकाडु के लिए एसिड मिक्सिड संयन्त्र	निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। प्रारम्भ के लिए संयंत्र तैयार है ।	9.00

1	2	3	4
7.	हिन्दुस्तान कापर लि० , खेतरी के लिए एसिड एवं उर्वरक प्रायोजना	सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट प्रारम्भ हो गया है। फासफेटिक एसिड प्लांट चालू हो रहा है।	1200.00
8.	भारतीय उर्वरक निगम, सिंदरी के फासफोरिक एसिड प्लांट	निष्पादन के अन्तिम स्तर पर है।	22.00
9.	फैक्ट का कोचीन फेस II प्रायोजना	लगभग 80 प्रतिशत की सीमा तक निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।	

फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन आर्गेनाइज़ेशन द्वारा प्राप्त किये गये ठेके

2641. **श्री वयालार रवि :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन आर्गेनाइजेशन ने देश में तथा विदेशों से और अधिक ठेके प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) एफ०ई०डी०ओ० द्वारा दी गई बोली में से संगठन ने निम्नलिखित आर्डर प्राप्त किये हैं :

(1) कोरडाइट कारखाना, अरुवांकड़ू के लिए एसिड मिक्सिंग प्लांट

(2) एफ सी आई के ट्रोम्बे एकक पर 200 टी पी डी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का परिवर्तन

(3) केरल में प्रतिदिन 6 मी० टन का उत्पादन करने वाले ओसीन प्लांट की स्थापना के लिए परामर्श दात्री सेवाएं

(4) महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिव फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल, तारापुर के लिए 200 टी पी डी अमोनिया प्लांट की स्थापना के लिए परामर्श दात्री सेवाएं,

(5) तंजानिया में एक स्टार्च काम्प्लैक्स के लिए संम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।

पूर्व रेलवे में माल डिब्बों में निर्धारित मात्रा से अधिक भार के बिलों का समायोजन

2642. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 तथा 1975 में पूर्व रेलवे के कुसुन्डा, पाथरडीह, कटरासगढ़, पतरातू तथा अंडाल यार्डों पर प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा से अधिक भार वाले कितने माल डिब्बों के बिलों का समायोजन किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में निर्धारित मात्रा से अधिक भार वाले ऐसे कितने माल डिब्बे रहे जिनका समायोजन नहीं हुआ तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) निर्धारित मात्रा से अधिक भार वाले माल डिब्बों के बिलों के समायोजन पर उक्त अवधि में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) क्या ऐसे किन्हीं झूठे बिलों का पता लगा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) माहवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिखाये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10711/76]** कुछ माल डिब्बों का समायोजन न किये जाने का कारण परिचालनिक आकस्मिकताएं थीं।

(घ) जी हां, गलत बिल बनाने के दो मामले पकड़े गये हैं—एक पाथरडीह में और दूसरा कुसुण्डा में कार्यवाही की जा रही है।

डी० एम० टी० का उत्पादन

2643. **श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पैट्रो-कैमिकल कारपोरेशन का डी एम टी का उत्पादन वर्ष 1975-76 में काफी बढ़ गया था।

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1976-77 के लिए डी एम टी के उत्पादन का लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1975-76 के लिए 18,000 मी० टन के लक्षित उत्पादन और 1974-75 के दौरान डी एम टी के 13,344 मी० टन के उत्पादन के स्थान पर 1975-76 के दौरान वास्तविक उत्पादन 19,018 मी० टन था।

(ग) 20,000 मी० टन।

इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन द्वारा पाली प्रोपीलीन बनाने का प्रस्ताव

2644. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन का पाली प्रोपीलीन बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रायोजना में प्रतिवर्ष पाली प्रोपीलेन रेंजिन के 30, 000 मी० टन के निर्माण के लिए संयंत्र की स्थापना शामिल है। इस प्रायोजना के लिए इटली के मैसर्स मोन्टडीसन (टक्नोमोट) विदेशी सहयोगी हैं। संयंत्र की जनवरी, 1977 में यांत्रिक रूप से पूरे होने की संभावना है।

Control of Drug Prices

2645. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased the state:

(a) whether prices of drugs have been constantly increasing in the country since 1973-74; and

(b) whether Government have laid down any policy to control the prices of drugs and the particulars thereof?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): (a) and **(b)** The prices of drugs are statutorily controlled under the Drugs (Price Control) Order,1970 which provides

for a mechanism for effecting changes in prices according to certain norms prescribed therein. The year 1973-74 was an abnormal year as the prices of drug, drug intermediates and chemicals showed an upward trend due to petroleum crisis. Through the operation of the said Order it has been possible to maintain the prices of drugs by and large at a reasonable level. During the year 1975-76 based on reduction in import price of bulk drugs, ampicillin, Chloramphenicol and Indo-menthacin, the prices of formulations based thereon were also reduced. Prices of Sagontin Dragees have also been reduced.

Government had appointed a committee on drugs and pharmaceutical industry to look into the various aspects of drug industry. The terms of reference of the Committee *inter alia* included:

"to examine the measures taken so far to reduce the prices of drugs for the consumer and to recommend such further measures as may be necessary to rationalise the prices of basic drugs and formulations."

The Committee submitted its report on 6th April, 1975 and made comprehensive review of the pricing poiicy. Government have examined the recommendations of the Committee keeping in view reasonable prices for the consumer and a fair return for the manufacturers.

डल्ली-राझरा-जगदलपुर रेल से वार्षिक आय

2646. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित डल्ली-राझरा-जगदलपुर लाइन से, जो नारायणपुर, कोंडागांव से होती हुई हावड़ा बम्बई लाइन से मिलेगी और इस मुख्यत: आदिवासी क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करेगी, अनुमानत: प्रतिवर्ष कितनी आय होगी ;

(ख) क्या सरकार ने इस वर्ष आंकड़ों का अध्ययन कर लिया है और उन्हें लाभप्रद पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइन को बनाने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली-राजहरा से जगदलपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण को सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चला है कि 234 कि० मी० लम्बी इस लाइन पर 46 करोड़ रुपये लागत आयेगी और इसका प्रतिफल भाप कर्षण के साथ 7.84 प्रतिशत (डी०सी० एफ०) और डीजल कर्षण के साथ 7.97 प्रतिशत (डी०सी०एफ) होगा। इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय रिपोर्टों की जांच के पश्चात् और धन की उपलब्धता के आधर पर किया जायेगा ।

Conversion of Narrow Gauge Lines into Broad Gauge in Satpura Area (Madhya Pradesh)

†2647. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to convert narrow gauge railway lines in Satpura area (Madhya Pradesh) into broad gauge; and

(b) if so, when will these be converted?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b) Surveys for the gauge conversion of these lines were carried out in 1972 but the project was not found to be viable on financial and traffic considerations. It is now proposed to carry out a Preliminary-Engineering-*cum*-Traffic Survey for the conversion of Jabalpur-Gondia narrow gauge section to broad gauge during the current financial year. The proposal will be considered further after the surveys are completed and reports examined.

Railway employees removed from service in Central Railways

2648. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of Railway employees in the Central Railway who were removed from service after the proclamation of emergency; and

(b) The number of employees and officers in the Central Railway who were taking active part in the activities of Rashtriya Swayam Sewak Sangh before the emergency?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) 278 employees have been removed from service after emergency, but not due to the activities directly connected with emergency.

(b) Nil.

Railway Employees of Bhusawal Division punished for participating in May, 74 Strike (Central Railway)

†2649. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees punished for participating in 1974 strike in Bhusawal division of the Central Railway; and

(b) the number out of them who have been reinstated?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) and (b): For mere participation in the strike no employee was punished. However, action was taken under Discipline & Appeal Rules against delinquent employees.

Production of Urea

2650. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the quantity of urea chemical fertilizers produced by various fertilizer units every year;

(b) the extent to which it falls short of the requirement of the country; and

(c) the steps taken by Government to meet this shortfall?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): (a) The quantity of urea produced by the different fertilizer units in the country during the last three years is given in the statement attached.

(b) and (c) To the extent production of fertilizers falls short of the total requirement, the gap is met by imports. The quantity of nitrogenous fertilizers imported during 1973-74 and 1974-75 in the form of urea, ammonium sulphate and CAN is an under:—

(Quantity in tonnes)

	1973-74	1974-75
Urea	654,257	12,12,636
Ammonium Sulphate	149,341	219,299
CAN	294,494	289,665

To minimise dependence on imports and move towards the goal of self-sufficiency in fertilizers, a large programme for expansion of fertilizer capacity has been taken in hand. When this programme is completed, the capacity for production of nitrogen which presently stands at 2.669 million tonnes of nitrogen would go up to about 5.4 million tonnes by the end of 1980.

Statement

(Figures in 4000 tonnes)

Name of the units	Production 1973-74	1974-75	1975-76
(A) Public Sector			
Sindri	13	9	6
Trombay	57	61	76
Gorakhpur	139	158	145
Namrup	50	55	54
Durgapur	14	33	81
FCI (Total)	273	316	362
Cochin	31	87	147
Neyveli	32	38	60
Madras	175	87	186
Total (A)	511	528	755
(B) Private Sector			
Baroda	273	267	263
Vizag.	2	10	2
Kota	239	186	239
Kanpur	250	418	386
Goa	138	293	227
Tuticorin	—	—	163
Total (B)	902	1174	1280
(C) Cooperative			
Kalol (IFFCO)	..	19	203
GRAND TOTAL:—	1413	1721	2823

Work on crossing stations between Ratlam and Ajmer

†2651. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) The names of the places between Ratlam and Ajmer in Ratlam Division on Western Railway where work on crossing stations has been completed and of those places where the work is yet to be completed; and

(b) the time by which the remaining work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) The details are given below:—

Name of the new crossing station	Between Stations	Date of opening
1. Jharwasa	Nasirabad and Bandanwada	9-9-1974
2. Neem-ka-Khera	Lambia and Mandal	3-6-1974
3. Mandpia	Bhilwara and Hamirgarh	3-10-1974

1	2	3
4. Gambhiri Road	Shambupura and Nimbahera	27-12-1974
5. Botalganj	Pipliya and Mandasaur	30-9-1975
6. Kachnara Road	Dalauda and Dhodhar	20-8-1975
7. Mundlaram	Dhodhar and Jaora	15-4-1976
8. Name of crossing station is yet to be finalised.	Namli and Ratlam	Yet to be completed.

The anticipated date of completion of item (8) above is April, 1977.

Expenditure incurred and revenue earned by departmental restaurants or refreshment rooms in Ratlam and Kota Divisions

2652. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred by departmental restaurants/refreshment rooms in Ratlam and Kota Divisions of Western Railway during 1974-75 and 1975-76; and

(b) the revenue earned by them during that period?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The total expenditure incurred by departmental restaurants/refreshment rooms in Ratlam and Kota Divisions is as under:—

1974-75....................Rs. 17,85,231/-
1975-76....................Rs. 16,88,172/-
(upto Jan. '76)

(b) The revenue earned is as under:—

1974-75....................Rs. 17,59,676/-
1975-76....................Rs. 18,33,432/-
(upto Jan. '76)

Survey for Ratlam-Banswada Railway Line

†2653. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether preliminary survey on the proposed Ratlam-Banswada railway line has been completed; and

(b) if so, further steps being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Survey work is still in progress.

(b) Does not arise.

अरब सागर में प्रयुक्त छिद्रण उपकरण

*2654 **श्री समर गुह:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरब सागर क्षेत्र में समुद्र तट दूर छिद्रण में प्रयुक्त (एक) विदेशी और (दो) भारत निर्मित उपकरणों के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या खुदाई तथा शोधक उपकरणों के निर्माण में ग्रात्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो (एक) सफलता किस सीमा तक मिली है ग्रौर (दो) इस प्रयोजन के लिये ग्रारम्भ की गई परियोजनाग्रों के तथ्य क्या हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान ग्रन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

दादर-नागपुर एक्सप्रैस को बोकारो सिटी तक चलाने का प्रस्ताव

2655. **श्री वसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर-नागपुर एक्सप्रैस को बोकारो स्टील सिटी तक चलाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; ग्रौर

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव ग्रभी विचाराधीन है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

2656. **श्री वसन्त साठे** : क्या **विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना वसीयत किये मरने वाले किसी भी व्यक्ति की 5,000 रुपये की राशि से ग्रधिक जमा राशि के बारे में मृत्यु संबंधी दावे के लिए भारतीय उत्तराधिकार ग्रधिनियम (1925 का ग्रधिनियम संख्या 39) की विद्यमान सीमा में कोई छूट ग्रथवा वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ताकि ऐसे जमाकर्ताग्रों के वारिस दावों ग्रथवा भविष्य सिधि ग्रथवा बैंकों में जमा राशि का भुगतान सुगमता-पूर्वक प्राप्त कर सकें ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में खुदाई ग्रभियान

2657. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में तेल/गैस की खोज के लिए छिद्रण कार्य ग्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ग्रौर;

(ख) यदि हां, तो उन तारीखों सहित स्थानों के नाम क्या हैं, जब प्रत्येक मामले में छिद्रण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1977 के आरम्भ तक हिमाचल प्रदेश में रामशहर, जिला सोलन में व्यधन कार्य आरम्भ होने की आशा है ।

रेल कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि/उन्हें फिर नौकरी पर लगाना

2658. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें गत दो वर्ष के दौरान रेलवे बोर्ड में और प्रत्येक जोन में एवं इण्टीग्रल कोच फैक्टरी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में (i) सेवा अवधि में वृद्धि प्रदान की गई और (ii) नौकरी पर फिर लगाया गया;

(ख) किन कारणों की वजह से कुछ कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि की गई या अन्य कर्मचारियों को फिर नौकरी पर लगाया गया;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रतिष्ठानों में से प्रत्येक में उनमें से ऐसे कर्मचारियों को पृथक-पृथक संख्या कितनी है, जो अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(घ) क्या सेवा काल में वृद्धि और नौकरी पर फिर लगाने के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भूतपूर्व सैनिकों को गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन

2659. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्ष-वार कितने अपंग भूतपूर्व सैनिकों-शहीदों के आश्रितों/बेरोजगार स्नातकों को गैस एजेन्सियों अथवा पेट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन किया है;

(ख) क्या अभी भी कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास निर्णय के लिए पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है और इन मामलों में सरकार संभवतः कब तक निर्णय कर लेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

Prohibition on drinking in trains

2660. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to enact a legislation to prohibit drinking and use of other intoxicants in passenger trains and if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): A comprehensive review of the Indian Railways Act, 1890, has been undertaken, and along with it the question of making a suitable provision regarding consumption of alcholic drinks in passenger trains is under consideration.

Exemption of Fertilizers from Excise Duty and Sales Tax

2661. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Chemicals and Fertilitzers** be pleased to state:

(a) whether fertilizers have been exempted from the levy of excise duty and sales tax with a view to providing incentive to the producers of fertilizers ;

(b) if so, whether they have sought some other assistance from Government and if so, the nature thereof; and

(c) the loss Central and State Governments have to suffer on this account?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): (a) No, Sir. The excise duty on single super-phosphate has, however, been reduced from 15% to 7 1/2% with effect from 1st December, 1975. The benefit of the reduction in excise duty is being passed on to the consumers and will not provide any relief to the manufacturers.

(b) and (c) Representations have been received from some of the fertilizer manufacturers seeking relief to off-set the increase in the price of fuel oil by Rs. 120 per kilo-litre with effect from 1-12-75. Some manufacturers have also sought relief in excise duty in view of the losses reportedly incurred by them in the manufacture of certain products. Government have appointed a Committee to examine the costs of production of fertilizer plants.

Annual Production of Fertilizers

2662. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the present annual production of fertilizers in the country and the types of fertilizers imported?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): The production of fertilizers during 1975-76 was 15.35 lakh tonnes of nitrogen and 3.2 lakh tonnes of P_2O_5.

Nitrogenous, phosphatic and potasic fertilizers of different kinds are imported to cover the gap between requirement and indigenous availability.

दीघा को खड़गपुर के साथ जोड़ने के लिए रेलवे लाइन

2663. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर को पश्चिम बंगाल के समुद्रतटीय पर्यटन स्थल—दीघा के साथ जोड़ने के लिए लगभग 25 मील लम्बी रेल लाइन का निर्माण करने के लिए सरकार से अनेक बार अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कलकत्ता से और पश्चिम बंगाल एवं बिहार के अन्य भागों से दीघा को जाने वाले पर्यटकों की संख्या में चार गुनी वृद्धि हुई है और खड़गपुर से दीघा के लिए बस सेवा अपर्याप्त है ;

(ग) क्या दीघा ही एक मात्र ऐसा अवकाश-स्थल है, जहां कलकत्ता के और हावड़ा हुगली एवं दुर्गापुर के उद्योग समूहों के अल्प वेतन वर्ग के कर्मचारी और सामान्य रूप से छात्र समुदाय अपने साधनों के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खड़गपुर को दीघा के साथ रेल द्वारा जोड़ने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) जी हां।

(ख) से (घ) 1947-48 में कोंताई रोड़ (खड़गपुर के निकट) से दीघा के रास्ते कोंताई तक की प्रस्तावित लाइन के लिए एक दोह सर्वेक्षण के अलावा अन्य कोई सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं। उक्त सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ कि इस लाइन पर बहुत कम यातायात होगा और यह कि यह लाइन अलाभप्रद रहेगी। तब से निर्माण लागत में कई गुणा वृद्धि हो चुकी है, इसलिए यदि अब भी कोई सर्वेक्षण किया जाये तो भी इस योजना के लाभप्रद होने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, धन की उपलब्धता में सुधार होने पर पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के निर्माण की नयी नीति के अन्तर्गत इस परियोजना पर विचार किया जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में अशोधित तेल का उत्पादन

2664. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में जिस पेट्रोलियम क्षेत्र की नई खोज हुई है उसमें अशोधित तेल की उपलब्ध मात्रा के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या अशोधित तेल को निकालने तथा उसे शोधित करने का कार्य इण्डियन आयल कारपोरेशन करेगा अथवा वह किसी विदेशी कम्पनी के सहयोग से करेगी ;

(ग) अरुणाचल प्रदेश में अशोधित तेल के नए पाए स्रोतों से अशोधित तथा शोधित तेल का उत्पादन कब आरम्भ होगा ; और

(घ) अरुणाचल प्रदेश में पाए गए अशोधित तेल को साफ करने वाली विभिन्न व्यवस्था किस प्रकार की है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस क्षेत्र में तेल की सम्भाव्यता का अनुमान लगाने के लिए और व्यधन कार्य करना आवश्यक होगा।

(ख) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खरमंग संसाधनों के मितव्ययी उपयोग भण्डारों पर निर्भर करेगा जो इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाते। किसी निष्कर्ष पर पहुचने में काफी वर्ष लगगे।

(घ) तेल कम हल्के आसुत तथा अधिक मध्यवर्ती आसुतों का उत्पादन करेगा।

मे एण्ड बेकर लिमिटेड द्वारा बाहर धन भेजना

2665. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मे एण्ड बेकर लिमिटेड ने औषधि फार्मुलेशनों के निर्माण के लिए आयात किये गये उपकरणों से अनधिकृत उत्पादन किया और कभी भारतीय पूंजी का सहयोग नहीं लिया है; और

(ख) तीन वर्षों के दौरान मे एण्ड बेकर लि०, मे एण्ड बेकर (इण्डिया) प्रा० लि० और मे एण्ड बेकर (प्रा०) लि० ने पृथक-पृथक कितनी धनराशि बाहर भेजी और क्या मे एण्ड बेकर (प्रा०) लि० ने वर्ष 1965 के बाद लगभग पांच करोड़ रुपये की धनराशि बाहर भेजी, जबकि विदेशी करार समिति ने उसकी एक ही कम्पनी बनाए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मैसर्स मे एण्ड बेकर का विदेशी सहयोग का प्रस्ताव

2666. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री, भारतीय पूंजी को सहयोजित करने के बारे में मैसर्स मे एण्ड बेकर के प्रस्ताव के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मे एण्ड बेकर ने अपने विदेशी सहयोग प्रस्ताव में किन शर्तों का प्रस्ताव किया था तथा विदेशी करार बोर्ड ने किन शर्तों का अनुमोदन किया था किन्तु कम्पनी को उनकी सूचना नहीं दी थी ; और

(ख) विदेशी सहयोग प्रस्ताव की शर्तों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पश्चात् भारत में कार्य कर रही मे एण्ड बेकर की सभी शाखाओं ने अलग-अलग कितनी धनराशि बाहर भेजी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सूचना लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 254, दिनांक 12-11-1974 के उत्तर में पहले ही दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

गुजरात में उर्वरक एजेंसियों का आवंटन

2667. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **रसयान और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 में गुजरात राज्य में जिला वार कितनी उर्वरक ऐजेंसियां आबंटित की गई ;

(ख) क्या बेरोज़गार इंजीनियरों अथवा अन्य तकनीकी व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी एजेन्सियां दी गई हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

कृत्रिम रबड़ मूल्य नियंत्रण आदेश का पुनरीक्षण

2668. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रबड़ मूल्य नियंत्रण आदेश को पुनरीक्षित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) संश्लिष्ट रबड़ पर मूल्य नियंत्रण पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 179 (ड़), दिनांक 9-3-1976 के अनुसार हटाया गया है ।

गोहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

2669. **श्री दशरथ देव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पांच राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीशों की मंजूर की गई विद्यमान संख्या उच्च न्यायालय के कार्य को निपटाने के लिए पर्याप्त है।

गुजरात में उत्पादित अशोधित तेल पर रायल्टी

2670. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुजरात सरकार ने अपने राज्य में उत्पादित अशोधित तेल की रायल्टी दरों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

नये तेल भण्डारों की खोज

2671. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान तेल के कितने नए क्षेत्र खोजे गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने क्षेत्र गुजरात राज्य में हैं ; और

(ग) उनमें तेल का कितना उत्पादन होता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) वर्ष 1974–75 तथा 1975-76 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूमि पर पांच स्थानों और अपतट पर दो स्थानों पर (सभी स्थान गुजरात में हैं) तेल खोजा गया है। गुजरात में पाये गये नये तेल भण्डारों में से किसी ने भी अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है क्योंकि इन भण्डारों को नियमित रूप से उत्पादन पर लाये जाने से पूर्व उनकी वाणिज्यिक शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए इन स्थानों पर और अधिक कूओं का छिद्रण किया जायेगा। अपतट पर उन दो नये तेल भण्डारों में से एक अर्थात् बम्बई हाई द्वारा अगले माह उत्पादन शुरू होने की आशा है।

आयल इण्डिया लिमिटेड ने असम और अरुणाचल प्रदेश में जोराजन-केथालगुरी-लंगकाशी और खरसांग क्षेत्रों में तेल युक्त क्षेत्र पाये हैं इन क्षेत्रों में उनकी तेल संभावना के मूल्यांकन के लिए और अधिक छिद्रण किया जायेगा।

कच्छ क्षेत्र में तेल कूपों का खोदा जाना

2672. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में तेल कूपों की खुदाई सम्बन्धी कोई कार्य शुरू हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्छ क्षेत्र में भूमि पर अभी तक दो कुओं की खुदाई की है। इन कुओं में कोई तेल या गैस नहीं पाया गया है।

कच्छ की खाड़ी के अपतट में 15000 फुट की गहराई तक खोदे गये प्रथम अन्वेषणी कुएं ने निश्चित परिणाम नहीं दिये तथा इसे छोड़ा गया।

औद्योगिक लाइसेंस अस्वीकृत किया जाना

2673. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान औषध निर्माताओं से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के कितने प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया ; और

(ख) इन प्रस्तावों की अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन के कितने मामले सरकार के पास अब तक विचाराधीन हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ख) 1-4-74 से 31-3-76 की अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए औषध उत्पादक फर्मों से 171 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों में से 70 आवेदन पत्र रद्द किए गये (इनमें 11 आवेदन पत्रों को आंशिक रूप में रद्द किया जाना शामिल है) तथा इस समय इन रद्द किये गये आवेदन पत्रों के विरोध में 25 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हो रही है।

स्नेहक पदार्थों के लिये विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रस्ताव

2674. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नेहक पदार्थों के लिए विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश में स्नेहक तेलों के क्षेत्र में विकास, उत्पादन तथा विपणन में जानकारी देने के लिए मैसर्स गैसट्रोल लि० यू० के० साथ इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० ने हाल ही में एक तकनीकी सहायता तथा विदेशी सहयोग करार किया है।

अच्छे स्नेहक तेल के उत्पादन के लिए मैसर्स रोकल लि० यू०के० के साथ विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में मैसर्स एल सी. एम एडवान्स लूब्रीकेंट (प्रा०) लि०, यू० के० के दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था तथा पार्टी को 25-9-75 को एक स्वीकृत पत्र जारी किया गया जो 6 महीने की अवधि के लिए वैध है। तथापि विदेशी सहयोग करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। विश्व वित्तीय बाजार में अंग्रेजी पाउंड के मूल्य के कम होने के कारण तकनीकी जानकारी की एक मुश्त अदायगी में वृद्धि करने के लिए, मैसर्स एल सी एम एडवान्स लुब्रीकेंट ने निवेदन किया है। पार्टी ने सहयोग शर्तों की वैधता और छः महीने की अवधि अर्थात् 24-9-1976 तक विस्तार करने के लिए कहा है। प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

Payment to Employees on Increased Rate of Night Duty Allowance

*2675. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether railway employees on night duty get night duty allowance and those who have to leave their headquarters on official duty get travelling allowance as a matter of rule;

(b) whether consequent on the recommendations of the Third Pay Commission, these allowances have been increased in proportion to the pay; and

(c) if so, whether these allowances are being paid accordingly?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c) All non-gazetted Railway employees (except Railway Protection Force/Railway Protection Special Force staff who are governed by separate rules) get Night Duty Allowance for performing duties between 22.00 hours and 06.00 hours. Travelling allowance is admissible to all Railway employees, when they are sent out of Headquarters on official duty beyond 8 kilometres.

The Pay Commission's recommendation regarding Night Duty Allowance has not been made applicable to Railways. However, in pursuance of the recommendation of the Railway Labour Tribunal 1969, Night Duty Allowance on Railways is calculated on the basis of pay plus dearness allowance as well as city compensatory allowance, which practice has been allowaed to continue without any change. Payment for this Allowance is accordingly being made.

The Pay Commission have not recommended any change in the rates of Daily Allowance admissible to Railway employees. Rates of Travelling Allowance/Daily Allowance, under the revised pay structure are expected to be notified shortly.

कटरासगढ़ लोकोशैड के लोको रनिंग स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही

2676. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटरासगढ़ लोको शैड के 'लोको रनिंग स्टाफ' ने 26 जनवरी, 1976 को पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को उनके कटरासगढ़ के वार्षिक निरीक्षण के दौरान एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में दूर करने के लिए क्या शिकायतें की गई हैं ;

(ग) क्या पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को इस प्रकार का अभ्यावेदन देने के लिए कर्मचारियों के विरुद्ध डिवीजनल, प्राधिकरण, धनबाद द्वारा कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक को 6-2-1976 (न कि 26 जनवरी, 1976 को) उनके वार्षिक निरीक्षण के समय एक अभ्यावेदन दिया गया था।

(ख) इस अभ्यावेदन में जिन मुख्य शिकायतों का उल्लेख किया गया वे इस प्रकार हैं:--

(1) मई, 74 की रेल हड़ताल के सम्बन्ध में कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न की समाप्ति।

(2) रनिंग भत्ते में कटौती करना।

(3) समय पर वर्दियों की सप्लाई न करना।

(4) समयोपरि के बकाया का भुगतान न करना।

(5) शंटरों के विभिन्न वेतनमानों को अभी तक जारी रखना।

(6) निलम्बन, बुक न करना आदि तरीके अपना कर परेशान करना।

(7) इंजनों का ठीक-ठीक रखरखाव न करना।

(8) उचित आधार पर क्वार्टरों का आबंटन न करना।

(9) नकद पुरस्कार आदि देने में भेदभाव बरतना।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार की यह नीति नहीं है कि उच्चतर अधिकारियों को मात्र अभ्यावेदन देने के कारण कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मीरज-हुबली लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2677. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीरज तथा हुबली के बीच की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में योजना पर स्वीकृति दी जायगी ;

(ग) क्या नई लाइन को बरास्ता गोकक बनाने की कोई मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मिरज-लोंडा, होसपेट-मार्मुगोवा और अलनावर दांडेली खंडों के आमान-परिवर्तन के लिये किये गए पिछले सर्वेक्षणों को अद्यतन करने का काम पूरा कर दिया गया है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इस लाइन के निर्माण का कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में निर्णय धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी हां।

(घ) सर्वेक्षण दल ने इस लाइन को गोकाक टाउन के रास्ते विशाखन के प्रस्ताव की जांच की है। रिपोर्ट की जांच कर लिए जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा।

मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण 'रोस्टर'

2678. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या सभी जोनल रेल प्रशासकों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर रखना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य रेलवे में द्वितीय श्रेणी की सेवाओं के लिए ऐसा रोस्टर है **और** उसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या अक्तूबर, 1975 में जनरल मैनेजमेंट विभाग में ए०पी०ओ० की चयन सूची तैयार करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। श्रेणी II की सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण की व्यवस्था 20-7-1974 से आरम्भ की गयी है। मध्य रेलवे के विभिन्न विभागों में श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों के दस और अनुसूचित जनजातियों के चार कर्मचारियों का एक पैनल बनाया गया है।

(ग) जी हां।

तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल की सप्लाई

2679. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल-उत्पादक देशों में से कौन से देश अशोधित तेल की सप्लाई के लिए हमारे साथ अत्यधिक अनुकूल व्यावहार कर रहे हैं ; और

(ख) यह अनुकूल व्यावहार कहां तक किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) तेल उत्पादक देशों के साथ किए गए विशिष्ट प्रकार के किसी करार का विवरण देना जनहित में ठीक नहीं होगा।

औषध निर्माता फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना

2680. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान औषध निर्मात्री फर्मों को कितने सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए तथा फर्मों के नाम उत्पादित की जाने वाली औषधियों तथा इन लाइसेंसों की क्षमता का क्या ब्यौरा है;

(ख) सी० ओ० बी० लाइसेंस देने का क्या आधार है तथा क्या पिछला उत्पादन अथवा अधिष्ठापित क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय के पास सी०ओ०बी० लाइसेंस के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं तथा उन पर कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ग) मैसर्स रूसल फार्मास्युटिकल्स (इण्डिया) लि०, बम्बई केवल औषध निर्माता कंपनी है, जिसको 1975 के दौरान सी० ओ० बी० लाइसेंस

दिया गया है। इस सी०ओ०बी० लाइसेंस के संबंध में विवरण जैसे निर्माण की मदें और उनकी क्षमताएं संलग्न विवरण पत्र-1 में दिए गए हैं। इस मंत्रालय में 5 सी०ओ०बी० लाइसेंस आवेदन पत्र विचाराधीन है। इस समय में आवेदन पत्र कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और हर एक आवेदन पत्र पर यथासंभव शीघ्र निर्णय किया जावेगा।

(ख) सी०ओ०बी० लाइसेंसों को प्रदान करते हुए क्षमता नियत करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाए जाते हैं :--

(1) जहां उत्पादन होना साबित हो जाता है और नियत तारीख से पहले एक वर्ष से अधिक की अवधि के उत्पादन को रिपोर्ट मिल जाती है तब क्षमता को सम्बन्धित उद्योगों/उत्पादों के सम्बन्ध में विनिश्चित की गई न्यूनतम लाभकर क्षमता के अधीन अधिकतम वार्षिक उत्पादन के तदनुरूप स्तर पर नियत किया जाता है।

(2) जहां नियत तारीख से पहले एक वर्ष से कम के अन्दर उत्पादन शुरू हो चुका था तब सम्बन्धित उद्योगों/उत्पादों के बारे में विनिश्चित न्यूनतम लाभकर क्षमता को नियत किया जाता है।

3. जहां उत्पादन साबित नहीं हो पाता है वहां आवेदक के उत्पादन यूनिट की स्थापना करने के लिये नियत तारीख से पहले उठाए जा चुके प्रभावी कदमों के सन्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इस उद्देश्य के लिए अग्रिम अदायगी के प्रमाण अथवा सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान की मदद के प्रमाण द्वारा समर्थित, स्वीकृत निर्माताओं को उत्पादन उपकरण के 60% तक आदेश देने की आशा की जाती है। जिन मामलों में सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि प्रभावी कदम उठाए गए हैं लेकिन पार्टी ने उत्पादन करना शुरू नहीं किया है वहां सी०ओ०बी० लाइसेंसों को जारी किया जाता है और सम्बन्धित उद्योगों/उत्पादों के लिए विनिश्चित न्यूनतम लाभकर स्तर पर क्षमता को नियत किया जाता है।

4. जहां उक्त (1) से (3) के अधीन एक न्यूनतम लाभकर क्षमता नियत की जाती है, वहां इस क्षमता को अस्थायी रूप में माना जाता है और अधिकतम वार्षिक उत्पादन के आधार पर अन्तिम क्षमता नियत को जाती है उसके बाद इसे तीन साल की अवधि के लिए उत्पादन में रखा जाता है।

5. जिन पार्टियों ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया था और निर्धारित तारीख से पहले ऊपर यथा वर्णित उठाए गए प्रभावी कदमों के सन्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। उन पार्टियों के सी० ओ० बी० आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

जहां न्यूनतम लाभकर क्षमता नियत करना व्यवहार्य नहीं होता है वहां इन मामलों में क्षमता नियत करने में निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाए जाते हैं :—

(क) यदि कोई यूनिट तीन साल से अधिक उत्पादन में लगा है, तो तीन सालों में से किसी वर्ष के दौरान अधिक उत्पादन के आधार पर क्षमता नियत की जाती है।

(ख) यदि कोई उपक्रम तीन साल से कम समय तक उत्पादन में लगा होता है अथवा अब तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, दावा की गई क्षमता अथवा प्रतिष्ठापित संयंत्र और उपकरण पर आधारित गणना के आधार पर क्षमता को अस्थायी रूप से नियत किया जाता है इन सब मामलों में कम से कम तीन साल की अवधि के दौरान उत्पादन देखने के बाद है। अन्त में क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। सूत्रयोगों को विभिन्न श्रेणियों जैसे गोलियां, इंजेक्शन आदि की अनेक मदें हैं जिसके लिए सी०ओ०बी० लाइसेंस

की औषध निर्यात कम्पनी द्वारा मांग की जाती है, क्षमता को अन्तिम तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मद के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा अत्यधिक सफलता प्राप्त उत्पादन के आधार पर श्रेणीवार नियत किया जाता है और जिन मदों के लिए सी०ओ०बी० लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं उन्हें सी०ओ०बी० लाइसेंस में अलग-अलग दिखाया जाता है।

विवरण

1975 के दौरान मैसर्स रूसेल फार्मास्युटिकल्स (इण्डिया) लि०, बम्बई के दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस के बारे में ब्यौरे

क्रम सं०	सी० ओ० बी० लाइसेंस की तिथि और संख्या	विषय/विषयों का निर्माण	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4
1.	आईएल सं० 551(75) दिनांक 27-12-75	1. गोलियां	475.36 लाख सं० प्रति वर्ष
		2. आइन्टमेन्टस	25,677 कि ग्रा सं० प्रति वर्ष
		3. लिक्युड ओरल	22,680 लिटर सं० प्रति वर्ष
		4. वाइल्स	11,98 लाख सं० प्रति वर्ष
		5. एम्पूल्स	719 लाख सं० प्रति वर्ष
		6. सोफाटूला	1000 यूनिटस सं० प्रतिवर्ष
		ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :--	
		गोलियां :	
		कोरटासियम 20 एस	
		मेन्ड्रेक्स 10 एस	
		एमेनोरोन--3 एस	
		डेक्साकारटीसिल तथा 10 एस	
		डेक्रासेरपिल तथा 12 एस	
		जरोमिल-30 एस	
		बीडीकारटीसिल 310 एस	
		बीडीकारटीसिल 20 एस	
		डेक्साकारटीसिल 10 एस	
		डेक्साकारटीसिल 100 एस	
		डेक्साकारटीसिल 300 एस	
		इथीनेस्ट्राइल-15 एस	
		इथीनेस्ट्राइल-30 एस	
		प्रोन्युरेन	लूटोनेट्राइल--20 एस
		आइन्टमेन्टस	
		प्रोक्टोसेडाइल आइन्टमेंट	
		सोफाडेक्स क्रीम	

1	2	3	4
		सोफ्रेमीसिन ओपथलमिक	
		आइन्टमेन्ट	
		सोफ्रेमीसिन चमड़ी के लिए क्रीम	
		लिक्युड ओरल्स	
		स्टेट्रेगिल 15 एस	
		स्टेरेबिल ड्राप्स	
		सोफ्राडके	
		स्टेराइल उत्पाद	
		वाल्स (संख्या)	
		सोफाकार्ट	
		सोफामाइसिन आइ ड्राप्स	
		कारटीसोनइन्जेक्टीबल	
		हैड्रोकारटीसोन इन्जेक्शन	
		25 और 125 मिली ग्राम	
		प्रेडनीसोलोन कोलीरिम	
		एम्पूल्स (संख्या)	
		ल्यूटोनेस्ट्राइल इन्जेक्शन	
		स्टेरनड्राइल 25 एमजी	
		स्टेरनड्रोइल रेटर्ड	
		स्टेरेजियल 15 सी	
		हैड्रोकारटीसोन इन्ट्राबेनस	
		इम्प्रेगनेटेड काज	
		सोफाटूल जिन्स	

औषध निर्यात फर्मों द्वारा भारत में संचित की गई विदेशी मुद्रा राशि और उनके द्वारा यहां से विदेश भेजी गई राशि

2681. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीर्षस्थ 10 औषध निर्माता फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा भारत में संचित की गई और कितनी राशि यहां से बाहर भेजी गई और कितना निर्यात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में उन्हें कितने मूल्य के आयात-लाइसेंस दिए गए और इस अवधि में उनकी बिक्री क्या रही ; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा किए जाने वाली आयात की मुख्य मदें क्या थी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) विभिन्न विदेशी औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा बनाए गए भंडार उत्पादन और भेजी गई राशि से सम्बन्धित आंकड़े हाथी समिति की

रिपोर्ट के अध्याय V के परिशिष्टों में दिये हुए हैं जिसकी एक प्रति 8-5-75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। वास्तविक आयात, वास्तविक निर्यात और आयात लाइसेंसिंग आंकडों से सम्बन्धित फर्मवार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, आई एण्ड० ई० टी० सी० संगठन द्वारा दिये गये सभी आयात लाइसेंसों के विवरण जैसे आयातकर्ताओं के नाम और पते, आयात लाइसेंस के मूल्य सामग्री का विवरण आदि के विवरण औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में किये गये कार्य में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

2682. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषा संविधान द्वारा उसको दिया गया दर्जा प्राप्त कर सके इस उद्देश्य से उनके मंत्रालय में एक ऐसा विंग बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो प्रारूप बनाने, अनुवाद करने तथा मंत्रालय का अन्य कार्य मूल रूप से राजभाषा में उसी प्रकार से करने के लिए हो जैसा अंग्रजी के माध्यम से किया जाता है ;

(ख) ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यह सम्पूर्ण प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : (क) से (ग) राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंपे गए कार्यों में, **अन्य बातों के साथ**, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना तथा किसी केन्द्रीय अधिनियम या अध्यादेश के अधीन जारी किए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना सम्मिलित है । यह आयोग विधि विशेषज्ञों का एक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 344(6) के अधीन तारीख 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में गठित किया गया है । यह विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की एक पृथक शाखा के रूप में कार्य करता है ।

संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक जो विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद् के प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि संसद् द्वारा पारित नहीं की गई है ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(2) में यह उपबन्ध है कि नियत दिन से ही उन सब विधयकों के, जो संसद् के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबन्ध में संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा मे प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। यद्यपि उपर्युक्त उपबन्ध को औपचारिक रूप से अभी तक प्रवृत्त नहीं किया गया है, तथापि राजभाषा (विधायी) आयोग संसद् के प्रत्यक सदन

में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों का हिन्दी अनुवाद, विधेयकों के पुरःस्थापन के प्रक्रम पर ही, संसद् सदस्यों को वर्ष 1970 से देता आ रहा है ।

इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि आयोग के विद्यमान स्वरूप में परिवर्तन किया जाए या नहीं, और इस विषय पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है ।

नाइट्रोजन पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य

2683. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976-77 के लिए नाइट्रोजन पर आधारित उर्वरकों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : 1976-77 के लिये उर्वरक पर आधारित नाइट्रोजन के उत्पादन लक्ष्य का इस समय 18.5 लाख मी टन नाइट्रोजन का अनुमान लगाया गया है ।

रेलवे के विभागीय जलपान गृहों को हुई हानि

2684. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा विभिन्न ज़ोनों में चलाये जा रहे विभागीय जलपान गृह हानि में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ज़ोनवार कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त हानि का पता लगाने के उद्देश्य से कोई जांच की है ; और

(घ) वहां परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्म पर प्रभाव पड़े बिना हानि समाप्त करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 में भारतीय रेलों को विभागीय कैंटीनों द्वारा कुल मिलाकर 14.26 लाख रुपये का लाभ हुआ था। लेकिन 1974-75 में लगभग 3.5 लाख रुपये का मामूली घाटा हुआ ।

(ग) और (घ) यह घाटा आपात स्थिति की घोषणा से पूर्व कच्चे सामान की बढ़ती हुई ऊंची कीमतों तथा अतिरिक्त वेतन और मंहगाई भत्ते से संबन्धित वतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के कारण हुआ । आपात स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप मूल्यों में गिरावट आई है और यह आशा है कि अन्य मितव्ययी उपायों के कारण यह घाटा पूरा हो जायेगा ।

विश्वव्यापी तेल संकट को ध्यान में रखते हुए हुबली-कारवाड़ रेल लाइन के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण

2685. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक**: क्या **रेल** मंत्री हुबली-कारवाड़ रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण के बारे में 23 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के उत्तर क संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वव्यापी तेल संकट से पूर्व अथवा बाद में इंजीनियरिंग अथवा यातायात सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या रेल परियोजना के मूल्यांकन के समय विचार केवल उसी परियोजना की लागत तक अथवा समस्त देश की कुल लागत तक ही सीमित रखा जाता है ;

(ग) क्या इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षकों ने वर्तमान तथा भावी आयात और निर्यात के बारे में कारवाड स्थित राज्य पत्तन अधिकारियों से विचार विमर्श किया था ; और

(घ) क्या प्रस्ताव को छोड़ देने से पूर्व उनके मंत्रालय ने बार-बार दिये गये अपने इस आश्वासन की ओर ध्यान दिया था कि देश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए अलाभकारी रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सर्वेक्षण 1973 में पूरे किये गये थे।

(ख) रेलवे परियोजना का मूल्यांकन करते समय परियोजना के वित्तीय प्रतिफल और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसके महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां, लेकिन संसाधनों के सीमित होने के कारण ऐसी सभी परियोजनाओं को शुरू करना संभव नहीं हो पाया है ।

मंगलौर उर्वरक कारखाने द्वारा उत्पादन

2686. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर उर्वरक कारखाने में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) क्या इस फैक्ट्री का उत्पादन मूल योजना अनुसार हो रहा है और समय-सूची अनुसार किया जा रहा है और यदि नहीं ; तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मंगलौर पत्तन के कम डुबाब के कारण उर्वरक उत्पादन हेतु कच्चे माल के आयात पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप इस कारखाने के उत्पादन में कमी हो सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 31-3-1976 को 65.52 करोड़ रुपये।

(ख) जहां मार्च 1975 के अन्त तक संयंत्र के मूल कार्यक्रम के अनुसार संयंत्र को यांत्रिक रूप से पूर्ण हो जाना था वहां संयंत्र वास्तव में जनवरी, 1976 तक पूर्ण हो पाया। संयंत्र के यांत्रिक रूप में पूर्ण होने में विलम्ब मुख्यतः आयातित एवं देशीय उपकरणों की डिलीवरी में विलम्ब होने के कारण हुई । 15-3-76 को अमोनिया तथा 20-3-1976 को यूरिया का परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ हुआ ।

(ग) और (घ) कम्पनी ने सूचित किया है कि चूंकि उनका कच्चा माल केवल नेपथा एवं ईंधन तेल है जिसे टैंकर द्वारा लाया जा सकता है तथा जिसे पोर्ट में तेल जैटी में रखा जा सकता है, इस समय मंगलौर पत्तन के कम डुबाब से उनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

औद्योगिक रसायनों की बाहुल्यता

2687. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे आधारभूत औद्योगिक रसायन कौन से है जो भारत के पास फालतू हैं ;

(ख) जिस वर्ष के नवीनतम उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हैं उसके कुल उत्पादन के मुकाबले रसायन की कितनी मात्रा फालतू है ; और

(ग) क्या इस फालतू मात्रा के लिये कोई समर्थन मूल्य व्यवस्था है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

रेलवे में पूंजी निवेश का आधार

2688. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में विकृत विकास के क्या कारण हैं क्योंकि 1950 से 1975 तक के 25 वर्षों में रेल पटरी 59315 किलोमीटर से बढ़कर 74197 किलोमीटर हुई अर्थात् इसमें 5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि कुल पूंजी निवेश 855-करोड़ रुपये से बढ़ कर 5050 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् इसमें 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई ;

(ख) रेलवे में पूंजी निवेश का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है ;

(ग) क्या रेलव में लेखा-विधि में सुधार करने के कोई प्रयास किए गए हैं ताकि इसे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की भांति आधुनिक व्यापारिक उपक्रमों के अनुरूप बनाया जा सके ; और

(घ) भारतीय रेलों में बही-खाते की प्रक्रिया में अन्तिम बार कब परिवर्तन किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यह कहना सही न होगा कि 1950 से 1975 तक भारतीय रेलों के विकास में विकृति पैदा हुई है। चालित रेलपथ में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, न कि 5 प्रतिशत की। इसके अलावा, रेलों की विकास योजनाओं पर जो पूंजी लगायी जाती है, उसका मम्बन्ध केवल रेलपथ किलोमीटरों में वृद्धि से नहीं होता। वास्तव में, पूंजी-निवेश का मुख्य भाग डीजल और बिजली रेल इंजनों, सवारी डिब्बों माल डिब्बों और अन्य चल स्टाक की खरीद, रेलपथ के विद्युतीकरण, सिगनल और दूर-संचार की आधुनिक योजनाओं, मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने, लाइन क्षमता के काम जैसे टर्मिनल और विन्यास यार्डों, पार स्टेशनों आदि पर खर्च होता है। इन सबसे उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने में सहायता मिलती है। दोहरी लाइन बिछाने का काम तो अन्तिम उपाय के रूप में किया जाता है जबकि अन्य सभी उपाय अपेक्षित क्षमता की व्यवस्था करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। रेलपथ पुलों, चल-स्टाक, सिगनल संस्थापनाओं आदि के आयु एवं अवस्था के आधार पर बदलाव और नवीकरण पर भी भारी निवेश करना पड़ता है। चल-स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि और रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा कर्मचारी कल्याण पर भी बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है। गत दो दशकों में निर्माण-कार्यों के खर्च में भारी वृद्धि और वेतन में वृद्धि के कारण पिछले वर्षों में किये गये निवेश की तुलना में बाद में किये जाने वाले निवेश में भी काफी वृद्धि हो गयी है।

(ख) रेल योजनाओं में निवेश के वित्तीय औचित्य के लिए आम तौर पर आमदनी में वृद्धि या संचालन व्यय में कमी का होना और डी०सी०एफ० तकनीक द्वारा इससे 10 प्रतिशत का प्रतिफल मिलना अपेक्षित होता है । महत्वपूर्ण योजनाओं की तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से औचित्य की जांच सर्वेक्षण दलों द्वारा की जाती है । बदलाव और नवीकरण पर खर्च, परिसंपत्तियों की आयु एवं हालत के आधार पर किया जाता है ।

(ग) रेलवे अभिसमय समिति, 1971 की सिफारिशों के आधार पर, टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि रेलवे बजट के स्वरूप और मदों को युक्ति-युक्त और सरल बनाया जा सके और रेलों पर उत्तरदायित्व तथा व्यवस्था के लेखे की प्रणाली का विकास किया जा सके ।

(घ) रेलों पर लेखा की वर्तमान प्रणाली मूलतः 1927 में लागू की गयी थी।

बरौनी उर्वरक परियोजना का विस्तार

2689. **श्री एन० ई० होरो : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरौनी उर्वरक परियोजना के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

अशोधित तेल की उत्पादन लागत में वृद्धि

2690. **श्री एन० ई० होरो:** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष में विभिन्न तेल उत्पादक और निर्यातक देशों में अशोधित तेल की उत्पादन लागत में हुई किसी वृद्धि के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश में प्रति बैरल कीमत में कितनी वृद्धि हुई है और साथ-साथ भारत में हुई उत्पादन लागत में वृद्धि की इससे क्या तुलना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विभिन्न देशों में वर्तमान वर्ष के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में वास्तविक लागत का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन

2691. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में गुजरात के तेल क्षेत्रों में तेल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है और गत दो वर्षों में कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) तेल के उत्पादन के बढ़े हुए वर्तमान स्तर की दृष्टि से उनमें और कितने वर्षों तक तेल रहेगा; और

(ग) क्या पहले ही तेल के इन कुओं के सूख जाने का कोई खतरा है जैसा कि कुछ समय पहले समाचार था ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। वर्ष 1975-76 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने गुजरात तेल क्षेत्रों से 4.13 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन किया, जब कि 1974-75 के दौरान 3.86 मि० मी० टन और 1973-74 के दौरान 3.61 मि० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था।

(ख) गुजरात में विभिन्न तेल क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में उत्पादन इष्टतम स्तर तक पहुंच गया है और अब उन क्षेत्रों से भूगर्भीय कारणों से उत्पादन दर कम होने वाला है, लेकिन कुछ नये क्षेत्रों, जिन्होंने अभी उत्पादन के इष्टतम स्तर तक पहुंचना है, से उत्पादन में वृद्धि से पहले वाले क्षेत्रों से उत्पादन में हुई कमी की क्षति पूर्ति हो जाने की सम्भावना है। इस संदर्भ में ओ० एन० जी० सी० की अपने गुजरात तेल क्षेत्रों से 1976-77 में 4.20 मि० मी० टन का उत्पादन करने की योजना है।

(ग) जी, नहीं। किसी भी क्षेत्र से उत्पादन दर को भंडार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियोजित किया जाता है।

उर्वरकों की उत्पादन लागत

2692. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी उर्वरकों की उत्पादन लागत तथा आयातित उर्वरकों की लागत के बीच प्रति टन कितना मूल्य अन्तर है; और

(ख) अन्तर के कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) स्वदेशी उत्पादित विभिन्न उर्वरकों की उत्पादन लागत, परियोजना की पूंजीगत लागत, प्रयोग में लाई गई सम्भरण सामग्री, स्वीकृत प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित तत्वों पर निर्भर रहते हुए उत्पाद से उत्पाद, तथा संयंत्र से संयंत्र भिन्न है। सप्लाई स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति पर निर्भर रहते हुए वर्ष से वर्ष में सी और एफ मूल्यों में बड़ा अन्तर पाया गया है। विभिन्न उत्पादक देशों में मुख्य आयातित उर्वरकों के सी और एफ मूल्यों में तथा संबंधित मदों की उत्पादन लागत में संबंध स्थापित करने के लिए कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार ने उर्वरक मूल्य समिति नामक एक समिति नियुक्त की जो वर्तमान आधार पर उर्वरकों के मूल्यांकन के अध्ययन तथा एक मूल्यांकन नीति की सिफारिश करे जिससे सतत् आधार के निवेश पर उचित वसूली को सुनिश्चित करे।

समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :--

(क) विभिन्न उर्वरक एककों की उत्पादन लागत जिससे पूंजी पर वसूली शामिल है जो उद्योग में निवेश को आकर्षित बनाने के निर्धारण के लिए मानदण्ड तैयार करना।

(ख) प्रयोग में लाई गई सम्भरण सामग्री, संयंत्रों का संचयन उत्पादन के अन्य प्रतिबन्ध, विभिन्न प्रचलित तथा पांचवी योजना के दौरान चालू होने वाली एककों के लिए निर्धारित मूल्य जो वसूली पर वांछित दर दे तथा प्रचलित मूल्य निर्धारण धारणा के लिए पूलिंग पद्धति की भी सिफारिश करे, से सम्बन्धित सुझाव देना।

(ग) विभिन्न उर्वरक कारखानों में अन्य मुख्य उत्पादन और सम्भरण सामग्री की लागत का निरीक्षण करे तथा सुझाव दे कि क्या सम्भरण सामग्री तथा उत्पादन मूल्यों को सुव्यवस्थीकृत किया जाना है।

(घ) सम्भरण सामग्री अथवा सभी मुख्य निवेशों की लागत में कोई वृद्धि/कमी के परिणामस्वरूप समय-समय से संयत्रवार निर्माताओं के कारखाने से बाहर वसूली में पुनरीक्षण के लिए सूत्र का सुझाव देना।

(ङ) आयातित लागत, पौष्टिक तत्व तथा समान ग्रेड वाले स्वदेशी उर्वरकों के मूल्यों से संबंधित आयातित उर्वरकों के मूल्यांकन के लिए एक नीति तैयार करना।

(च) कोई अन्य विषय जो उपरोक्त मामले से संबंधित या प्रभाव रखता हो, पर विचार करना।

समिति के निष्कर्ष सरकार को उत्पादन की उचित लागत निर्धारण करने में समर्थ बनायेंगे।

सरकारी क्षेत्र में नए औषध एकक आरम्भ करने के प्रस्ताव

2693. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत औषध और भेषज का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए एकक आरम्भ करने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दो सरकारी क्षेत्र के दो निर्माण एककों अर्थात्, इंडियन ड्रगस् एवं फार्मास्युटिकल लि० (आई० डी० पी० एल०) और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित विस्तार नई योजनाओं के ब्यौरे 9 मार्च, 1976 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर में दर्शाये गये थे।

(ग) प्रस्तावित तीन एककों अर्थात् बिहार में निकोटिनामाइड संयंत्र, गुड़गांव में सूत्रयोग एकक (दोनों आई डी पी एल) और सूत्रयोग प्लांट (एच०ए०एल०) में से केवल निकोटिनामाइड प्लांट की स्थापना के लिये एक स्विडिश फर्म मैसर्स ए बी बीफर्म के साथ विदेशी सहयोग करार की परिकल्पना की गई है। स्वीकृति विदेशी सहयोग करार में 20 मिलियन स्विडिश क्रोनर्स की एकमुश्त अदायगी की व्यवस्था की गई है बशर्ते कि तकनीकी जानकारी, नक्शों, डिजाइन, प्रलेख, निर्माण और संयंत्र को चालू करने आदि के लिये भारतीय करों की व्यवस्था की जाये।

तेल संकट के बाद औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

2694. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के तेल संकट के बाद विभिन्न विदेशी कम्पनियों को किन-किन फार्मूलेशनों के लिए तथा कितने मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई;

(ख) क्या 1974 के पैट्रोलियम संकट के बाद औषधियों के मूल्य में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो औषधियों को सस्ते और उपयुक्त मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत सांविधिक रूप में नियंत्रित है जिसमें कुछ निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मूल्य में पुनरीक्षण के लिए तरीकों की व्यवस्था है। 1974 के तेल संकट के बाद विदेशी कम्पनियों सहित विभिन्न कम्पनियों के बारे में मूल्य में वृद्धि और कमी सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। पैकटों की संख्या जिनका संशोधन किया गया है वे हजारों में है। इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला प्रयास और समय उससे प्राप्त संभव परिणामों से मेल नहीं खायेंगे।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 से औषधों के मूल्यों को अधिकतर उचित मूल्य पर रखना संभव हो गया है। गत तीन वर्षों के लिए 1961-62 को निर्धारित वर्ष मान कर औषधों और दवाइयों के थोक मूल्य की सूची निम्नलिखित है :--

वर्ष	रुपये
1973-74	148.7
1974-75	165.6
1975-76 (अक्तूबर तक)	198.8

अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ता के लिए औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए अब तक उठाए गए उपायों और अपेक्षित मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत करने के लिए और उपायों की सिफारिश करने के साथ-साथ इस उद्योग के विभिन्न तथ्यों की जांच करने के लिए सरकार ने औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति की नियुक्ति की है।

समिति ने 6 अप्रैल, 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कम मूल्यों पर औषधियों को उपलब्ध करने में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और मूल्य नीति का गहन पुनरीक्षण किया है। उचित मूल्यों पर औषधों को उपलब्ध कराने के प्रश्न और उसके साथ-साथ निर्माताओं के लिए उचित लाभ को सुनिश्चित करने को ध्यान में रख कर सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है।

संगठित क्षेत्र में औषध कम्पनियों को दिया गया कच्चा माल

2695. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में स्थित उन 10 शीर्षस्थ औषध कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें आयातित कच्चे माल, सरकारी एजेंसी द्वारा आयातित कच्चे माल और अन्य सुविधाओं के रूप में सहायता प्राप्त करने का लाभ हुआ है;

(ख) क्या आयातित/दिया गया कच्चा माल उपबन्धों तथा सम्बद्ध अन्तिम उत्पाद की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार तत्संगत है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयात के लिए कच्चे माल/विदेशी मुद्रा दिए जाने के क्या कारण हैं और उन कम्पनियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का बिल कम करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस के "बल्क" औषधियों का निर्माण

2696. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में 'बल्क' औषधियों के निर्माताओं को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन बिना औद्योगिक लाइसेंस के ऐसी औषधियों के निर्माण की अनुमति देने संबंधी अपनी नीति की घोषणा की है; और यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) कितने एककों ने अब तक इस सुविधा का लाभ उठाया है और उनके द्वारा बनाई जाने वाली प्रस्तावित 'बल्क' औषधियों का व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ने ऐसी 'बल्क' औषधियों के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है और क्या यह अनुमोदन सरकार की नीति के अनुरूप है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। यह औद्योगिक विकास विभाग के प्रेस नोट, दिनांक 25-10-75 के जरिए किया गया था जिनके विषय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए थे।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत कोई औषध संयंत्र अब तक डी जी टी डी के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।

बरौनी-गरहरा रेल क्षेत्र में हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान न किया जाना

2697. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी-गरहरा क्षेत्र में मार्च, 1971 में 33 दिन की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के कितने मामले अभी भी चल रहे हैं और कितने कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि की मजूरी अथवा वेतन नहीं मिला है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि की आवर्तक हानि हो रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अभी तक न्यायालयों में मामले चल रहे हैं 47

कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अभी तक हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं मिला . . 4,210

Casual Labourers Working in N.E. Railway

2698. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether after the abolition of the contract labour system, 1100 people of Garhara on North Eastern Railway have been working as casual workers since 23rd October, 1973; and

(b) whether these workers are being given annual increment and wages for the period they are under treatment for injury suffered while on duty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Casual Labourers who have attained temporary status on completing 120 days of continuous employment are being paid revised scale of pay. The question of grant of annual increments in their case is under consideration. They are, however, paid full wages for the period of medical treatment for injuries sustained while on duty.

केरल में गाड़ियों का बिजली से चलाया जाना

2699. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गाड़ियां चलाने हेतु कोयले के परिवहन पर रेलवे को भारी व्यय करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस तथ्य को तथा केरल में उपलब्ध सस्ती और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता को देखते हुए केरल में बिजली से गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाड़ियां चलाने के लिए कोयला के परिवहन पर होने वाला खर्च केरल में अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि वहां की गमन दूरी अधिक है।

(ख) रेलें राज्यवार आंकड़े नहीं रखतीं। लेकिन, केरल राज्य में स्थित लोको शैडों की औसत आवश्यकताओं के आधार पर बंगाल और बिहार की कोयला खानों से इन शैडों को कोयला के परिवहन की अनुमानित लागत 55.32 रुपये प्रति मीटरिक टन की दर से प्रति वर्ष लगभग 96 लाख रुपये आयेगी।

(ग) केरल में रेलवे लाइनों के बिजलीकरण का काम हाथ में लेने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बिजलीकरण पर बहुत अधिक पूंजी लगानी होती है तथा रेलों को उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर केवल ऐसे खण्डों के बिजलीकरण के संबंध में विचार किया जाता है जहां यातायात का घनत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि केवल ऐसे खण्ड ही अर्थक्षम हो सकते हैं।

रेलवे में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

2700. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे में श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के पदों का दर्जा बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा उन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : आशा है, रेलों मे अराजपत्रित संवर्गों के पुनर्गठन की योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के औषध एककों का कार्यकारी परिणाम

2701. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा**: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1975-76 की तुलना में वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के लिए उनके मंत्रालय के अधीन औषध संबंधी सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का कार्यकारी परिणाम क्या है;

(ख) उक्त तीन वर्षों में प्रत्येक उपक्रम के संबंध में करों को घटाने के पश्चात् शुद्ध लाभ में कितनी वृद्धि/कमी हुई तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा उक्त तीन वर्षों में इसके द्वारा वितरित की गई आयातित मदों पर कितना लाभ अर्जित किया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के लिए आई० डी० पी० एल० की वार्षिक रिपोर्ट संवीक्षा सहित 8 मई, 1975 तथा 19 जनवरी को और एच आई एल की 24 जुलाई, 1975 तथा 27 जनवरी, 1976 को क्रमशः सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

शुद्ध लाभ में वृद्धि/कमी तथा उनके परिणाम संवीक्षा में चिह्नित हैं।

वर्ष 1975-76 के लिए वार्षिक लेखे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं। आई डी पी एल के संबंध में तथापि 1975-76 के लिए अस्थाई कार्यकारी परिणाम 1974-75 के दौरान 249 लाख रुपयों की अपेक्षा 273 लाख रुपयों का लाभ दिखाते हैं।

(ग) आई डी पी एल द्वारा वितरित की गई आयातित प्रपुंज औषधों/मध्यवर्ती औषधों के व्यापारिक लेखे अलग नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आयातित तथा देशी सामग्री की बिक्री के लिए स्वीकृत पूल्ड मूल्यों की पद्धति संदर्भ में लाभांश पर संवीक्षा की जानी चाहिए, जिससे बाद वाले की हानि पहले वाले के लाभ द्वारा पूरी की जाए। प्रपुंज औषधों का वितरण आई डी०पी०एल० के विपणन प्रभाग द्वारा किया जाता है जो इस कार्य के लिए एक अलग व्यापारिक एकक के रूप में मानी जाती है। प्रारम्भिक वर्षों में इन औषधों के व्यापार में विपणन प्रभाग का लाभांश नुकसान में रहा। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान विपणन प्रभाग को लाभ निम्न प्रकार से हुआ:—

1973-74	93 लाख रुपये
1974-75	265 लाख रुपये
1975-76	55 लाख (अस्थाई)

गैर-संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी औषध कम्पनियां

2702. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा**: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो हमारे देश में औषध उद्योग के गैर-संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं;

(ख) वे किस प्रकार का कार्यकर रही हैं; उनके द्वारा निर्मित तथा व्यापार किये गये उत्पादों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितना उत्पादन किया;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने सरकार की अनुमति प्राप्त की तथा देश में आने से पूर्व सारी औपचारिकतायें पूरी कीं; और

(घ) सरकार का विचार उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिन्होंने बिना उचित प्राधिकार के अपना कार्य स्थापित किया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) से (घ) औषध उद्योग में गैर-संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. कापर लैबोरटरीज
2. जी० डब्ल्यू कार्न्ररिक कं० (एशिया)
3. इथनार लि०
4. सी०ई० फुलफोड
5. इण्डियन शैरिंग लि०
6. जान वैथ (ब्रदर्श)
7. निकोलस आफ इण्डिया लि०

उद्योग (विकास एवं विनियमन अधिनियम) की व्यवस्था के अन्तर्गत ये सभी कम्पनियों, मेसर्स इथनार लि० तथा इण्डियन शैरिंग लि० को छोड़कर, नहीं आती। मेसर्स इथनार लि० को सी ओ बी लाइसेंस देने के लिए आवेदन पत्र भेजे तथा मैसर्स इण्डियन शैरिंग लि० अन्य कम्पनी से अर्जित 1952 के पंजीकरण प्रमाणपत्र पर कार्य कर रही है।

अन्य कम्पनियों के बारे में बताया गया है कि वे सरकार की स्वीकृति पर औषध के उत्पादन/व्यापार कार्य के क्षेत्र में देश में कार्य कर रही हैं। सारे मामले की सरकार द्वारा जांच की गई तथा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की व्यवस्थाओं में संशोधन करने तथा कुछ कार्य-कलापों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत व्यापारिक कार्य समझने के लिए कुछ निर्णय किये गये हैं।

उनके कार्यकलापों में सम्मिलित औषध मदों की संख्या 110 है जिनमें से अनेक सूत्रयोग हैं, गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किये गये उत्पादन आंकड़ों के ब्यौरों तथा उनके द्वारा व्यापार किये जा रहे मदों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इन ब्यौरों को एकत्रित किये जाने में निहित समय एवं क्रम सम्भाव्य परिणामों से मेल नहीं खाते।

सलाया-कोयाली-मथुरा अशोधित तेल पाइपलाइन परियोजना की क्रियान्विति

2703. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 188 करोड़ रुपये की लागत वाली सलाया-कोयाली-मथुरा अशोधित तेल पाइपलाइन परियोजना की क्रियान्विति के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की अधिक मांग को यह कहां तक पूरा कर सकेगा ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पाइपलाइन प्रयोजना में विस्तृत कोयाली शोधनशाला और मथुरा स्थित एक नई शोधनशाला तक कच्चे तेल के परिवहन के लिये सलाया पर अपतटीय और तटवर्ती टरमिनल के निर्माण और सलाया से विरमगांम, से कोयाली तथा विरमगांम से मथुरा तक पाइप लाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है। प्रायोजना की अनुमानित लागत 188 करोड़ रुपये है।

प्रायोजना का चरण, जिसमें अपतटीय और तटवर्ती टरमिनल तथा सलाया से विरमगांव और कोयाली तक पाइपलाइन शामिल है, 1977 का अन्तिम तिमाही तक पूर्ण हो जाने की आशा है ताकि विस्तृत कोयाली शोधनशाला को भी यांत्रिक रूप से साथ-साथ पूरा किया जा सके। मथुरा शोधनशाला के यांत्रिक रूप से पूरा होने के साथ साथ 1971 की अंतिम तिमाही तक दूसरे चरण की दूरी, जिसमें सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन शामिल है, पूरा होने की आशा है। अर्ध-जल पाइपलाइन (42" डाइमीटर) सहित अपतटीय टरमिनल का डिजाइन कार्य पूरा हो गया है। निर्माण कार्य के लिये शीघ्र ही टेंडर जारी किए जाने की आशा है। तटीय टेंकों के निर्माण के लिए टैन्डर पहले ही प्राप्त हो गए हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

सलाया से विरमगांव तक पाइपलाइन (28" डाइमीटर) के निर्माण कार्य के लिये टेन्डर प्राप्त हो गये हैं और उनकी जांच हो रही है। विरमगांव कोयाली-खण्ड (18" डाइमीटर) का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। विरमगांव मथुरा खण्ड (24" डाइमीटर) की पाइपलाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और उसका डिजाइन कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। इस खण्ड का निर्माण सितम्बर, 1977 तक आरम्भ हो जाने की आशा है। विरमगांव कोयाली खण्ड के लिये पाइपों की सप्लाई हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा की जाती है जब कि सलाया विरमगांव खण्ड और अर्ध-जल पाइपलाइन के लिये पाइप विदेशों से मंगाये जा रहे हैं। सलाया मथुरा खण्ड के लिये पाइपों की आवश्यकता को अधिकांश रूप में राउरकेला स्टील प्लांट से पूरा किया जायेगा।

(ग) यह पाइपलाइन कोयाली शोधनशाला, जिसका 3 मिलियन मी टन तक विस्तार किया जा रहा है, और मथुरा शोधनशाला जिसकी डिजाइन क्षमता प्रति वर्ष 6 मिलियन मी टन तक होगी को कच्चे तेल की सप्लाई करेगी, कोयाली शोधनशाला के विस्तार के पश्चात् जिसकी क्षमता 1977 के अन्त तक 7.3 मिलियन मी टन हो जायेगी, उत्तर पश्चिम की आवश्यकता अधिकांश रूप में इस शोधनशाला से पूरी की जायेगी और 1980 में मथुरा शोधनशाला के चालू हो जाने पर मथुरा शोधनशाला के उत्पादन, और कोयाली शोधनशाला के क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के पश्चात् बचे हुए उत्पादन के उत्तर पश्चिम की आवश्यकता को अधिकांशतः पूरा किया जायेगा।

गाड़ियों का पटरी से उतर जाना

2704. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के प्रथम छः महीनों में अनेक गाड़ियां पटरी से उतरी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जिससे भविष्य में गाड़ियां पटरी से न उतरें ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत की सरकारी रेलों पर 1-4-1975 से 30-9-1975 तक की अवधि में 425 गाड़ियां पटरी से उतरीं।

(ख) पटरी से उतरने के निम्नलिखित कारण थे :--

(1)	रेल कर्मचारियों की गलती	292
(2)	रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	9
(3)	उपस्कर की खराबी	60
(4)	तोड़-फोड़	3
(5)	संयोगवश	49
(6)	कारण सिद्ध न हो सका	12
	जोड़	425

(ग) चूंकि गाड़ियों के पटरी से उतरने के लिए जिम्मेवार सबसे बड़ा एक ही कारण मानवीय गलती है अतः रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन, गाड़ियों के संचालन से सम्बद्ध कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जागृत करने और यह सुनिश्चित करने में लगे रहे कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और लाघव प्रणाली न अपनाएं। सभी दुर्घटनाओं की भली भांति जांच की जाती है और उन्हें दुबारा न होने देने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं जिस सीमा तक व्यावहारिक हो सका है, सिगनल और अन्तर्पाश की अपेक्षाकृत सुधरी व्यवस्था, दोषों का पता लगाने वाले पराश्रव्य उपकरण स्वचल टाई टैम्पिंग मशीनों आदि की व्यवस्था के रूप में प्रोद्योगिकी सुधार किये गये हैं। गाड़ी गिराने अथवा तोड़ फोड़ के कामों के लिए दण्ड बढ़ा कर मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास कर दिया गया है।

गोदावरी बेसिन में तेल की खोज

2705. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक आयोग को गोदावरी बेसिन में तेल प्राप्त होने की आशा है;

(ख) क्या उसने गोदावरी बेसिन तेल की खोज का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो खोज कार्य के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : क्षेत्रों का भूगर्भीय एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर अन्वेषी व्यधन कार्य के बारे में एक निर्णय लिया जायेगा।

पट्रोलियम खोज संस्थान का पुनर्गठन

2706. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पैट्रोलियम खोज संस्थान के पुनर्गठन हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या उक्त संस्थान के अन्तर्गत कोई नए प्रभाग स्थापित किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : जी, हां। तेल अन्वेषण के लिए व्यवहारिक भूविज्ञान के अनेक पहलुओं के अध्ययन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान देहरादून के पुनर्गठन का कार्य शुरु कर दिया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भूतपूर्व भूगर्भीय और भूभौतिकीय निदेशालिय को इस संस्थान के साथ मिला दिया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में गठित व्यधन प्रौद्योगिकी के नए निदेशालय को संस्था के इस व्यधन प्रभाग को दे दिया गया है जो एक व्यधन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेगा। इसी तरह इस संस्थान भण्डार समूह को अहमदाबाद में बनाए जाने के विस्तृत भण्डार अध्ययन संस्थान में पृथक किया जा रहा है। आई पी ई में भी उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का स्नातक प्रशिक्षण स्कूल को शामिल करने के लिए विस्तार किया है।

आंध्र प्रदेश में छिद्रण कार्य

2707. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का आंध्र प्रदेश में छिद्रण कार्य आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन से स्थान चुने गए हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों का भूगर्भीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद, सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर अन्वेषी व्यधन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।

बाजार में आधारभूत रसायनों की बहुतायत

2708. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में आधारभूत रसायनों की बहुतायत है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पर पटल प्रस्तुत की जायेगी।

गुजरात पैट्रो-कैमिकल्स की बेन्जीन तथा बुटाडाइन परियोजनायें

2709. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलयम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पैट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की गुजरात पैट्रो-केमिकल्स काम्लेक्स की बेन्जीन तथा बुटाडाइन परियोजनाएं चालू हो गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें इस समय काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उनके पूरा होने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) एकक निर्माणाधीन हैं। विभिन्न कार्य-कलापों की प्रगति निम्न प्रकार हैं:—

इंजीनियरिंग	90%
अधिप्राप्ति कार्यवाही	81%
स्थल पर उपकरण की डिलीवरी	22.5%
निर्माण	26%

(ग) और (घ) : उपकरण और सामग्री के लिये आर्डर देने और उनकी सप्लाई में हुई देरी के कारण इन एककों के पूरा होने में कुछ विलम्ब हुआ है।

इंण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित औषधियों की बिक्री में वृद्धि

2710. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित औषधियों की बिक्री में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या देश में आवश्यक औषधियों की अधिकांश मांग को पूरा करने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड दो और एकक बनायेगी, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1975-76 वर्ष के दौरान औषधों और एन्टीबायोटिक्स की कुल बिक्री क्रमशः 48.12 करोड़ रुपये की थी जबकि 1974-75 के दौरान 33.28 करोड़ रुपये की थी।

(ग) और (घ) : आई डी पी एल का पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान निम्नलिखित नए संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है :—

(1) बिहार में वेतिया में निकोटीनामाइड संयंत्र ; और

(2) हरियाणा में गुड़गांव में फार्म्यूलेशन संयंत्र।

निकोटीनामाइड संयंत्र की मुख्ये बातें 9 मार्च 1976 को लोक सभा अ० प्र० सं० 142 के उत्तर में दी गई हैं।

आई डी पी एल द्वारा प्रस्तावित फार्म्यूलेशन संयंत्र में गोलियां, एम्पूलस, वैल्स, आइन्टमेंट्स और सिरप जैसे सूत्रयोगों के विभिन्न प्रकार का उत्पादन शामिल है। प्रत्योजना के एक खण्ड के रूप में एक अतिकुशल अनुसंधान और विकास खण्ड होने की भी संभावना है।

तेल की खोज के लिए लीबिया के साथ समझौता

2712. **श्री मान सिंह भौरा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या पेट्रोलयम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तेल की खोज के मामले में लीबिया की सहायता करने हेतु उस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) लीबिया में तेल अन्वेषण कार्य करने के लिए उस देश के साथ हमारे करार करने की संभावनाओं के संबंध में अनेक अवसरों, जिसमें पैट्रोलियम मंत्री का नवम्बर 1975 में लीबिया का दौरा भी शामिल है, पर विचार विमर्श किया गया है पर अभी तक इस उद्देश्य से लीबिया के साथ कोई करार नहीं हुआ है। नवम्बर 1975 में मंत्री महोदय के लीबिया का दौरा करने के दौरान इन दो देशों के बीच तेल अन्वेषण में अन्य बातों के साथ साथ सहयोग देने के एक संलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे।

घाटभाड़ा तथा विलंब शुद्ध की वापस अदायगी सम्बन्धी दावों का निपटान

2713. **श्री सी० एम० मोहम्मद कोया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालाबार चैम्बर्स आफ कामर्स ने नेपाली चावल की ढुलाई से संबंधित घाटभाड़ा और विलंब शुल्क की वापस अदायगी संबंधी दावों को निबटाने के बारे में एक ज्ञापन पेश किया है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क की वापसी के किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं था। जब भी स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क की वापसी के दावे का कोई मामला प्राप्त होता है तो रेलों द्वारा प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर कार्यवाई की जाती है।

समस्तीपुर और मुज्जफरपुर के बीच स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव

2714. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच के रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यह कार्य कब आरम्भ होने की आशा है और इसे कब तक पूरा करने का विचार है

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) रेलें केवल रेल सीमा के अन्तर्गत स्टेशनों के पहुंच मार्गों की व्यवस्था और अनुरक्षण करती हैं। तदनुसार, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों के लिए पहले से ही उपयुक्त पहुंच मार्गों की व्यवस्था की गयी है और ये संतोषजनक हालत में है।

वातानुकूलित स्लीपर कोच चलाने का प्रस्ताव

2715. **श्री नवल किशोर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77 में किन मार्गों पर वातानुकूलित स्लीपर कोच चलाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : 1976–77 के दौरान किसी अतिरिक्त वातानुकूलित दो-टियर शयनयान को चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

2716. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थापित किये जा चुके हैं?

रसयान और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): कोयले पर आधारित उर्वरक सयंत्र उड़ीसा में तालचर तथा दूसरा आन्ध्र प्रदेश में रामागुंडम में कार्यान्वियन के अग्रिम अवस्था में हैं। तालचर परियोजना का वाणिज्य उत्पादन जुलाई, 1977 में तथा रामागुंडम परियोजना का 1977 में शुरू होने की आशा है। मध्य प्रदेश में कोरवा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र का कुछ प्रारम्भिक सिविल निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया है परन्तु परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी आगामी कार्यवाही सीमित संसाधनों के कारण धीमी करनी पड़ी।

24-परगना, पश्चिम बंगाल में भूकम्पीय सर्वेक्षण

2717. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आयातित उपकरण उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल के 24 परगना के कुछ क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण के काम में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ये उपकरण उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के 24-परगना से भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य सुन्दर वन के इलाके को छोड़कर मई 1976 के अन्ततक लगभग पूरा हो जाएगा। यातायात के प्रबंध से संबंधित समस्याओं के कारण सुन्दर वन का क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य वभाग की ओर से शुरू नहीं किया जा सकता है और यह कार्य निकट भविष्य में भूमौतिकीय ठेकेदार की सेवाओं को लेकर शामिल किया जाएगा।

कोयला भण्डार क्षेत्र के लिए रेल सम्पर्क

2718. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बांकुरा ज़िले में मेझिया के 'कोयला भण्डार क्षेत्र' को पूर्व रेलवे के अन्डाल अथवा आसनसोल से जोड़ने अथवा दक्षिण पूर्व रेलवे की वर्तमान लाइन को बढ़ाकर उससे जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इसी लाइन को बरास्ता आसनसोल-हल्दिया पत्तन से जोड़ा जा सकता है और क्या इससे हल्दिया पत्तन से कोयला निर्यात करने में बहुत सुविधा रहेगी ;

(ग) क्या इसी लाइन से आसनसोल/दुर्गापुर उद्योग समूह और हल्दिया पत्तन के साथ संचार व्यवस्था स्थापित हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (ग) जी हां।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने मेझिया कोयला खान को जोड़ते हुए बांकुरा से रानीगंज तक एक नयी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्तावित लाइन की लम्बाई 40 कि० मी० है। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के लिए 6 लाख रुपये रेलवे के पास जमा कर दिये हैं और सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

नागपुर से रेलवे कार्यालयों का स्थानान्तरण

2719. **श्री बसन्त साठे**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थित कतिपय रेलवे प्रतिष्ठानों/कार्यालयों को बिलासपुर अथवा किन्हीं अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Special Rail Car Manufactured by RDSO

2720. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Research. Design and Standards Organisation, Lucknow has manufactured a special rail car; and

(b) if so, the special features thereof and when will it be put on tracks ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

चित्तरंजन तथा जामतारा के बीच दिल्ली एक्सप्रेस में डकैती

2721. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी**:. क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20/21 मार्च, 1976 को रात्रि को पूर्व रेलवे के चित्तरंजन तथा जामतारा रेलवे स्टेशनों के बीच दिल्ली एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे में सशस्त्र डकैती हुई थी :

(ख) क्या उक्त डकैती टाटानगर–दिल्ली प्रथम श्रेणी की कम्पोजिट बोगी में हुई थी जो कि पटना में 11 अप से जोड़ी जाती है और क्या रेल कर्मचारियों को किसी सांठ-गांठ का पता चला है : और

(ग) सरकार का विचार उन रेलवे पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करने के दोषी पाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हां, 20-/21-3-1976 की रात को डकैती करमाटांड और मदनकट्टा के बीच पड़ी थी न कि जामताड़ा और चितरंजन रेलवे स्टेशनों के बीच।

(ख) डकैती 11 अप के कम्पार्टमेंट नं० 2046 के प्रथम श्रेणी के कूपे में पड़ी थी न कि पटना से 11 अप के साथ जुड़ने वाले टाटानगर–दिल्ली के मिले जुले डिब्बे में। इस मामले में रेलवे का कोई कर्मचारी सम्मिलित नहीं पाया गया।

(ग) चूंकि दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्गरक्षकों की व्यवस्था नहीं की गयी थी इसलिए सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ी औषध फर्मों द्वारा छोटे एककों को कच्चे माल की सप्लाई

2722. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होचस्ट, सरालई के मिकल्स, फीजर और ई० मर्क जैसी औषध निर्माण करने वाली कुछ बडी फर्मे लघू एककों को कच्चा माल सप्लाई करती पाई गई हैं और वे उनसे 'फार्मूलेशन' बनवाती है जिन्हें वे अपने नाम से और अपनी मोहर लगा कर बेचती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ऐसे काम करते हुए पाया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और(ख) संगठित क्षेत्र में अनेक निर्माण एकक अपनी कुछ मदों का निर्माण ऋण लाइसेंस के आधार पर अन्य एककों द्वारा करवा रहे हैं। औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऋण लाइसेंसिंग व्यवस्था अनुदेय है और इससे देश में विद्यमान प्लांट और मशीनरी के अधिकाधिक उपयोग में सहायता मिलती है। मार्च 1972 में संगठित क्षेत्र के जिन फर्मों में ऐसी व्यवस्थाएं थी, उनके ब्यौरे दिनांक 8-5-1973 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 9471 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये नवम्बर 1974 में प्रस्तुत की गई कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिये गये थे।

गोरखपुर उर्वरक कारखाना

2723. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गोरखपुर उर्वरक कारखाना पुराना पड़ता जा रहा है और उसका आधुनिकीकरण करने की जरूरत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार ने इस संबंध में रिपोर्ट देखी है।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि संयंत्र पुराना हो रहा है। संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है और ठीक तरह से कार्य कर रहा है। हाल ही में यह विस्तृत कार्यक्रम पर लगाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप उसकी क्षमता प्रतिवर्ष नाइट्रोजन के 80,000 मी टन से 1,31,000 मी टन तक बढ़ गई है जो यूरिया के 2,85,000 मी टन के बराबर है।

वफादार रेल-कर्मचारियों को आर्थिक लाभ

2724. **श्री राजदेव सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रेणी एक दो, तीन तथा चार के प्रत्येक वफादार कर्मचारी को वार्षिक वेतन-वृद्धि महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, नगर भत्ते तथा मकान किराया भत्ते के रूप में कितना अधिक लाभ हुआ है और अतिरिक्त वेतन वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक श्रेणी में सेवानिवृत्ति तक कुल कितना लाभ पहुंचेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेलों पर मई, 1974 में सामान्य हड़ताल की अवधि में जो रेल कर्मचारी वफादार रहे, उन्हें कुछ विशेष प्रकार के पुरस्कार दिये गये थे जिनमें 1-6-1974 को अलग-अलग व्यक्तियों को उनके तत्कालीन पद की एक-एक अग्रिम वेतन-वृद्धि भी शामिल थी। एक अग्रिम वेतन वृद्धि से प्राप्त वास्तविक लाभ, जिनमें महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अतिरिक्त नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता शामिल है, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न था। वह 1-6-1974 को उनके पद के वेतन, वेतनमान, उनके तत्कालीन वेतनमान में वृद्धि की अवस्था, उसकी सेवा की अवशिष्ट अवधि आदि पर आधारित था। अतः उपार्जित लाभ उसी श्रेणी (अर्थात् श्रेणी (i, ii, iii और iV) में अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होगा। फिर भी इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि जब वफादार रेल कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतनवृद्धि की योजना स्वीकृत की गयी थी, प्रत्याशित खर्च का अनुमान लगभग 8–9 करोड़ रुपये वार्षिक लगाया गया था तथा यह भी कि लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 5.7 लाख होगी।

अमरीका स्थित इंटरनेशनल फर्टीलाइजर डवलपमेंट सेंटर

2726. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के इंटरनेशनल फर्टीलाइजर डवलपमेंट सेंटर ने कम लागत पर बेहतर उर्वरक बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास किया है ;

(ख) क्या इस प्रौद्योगिकी से किस्म में 15 प्रतिशत सुधार होता है और उत्पादन लागत में 15 प्रतिशत की कमी होती है ;

(ग) क्या इंटरनेशनल फर्टीलाइजर डवलपमेंट सेंटर को हमारे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों को इस प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : संयुक्त राज्य में टेनेसी घाटी प्राधिकरण ने यूरिया पर आधारित मिश्रित उर्वरकों के निर्माण के लिये एक द्रवीभूत प्रक्रिया का विकास किया है। इस प्रक्रिया में एक पाइप रिएक्टर में अमोनिया और गरम करने से पूर्व फोस्फोरिक एसिड का प्रयोग, परम्परागत प्रक्रिया में मुख्य करने की कार्यवाही को समाप्त करना भी शामिल है।

इस प्रक्रिया में निहित निवेश और कार्य चालन लागत परम्परागत की लागत से कम होने का दावा किया गया है। चूंकि उत्पादन लागत में अनेक पहले शामिल है अतः यह बताना संभव नहीं है कि विभिन्न मदों के अन्तर्गत लागत में कितनी कटौती की जा सकती है इसके अतिरिक्त जहां इस प्रक्रिया से उत्पाद की गुण्वता में सुधार हो सकता है वहां सुधार की ठीक प्रवृत्ति को बताना भी कठिन है।

(घ) टी वी ए द्वारा विकसित प्रौद्योगिक को अन्य देशों को देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उर्वरक विकास केन्द्र एक एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। भारत को यह प्रौद्योगिकी देने के लिये आई एफ डी सी सहमत हो गई है, तथापि इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(PAPERS LAID ON THE TABLE)

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : श्री जियाउर्रहमान अंसारी की ओर से मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सं० सां० नि० 276 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (ए) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970, (दो) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1973, और (तीन) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण, और वितरण) आदेश, 1974 के सिक्किम राज्य पर विस्तारण संबंधी आदेश दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10707/76]**

लोक लेखा समिति

(PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE)

212, वां 213 वां और 217वां प्रतिवेदन

श्री एच०एन० मुखर्जी : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1 अप्रत्यक्ष कर में सम्मिलित सीमा-शुल्क प्राप्तियां संबंधी पैराग्राफों पर सीमा-शुल्क प्राप्तियां (राजस्व और बीमा विभाग) के बारे में 212वां प्रतिवेदन।

(2) बंगाल देश शरणार्थी (पुनर्वास विभाग) पर समिति के 149वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 213वां प्रतिवेदन।

(3) लेखा तथा प्रक्रिया संबंधी-मामलों [आर्थिक कार्य विभाग तथा वित्त मंत्रालय (रक्षा)] पर 217वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

(ESTIMATES COMMITTEE)

98वां और 95वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन पर 98वां प्रतिवेदन।

(2) योजना आयोग–पिछडे क्षेत्रों का विकास–समिति के 69वें प्रतिवेदन में दी गई–सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 95वां प्रतिवेदन।

दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में 19 अप्रैल, 1976 को हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. Incidents in the Turkman gate area, Delhi on 19-4-1976

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ एच मोहसिन) : दिल्ली के अनेक भागों में अतिक्रमणों के हटाने और अनधिकृत मकानों के गिराने के एक अभियान के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 13 अप्रैल, 1976 को तुर्कमान गेट के पास मकान गिराने का कार्य हाथ में लिया। जिन परिवारों को इस क्षेत्र से हटाया जाना था उनके लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं के साथ वैकल्पिक आवास अथवा स्थल उपलब्ध कराये गयें थे। यह कार्य 18 अप्रैल, 1976 तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा। उस समय तक 404 परिवार नई बस्तियों में भेज दिये गये थे।

19 अप्रैल, 1976 को प्रातः लगभग 10.30 बजे हटाये जाने वाले परिवारों के लगभग 500 व्यक्ति तुर्कमानगेट के पास जमा हो गये और उन्होंने मकान गिराने के कार्यों का विरोध किया। भीड़ में से कुछ नेताओं ने उत्तेजनात्मक भाषण दिये। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने, जो घटना स्थल पर थे, परिवारों की मांगों के बारे में सही स्थिति का स्पष्टीकरण दिया और उन्हें कुछ समय के लिए शान्त किया। दोपहर एक बजे के आस-पास तुर्कमान गेट क्षेत्रफल के पास फजल-ए-इलाही मस्जिद में नमाज समाप्त करने के बाद लगभग 3000 की भीड़ इकट्ठी हो गई और ईटं पत्थर व सोडा वाटर की बोतलें, एसिड बल्बस इत्यादि फैंकने शुरू कर दिये। समाज विरोधी तत्व आसफअली रोड से लगे बाजार क्षेत्र में भी गये और हिंसा तथा गुंडागर्दी करने लगे। तुर्कमान गेट पुलिस चौकी से लगी एक इमारत में आग लगाने का प्रयास भी किया गया। उपद्रवी भीड़ ने पुलिस की चौकी को भी घेर लिया। इन घटनाओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर डिप्टी कमीश्नर और डी० आई० जी० समेत वरिष्ठ अधिकारी कुमुक लेकर घटनास्थल पर पहुचे। जब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आग्रह और बार-बार दी गई चेतावनी असफल हो गई तो पुलिस को बेंत चलाने पड़े और अश्रु गैस छोड़नी पड़ी ये भी प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुये और भीड़ अधिक हिंसक होती गई। भीड़ द्वारा तथा छतों पर से पथराव किये जाने के परिणामस्वरुप दो पुलिस अधीक्षकों तथा तीन मजिस्ट्रेटों सहित 34 अधिकारी घायल हो गये चूंकि स्थिति बिगड गई थी और बस्ती में जान और माल को गम्भीर खतरा हो गया था इसलिए उपद्रव की भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके पश्चात स्थिति नियंत्रण में लाई गई। गोली बारी के परिणामस्वरूप 3 व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये और घायल होने के कारण 3 और व्यक्तियों की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। उपद्रवियों में से अन्य 11 व्यक्तियों जिनमें से एक गोली से घायल हुआ था तथा 8 पुलिस कर्मचारियों जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।

एतिहाती उपाय के तौर पर थाना जामा मस्जिद क्षेत्र में और कमला मार्केट और हौज काजी के कुछ भागों में तुरन्त कर्फ्यू लगा दिया गया। थाना जामा मस्जिद के क्षेत्र में कर्फ्यू अब भी जारी है जिसमें प्रति दिन दो घंटे की ढील दी जाती है।

इन घटनाओं के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/186/353/332/307 तथा डी० आई० एस० आई० आर० के नियम 69 के अधीन जामा मस्जिद और कमला मार्केट थानों में तीन मामले दर्ज किये गये हैं। इस संबंध में 453 व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये जा चुके है। इस क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।

अनुदानों की मांगे 1976-77—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1976-77—*Contd.*

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

अध्यक्ष महोदय : श्री महाजन अपना भाषण जारी रखें।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : जैसा कि मैंने कल कहा था, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की दिशा में गत 27 वर्षों में हम विफल रहे हैं। अभी भी निरक्षर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का उद्देश्य सुगमता से प्राप्त करने के लिए जहां भी सम्भव हो स्कूलों में दो पारियां चलायें और सेवा निवृत प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की सेवाओं का अंश कालिक आधार पर उपयोग करें।

शिक्षा की प्राथमिक अवस्था पर ही बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं और लाखों की संख्या में बच्चे प्राथमिक स्कूलों में जाते तक नहीं हैं। 15 से 25 वर्ष की आयु वाले वर्ग में 5.2 करोड़ युवक ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। ऐसे युवकों को इस देश का उपयोगी नागरिक बनाने, पढ़ाई छोड़ देने वाले और 6-11 वर्ष की आयु वाले निरक्षरों को शिक्षित बनाने के लिए और कृषि तथा उद्योगों में लगे इससे अधिक आयु वाले निरक्षर लोगों की सहायता के लिए सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक जिले में अनौपचारिक शिक्षा देने का महत्वाकांक्षापूर्ण कार्यक्रम पहले से ही चला रखा है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है परन्तु उसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि अध्यापक उसे किस सीमा तक पूरा कर पाते है।

इन कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है जिसके लिए ग्रेट ब्रिटेन में बने खुले विश्वविद्यालय के व्यापक ढांचे के आधार पर एक राष्ट्रीय जन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे उन लोगों को भी अवसर मिलेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। इससे लोगों को अपनी पसन्द के व्यवसाय में विशेषज्ञता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

स्कूल और विश्वविद्यालय-पूर्व शिक्षा का दस जमा दो वर्षीय ढांचा लागू करना एक ऐसा परिवर्तन है जिसके व्यापक सुपरिणाम निकलेगें। इस नये कार्यक्रम को अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब दस वर्षीय स्कूल शिक्षा में कार्यानुभव भी शामिल कर दिया गया है। इससे छात्रों में कार्य के प्रति उचित रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी और उनमें परिश्रम के प्रति सम्मान का भाव आयेगा और कक्षाओं की सीमा बन्दी समाप्त हो जायेगी।

जहां तक शिक्षा के लिए वित्त का संबंध है, पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में, जिसमें यह वर्ष भी शामिल है, धनराशि का आवंटन बहुत अधिक घटाया गया हैं। अत: पांचवी योजना के दौरान शिक्षा पर कुल व्यय चौथी योजना के दौरान हुए व्यय की अपेक्षा सम्भवत: कम होगा जबकि कीमतों में भी वृद्धि हुई है। शिक्षा एक आधारभूत कार्य है और उस पर देश का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास निर्भर है। इसलिए शिक्षा के लिए बहुत अधिक धनराशि नियत करना आवश्यक है ताकि शिक्षा संबंधी अपनी आयोजना में रखे गये लक्ष्यों को हम काफी हद प्राप्त कर सकें। इन विचारों के साथ में शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Prof. S.L. Saksena (Maharajganj) : Education plays most important role in the building of a nation. But unfortunately if has not been given due importance in our country. That is why in the annual budget only a sum of Rs. 167 crores has been provided for education. For a population of 60 crores this amount is too meagre. It should be substantially increased.

The primary education that is being given to our children today is a farce. In villages there are no proper school buildings and the teachers adopt corrupt practices. This type of primary education should be scrapped and instead more and more nursery schools should be opened where proper care is taken of the children as is the case in advanced countries. In socialist countries like the Soviet Union about 6-7 hundred roubles are spent on a child. After every two children there is one nurse to look after them. So long this is not done in our country, the foundation of our country will continue to be weak.

Similarly the secondary schools are also not being run properly and the teachers do not take enough interest. There is need to improve their functioning. For this purpose much more funds will have to be provided than at present.

The university education is looked after by the U.G.C. Unfortunately, the U.G.C. budget is only of Rs. 70 crores which is very inadequate. It should be doubled. More grants should be given to the affiliated colleges and there should be a balanced distribution of funds among various colleges. At present we find that in the Jawaharlal Nehru University and Delhi University the average expenditure per student in a month comes to about Rs. 3000 whereas in many institutions it is as low as Rs. 10 to Rs. 20. This sort of discrimination cannot be tolerated and it must be stopped.

There is a reference in the Ministry's report about concession for children of victims of the Armed forces during the last war. But there is no concession for the children of the freedom fighters. Government should consider this and the concession given to the children of the victims of the Armed Forces should be extended to the children of the freedom fighters.

It is regrettable that not enough amount is being spent on the development of Hindi, even though it has been made the official language. On the other hand English is being neglected. This trend will be very harmful for the country. While Hindi should be made compulsory and its vocabulary should be enriched. English should also be retained because it is the largest repository of knowledge in the world.

It is very sad that the status of the U.G.C. has been lowered. In the past, the office of the Chairman of this body was held by men of outstanding eminence in the field of education. But it is not so now. The office of the U.G.C. chairman is a post of very high status and it should be given only to persons who have either been vice-chancellors or Chairman of any commission and are eminent educationists of the country.

Shri Nageshwar Dwivedi (Mahchhlishahr) : While supporting the demands for grants of the Education Ministry, I would like to draw the attention of the Government to the present system of education in our country. Our present ecuational system has become outdated and there is great need of overhauling it on the basis of our past experiences. It should not only be made job-oriented but also an instrument of character building of our youngmen.

When the three language formula was mooted it was presumed that it would include Hindi, English and any regional language. But what we find today is that in some part Hindi is not being mentioned at all. It is high time that the whole thing is reconsidered. Hindi must get its due place.

It is regrettable that Sanskrit which has a rich literature, has all along been neglected in our country. It is high time that Government should realise the importance of Sanskrit literature and it is made available to the people by translating the same in Hindi and other regional languages. Government should also encourage the study of Sanskrit language through the old teaching system which lays more emphasis on grammar.

There is a large number of historical monuents in our country and they are spread over in various parts. If excavation work is carried on there, new historical facts can be revealed. Government should pay more attention to this work.

So far as Social Welfare is concerned there is no doubt that there has been considrable progress in the field of education of the tribals. But there is one thing that has not received due attention and it is the custom of drinking among these people. It is high time that some concrete steps are taken to stop these people from drinking as it adversely affects their heath. The handicapped persons should be trained so that they are enabled to earn their livelihood.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : स्वाधीनता के 26 वर्ष के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तविकताओं से अभी तक विमुख हैं। क्या आज की शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों को यह सिखाया जाता है कि वे लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता के लिए कृतसंकल्प हैं और उन्हें समाजवाद के लिए संघर्ष करते रहना है? ये वे लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्र ने संकल्प उठाया था। आज यदि हम पाठ्य-पुस्तकों को विशेषकर स्कूल छात्रों के लिए विहित पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ें तो ज्ञात होगा कि उनमें बहुत ही प्रतिक्रिया-वादी तथा कालातीत विचार प्रस्तुत किये हुए है। ऐसी पाठ्य-पुस्तकों द्वारा हमारे देश के युवकों की विचार-धारा को उस दिशा में मोड़ा जाता है जो हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

हमने हमेशा इस बात की मांग की है कि शिक्षा प्रणाली को स्कूल प्रबन्धकों की मर्जी पर न छोड़ा जाये। दुर्भाग्यवश, हमारे यहां अधिकांश शिक्षा संस्थाएं निजी प्रबंधकों के हाथ में हैं जिन्होंने इन संस्थाओं को अपना लाभकारी उद्यम बना रखा है। जहां तक धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल हैं उनमें छात्रों पर अनिवार्य रूप से विशेष प्रार्थनाएं थोपी गई हैं। हमारे जैसे लोकतंत्रात्मक देश में ऐसी बातें वांछनीय नहीं हैं। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और पाठ्य-पुस्तकें सरकार स्वयं एक ऐसी एजेन्सी के माध्यम से तैयार कराये जो शिक्षा विषयक सामग्री की नियमित रूप से समीक्षा कर सके ताकि हमारी शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली हो।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी पुरानी पड़ चुकी है। इस प्रणाली में छात्रों को काफी संकट से गुजरना पड़ता है। इसमें स्मरण शक्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सरकार को इस परीक्षा प्रणाली में शीघ्र ही कुछ सुधार अवश्यक करने चाहिए।

पब्लिक स्कूल एक लम्बे समय से चली आ रही धरोहर है। हमारे यहां ऐसी संस्थाएं है जो हमारे देश में विशिष्ट उच्च वर्ग का निर्माण कर रही हैं जबकि यह समाजवाद के सिद्धान्त के विरुद्ध बात है। इन संस्थाओं को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए और इस देश से पब्लिक स्कूलों की होड़ का अन्त करके, जिस पर कि सरकारी धन खर्च किया जाता है, देश को आगे बढ़ाना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

खेद की बात है कि सी० आई० ए०, रा० स्वयं सेवक संघ और आनन्द मार्ग जैसे संगठन हमारे शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय हैं। सरकार ने यह एक साहस पूर्ण घोषणा की है कि ऐसे संगठनों का सफाया कर दिया जायेगा, परन्तु जो कुछ हमने किया है उसका परिणाम हमारे सामने है। न केवल अध्यापकों में वरन् छात्रों में ऐसे तत्व विद्यमान हैं। इन तत्वों का सफाया करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं? सम्भवतः इस दिशा में कुछ अधिक प्रयास भी नहीं किया गया है।

कुछ समय पूर्व हमने सरकार को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें यह सुझाया था कि जो संगठन समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के मामलों में सरकार का समर्थन करते हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए आहवान किया जाये। 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद हमने सरकार से पुनः यह अनुरोध किया कि जो संगठन इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं उन्हें उसकी क्रियान्वित की दिशा में समुचित भूमिका निभाने का अवसर दिया जाये, परन्तु यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। संगठित युवा वर्ग तथा छात्र संगठनों का समर्थन प्राप्त किये बिना यदि शिक्षा मंत्री यह समझते हैं कि वह इस कार्यक्रम को अपने सचिवों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकेंगे तो यह उनकी सरासर मिथ्या धारणा है।

जहां तक अपंग व्यक्तियों का सम्बन्ध है, सरकार उनके कल्याण के लिए कुछ कर रही है, परन्तु उनके प्रति और अधिक सहानुभूतिपूर्ण और रचनात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोगों को समाज में उचित स्थान मिल सके।

डा० वी० के० आर० वी० राव (बल्लारी) : मैं शिक्षा मंत्रालय की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि इस मंत्रालय को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मंत्रालय के पास धन का भी अभाव रहता है तथा जो कुछ धन इस के पास होता भी है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे संगठन खर्च कर देते हैं। इसलिए वास्तव में यह मंत्रालय अधिक कुछ नहीं कर सकता हो सकता है इस मंत्रालय को अभी कुछ और समय तक ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़े।

मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस मंत्रालय को अभी बहुत से अधूरे कामों को पूरा करना है। इन में से सब से पहला कार्य प्रौढ़ शिक्षा के बारे में है। मैं कई वर्षों से इस बात पर बल देता आ रहा हूं कि हमें अपने देश के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में तीस करोड़ से भी अधिक लोग अशिक्षित हैं। आजादी के बाद अशिक्षित लोगों की संख्या और बढ़ गई है। चाहे हम देश में लोकतंत्र ले आए या औद्योगिक विकास कर लें या विज्ञान और प्रोद्योगिकी को समृद्ध करलें या अन्ध विश्वासों को दूर कर लें परन्तु जब तक हम लोगों को शिक्षित नहीं बनाते तब तक हम उन्हें इन सभी बातों से वंचित रखेंगे।

जब मैं मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था तब सरकार ने प्रौढ शिक्षा के लिए कुछ धनराशि नियत की थी तथा प्रौढ शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की भी स्थापना की थी। मैंने सभी राज्य मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे इस निकाय का सदस्य बने और प्रौढ अशिक्षा को दूर करने में जाती तौर पर रुचि लें। इस के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कुछ हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस बारे में कितना धन व्यय किया जा रहा है। कौनसा संगठन इसकी देखभाल कर रहा है। यह उचित समय है जब हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। यदि हम आपात स्थिति में कुछ नहीं कर पाए तो न जाने प्रौढ अशिक्षा की समस्या कब तक हल होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा जो अधूरा काम रह गया है वह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की समस्या उसमें अपव्यय और गतिहीनता है। प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने की समस्या की ओर सर्वप्रथम हेर्टजाग समिति ने वर्ष 1928 में हमारा ध्यान दिलाया था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले 100 छात्रों में से चौथी पांचवीं कक्षा तक केवल 40-45 छात्र ही पहुंच पाते हैं। यह समस्या अब भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अन्य देशों में प्रायः यह कहा जाता है कि भारत के बहुत से लोग पढे लिखें नहीं हैं। अत: सरकार को

इस समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो छात्र बीच में अपनी पढाई छोड़ देते हैं उन्हें रोका जा सके । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कम से कम पांचवीं कक्षा तक अवश्य पढें।

तीसरी विकट समस्या शिक्षा के माध्यम के बारे में हैं। महात्मा गांधी के समय से यह कहा जा रहा है कि शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि इस सुझाव का क्या हुआ है ? निहित स्वार्थ वाले लोग सदा यह प्रयास करते रहे हैं कि भारतीय भाषाएं उच्च शिक्षा का माध्यम न बनें। आज 1976 में अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों की संख्या पहले से बहुत अधिक है । ऐसे स्कूलों में अब अधिक छात्र प्रवेश पा रहे हैं। देश के सभी धनी लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में शिक्षा पाने के लिए भेजते हैं । यदि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहना है तो हम देश के विकास की कैसे अपेक्षा कर सकते है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं। हम सब को अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसे शिक्षा का माध्यम क्यों बनाया जाए। आपात काल में जैसे हम मूल अधिकारों पर पुनर्विचार करने की बात सोच रहे हैं वैसे ही हमें भाषा की समस्या पर विचार करना चाहिए।

चौथा अधूरा कार्य त्रिभाषी फार्मुले के बारे में है। मैं इस बारे में अधिक न कहते हुए केवल यह जानना चाहूंगा कि इस फार्मूले का क्या बना है। त्रिभाषी फार्मूले का उद्देश्य यह था कि जो अहिन्दी भाषी लोग हैं वे हिन्दी सीख लें तथा जो लोग हिन्दी भाषी हैं वे हिन्दी के अलावा एक अन्य भाषा सीख लें। इस फार्मूले को कार्य रूप देने के लिए हमने देश के भिन्न भिन्न भागों में कुछ संस्थाएं भी खोली थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह त्रिभाषी फार्मूले अभी चालू है या कि इसे समाप्त कर दिया गया है ?

एक और अधूरी बात भारतीय भाषाओं के बीच सम्पर्क के बारे में है। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि हमारे देश में अब एक भाषा से काम नहीं चल सकता चाहे हम सदा हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की बात करते रहते हैं । तमिलनाडु में सरकारी स्थापनाओं, रेलवे तथा डाकघरों द्वारा भी साइन बोर्ड हिन्दी में नहीं लगाए जा रहे हैं। अतः ऐसे लगता है कि यहां कई भाषाएं बड़ी एंव छोटी अवश्य रहेंगी। परन्तु इन भाषाओं में आपसी सम्पर्क क्या है।

आचार्य विनोबा भावे तथा अन्य महान व्यक्तियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि हमें इसके लिए एक अतिरिक्त लिपि बना लेनी चाहिए। अतः मेरा सुझाव हैं कि शिक्षा मंत्री को सूचना और प्रसारण मंत्री के सहयोग से सभी भारतीय भाषाओं का देवनागरी में लिप्यन्तरण कराने का एक महान कार्य आरम्भ करना चाहिए । इससे उन लोगों को, जो दो या अधिक भारतीय भाषायें सीखना चाहेंगे, लिपि की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अगली अधूरी बात प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में है । हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई हैं तथा माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है और दूसरी ओर उच्च शिक्षा पर बहुत धन व्यय किया गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में हायर सकेंडरी तथा इससे ज्यादा पढे लिखे लोगों की संख्या तीस पेंतीस लाख हो गई है । इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाए।

इसके बाद मैं विज्ञान के प्रश्न को लेता हूं। हम बच्चों को विज्ञान पढाने की बात करतें हैं। परन्तु क्या हम उन्हें विज्ञान पाठ्यपुस्तकों और प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के माध्यम से ठीक तरह से पढ़ा सकते हैं। हमें इसके लिए एक ऐसी निती अपनानी चाहिए जिससे इस देश के बच्चों को एक तो पर्यावरण के नियंत्रण का ज्ञान हो सके और दूसरे दैनिक घटनाओं का लेक्चर के अलावा अन्य उपायों से ज्ञान हो सके।

इस के बाद मैं सामाजिक जागृति के प्रश्न पर आता हूं। हम सदा यह कहते आ रहे हैं कि शिक्षा संस्थाएं विशेषकर उच्चतर शिक्षा संस्थाएं समुदाय का अंग नहीं हैं। हम ने इस संबंध में लेख लिखकर, भाषण देकर, गोष्ठियां करके यह कहा है कि उच्चतर शिक्षा की प्रत्येक संस्था को समुदाय का अंग होना चाहिए तथा उसे समुदाय की सेवा करनी चाहिए। जब जरूरत हो तो समुदाय को उनके पास जाना चाहिए तथा जो लोग उन संस्थाओं में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उन्हें गली मुहल्लों में जाकर लोगों से मिलना चाहिए जिससे लोगों को यह महसूस हो स्कूल, कालेज तथा संस्थाएं समुदाय के लिए उपयोगी हैं। इसी को हम सामाजिक जागृति कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है तथा राष्ट्रीय सामाजिक सेवा कार्यक्रम के पुनर्गठन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यह एक अच्छा कार्यक्रम है जिसे कुछ समय पहले ही आरम्भ किया गया था तथा कई स्थानों पर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कालेज में प्रवेश पाने से पहले या प्रवेश के बाद या कालेज में पढ़ते समय समाज सेवा करना अनिवार्य करने जा रही है? मेरे विचार से तो समाज सेवा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।

मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता परन्तु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि अब मौका है, जब हम किसी भी चीज को नया मोड़ दे सकते किन्तु एक वर्ष पूर्व ऐसा करना सम्भव नहीं था।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh): I got an opportunity to visit Ladakh and Nagaland last year. I found that there was still as large store of ancient books there. Some of the books were in prakrit and others in Sanskrit. The books were so old that they could be torn when used. So, I feel that Government should take steps to go through those books and undertake the publication of such of them as may be found useful.

As far as the three-language formula is concerned I do not know whether it has done any dis-service to any other language or not but it has certainly done greatest dis-service to Sanskrit uptill now. Sanskrit has been preserved uptill now because it got patronage from native rulers and princes. But the efforts being made by the Ministry to preserve and develop it are inadequate. The rulers used to give scholarships to students of Sanskrit as an incentive. Now our Government should give scholarships to students of Sanskrit as an incentive. At the same time Government should provide some means of livelihood to the old scholars of Sanskrit also. The three-language formula should be enforced in such a way that it does not affect the teaching of Sanskrit. The Government should find out whether the number of Sanskrit scholars has decreased or has remained the same after the introduction of three-language formula.

Our hon. Minister has announced the new system of education. But I have not been able to understand whether it will prove beneficial or not in our country. I feel that the new system of education in our country should be organised in such a way that it preserves the old morals and at the same time ensures scientific advancement.

There is also a problem of illiteracy in our country. The ex-Minister of Education had just now stated that illiteracy has increased in our country. We can remove illiteracy by giving incentive to such primary, middle and High School teachers who would teach illiterate persons during their vacations. Some additional increments can be given to such teachers who would make illiterate persons literate during their leisure time.

In a country like India which has limited resources we should make more use of these institutions. These institutions can be utilised for students of rural areas. In these institutions vocational education could be imparted to students of rural areas.

At the end, I would like to say one thing more regarding Aligarh Muslim University. I find that in the report law and order situation in Aligarh Muslim University has been appreciated. But the Government should be vigilant to see that the earlier incidents do not recur there.

Shrimati Savitri Shyam (Aovla) : The allocation of funds for the Ministry of Education during this year are very meagre. This amount is not sufficient for the development of education. By allocating meagre funds we have done injustice to the youth of our country. But the way the hon. Minister has distributed funds for various activities in the field of education is very good. He deserves compliments on that account.

It is good that as a result of an appeal made by our hon. Prime Minister that the benefit of results of technology and research should be extended to our rural areas also, the I.I.T. of Kharagpur, Madras and Delhi have taken the projects of drought, energy and housing respectively in their hands.

As far as the primary education is concerned we have not been able to make much progress in this field even after the achievement of Independence. Even now the percentage of children receiving primary education is very small. It is 61.4 p.c. in the case of boys and 38.5 p.c. in the case of girls. It is perhaps because primary education is a State subject. So I think that we should not leave this item of primary education to the States. We should include it in the concurrent list.

Education is a vast subject. So unless all share the responsibility much progress cannot be made in this connection. In order to bring about allround development in the field of education the primary education should be made compulsory education. I think that the expenditure which is incurred on the maintenance of administrative structure of the Ministry of Education should be diverted to the primary education. It is in this way that we can make all the children of our country literate.

Some time back the programme of adult education and informal education was initiated. For this purpose some schools were also opened at some places. In my block area also about five schools were opened. There was a proposal to pay fifty rupees per teacher appointed for this purpose. But I find that the enthusiasm with which these schools were started has now vanished.

I am not against missionary schools or public schools. These schools have also helped developing education in our country. But my objection is that thereby some classes are being created in our country. The Kothari Commission had suggested that neighbourhood schools should be opened in each rural bloc. It was also suggested that these schools should be set up on English pattern. I do not know whether any such schools have been opened any where or not ?

Some colleges are running on the tuitions they get from the students. The lecturers of these schools do not have any security for their jobs. They are thrown out of the jobs even within a year of their service. They are very much exploited. The Government should see that adequate protection is given to such teachers in regard to their jobs.

I know that the minorities can open and manage their schools under Article 30. But that does not mean that the teachers of those schools can misbehave with the students studying in those schools. I am not against public schools but I want that Government should set up some machinery to keep a close watch on the working of these schools.

I also want to say something on social reforms. Both the wings of social welfare and education come under the same Ministry. In our country there is also a problem of the children of unmarried mothers. The child of an unmarried mother is known as illegitimate child. I do not know what is the fault of the child even if he or she is illegitimate. Now the problem before us is what to do of such children. I think the Ministry should provide some security to such illegitimate children and bring forth some kind of legislation with a view to declaring them not illegal. The Ministry should also see that such children are accorded a status in society.

We have been trying for some time past to eradicate the institution of prostitution in our country but have not been able to achieve any success in this direction. There are some known pockets of prostitutions. We should take stringent measures to eliminate such pockets.

Shri G. C. Dixit (Khandwa): Mr. Deputy Speaker, since independence slogans have been raised to bring about revolution in the field of education. Five Commissions have been set up, but the total result is very insignificant. There is still predominance of foreign language, *viz.* English and our national language Hindi has not been accorded the place it deserves. Sanskrit is our old heritage. It is the source language of all India regional languages and so to neglect this language will be a great injustice. Therefore due attention should be paid to the preservation and promotion of this language.

In Soviet Union there are different languages in different districts and States but Russian language is compulsory for every student there.

The educated youth of today has to run about here and there in search of job after he has completed his education. Such youths can not bring about revolution in the country. So, the first step that should be taken in the field of education is that educational degrees should be delinked from the qualifications for the service or job.

Mr. Deputy Speaker, the academic formal education in schools has not benefited our youths. It is heartening to note that the Minister of Education has stated that Government propose to take measures for imparting informal education to our boys and girls but it has not been clarified as to when these measures will be inplemented. We have not so far taken any steps for the formation of human capital. I am grateful to the hon. Minister that he has paid his attention towards informal education.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (खीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा राज्य की सूची में है, परन्तु शिक्षा नीति और पद्धति केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है और इसलिए केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

हमारा ध्येय सभी को शिक्षित बनाना है। हमारे संविधान में एक निर्देशिक सिद्धान्त यह है कि 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाये यह अभी भी एक स्वप्न बना हुआ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे तरीके निकाले जिससे प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाये और इस पर अधिक धनराशि व्यय की जाये और यदि आवश्यक हो तो कुछ वर्षों के लिये उच्च शिक्षा का प्रसार रोक दिया जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो अनुदान दे रहा है। परन्तु इसने और कुछ नहीं किया है। इस आयोग का पुनर्गठन किया जाये जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त हो।

एक त्रिभाषा सूत्र है हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषायें सिखायी जाती हैं, परन्तु आसाम और कुछ अन्य राज्यों में यह त्रिभाषा सूत्र न रहकर 4 या 5 भाषा सूत्र बन जाता है। फिर भी त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को शामिल करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि संस्कृत सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाये परन्तु इसे हिन्दी या किसी अन्य भाषा के साथ स्थान मिलना चाहिए। यह तो क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये एक साधन के रूप में कार्य कर सकती है। क्योंकि यह सभी जानते हैं कि जब तक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होगा तब तक हम समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते। अतः संस्कृत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। केन्द्रीय सरकार ने संस्कृत के प्रसार के लिये काफी धनराशि व्यय की है। परन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसे अच्छी तरह पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए इतनी धनराशि के व्यय से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मंत्री महोदय को इस मामले पर गंभीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए।

त्रिभाषा सूत्र में लैटिन, अरबी और उर्दू को भी स्थान मिलना चाहिए।

त्रिभाषा सूत्र के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग कोई और भाषा पढ़ेंगे । मेरे विचार में यह अव्यावहारिक और निरर्थक है। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हिन्दी पढ़नी होगी, क्योंकि यह अंग्रेजी के साथ एक राष्ट्रीय भाषा है। अतः इसकी उपयोगिता है।

मंत्रालय ने क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार के लिये कुछ धनराशि व्यय की है । लेकिन इस थोड़ी धनराशि से संविधान द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त कई भाषायें ऐसी हैं जो संविधान द्वारा मान्य न होने पर अच्छी तरह विकसित हैं। उनके विकास के लिए भी कुछ धनराशि व्यय की जानी चाहिए।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि राष्ट्रीय पुस्तक समिति का गठन 1967 में किया गया और फिर 1970 में किया गया, परन्तु 1970 से इसका गठन नहीं किया गया है और यह कार्य भी नहीं कर रही है। अत: इस पर विचार किया जाना चाहिए और शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

पुस्तकों के आयात और निर्यात के लिये प्रतिवेदन में एक सूत्र रखा गया है। इसमें केवल धन-राशि का उल्लेख किया गया है परन्तु आयात या निर्यात की जाने वाली पुस्तकों की किस्म के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसके पर्यवेक्षण के लिये कोई समिति नहीं है।

सारे देश की पांडुलिपियों को नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी माइक्रो फिल्में बनाकर व अन्य तरीकों से उन्हें सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में तंजौर ग्रंथालय पांडुलिपि ग्रंथालय है । इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाया जा सकता है।

मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे उपाय ढूढ़ं निकाले जिससे शिक्षक और छात्र 20 सूत्री कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वियन में भाग लें।

मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : शिक्षा पर न केवल हमारा भविष्य ही परन्तु जीवन भी निर्भर है । यदि ऐसा है, तो मैं अपने माननीय मित्र, शिक्षा मंत्री और उनके साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम शिक्षा और शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को उतना महत्व दे पाये हैं जितना दिया जाना चाहिये था और क्या इनके लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित कर पाये हैं। यह ठीक है कि आप शिक्षा के लिये चाहे कितनी ही रकम आवंटित कर देंगे वह सदा अपर्याप्त ही रहेगी । तथापि हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षा के मामले में बहुत ही कम राशि आवंटित को जाती रही है । तर्क यह दिया जाता है कि आखिर शिक्षा पर इतना खर्च करके बेरोजगारो को क्यों बढ़ाया जाये । मेरे विचार में यह तर्क परस्पर विरोधी है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है, तो वह बेरोजगार कैसे रह सकता है ? वह तो अपने आपको किसी रोजगार में लगा ही लेगा । परन्तु दुःख की बात तो यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि यह लगभग असम्भव है कि कोई शिक्षित व्यक्ति स्वयं कोई काम कर सके ।

इसीलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये । यह एक बड़ी हैरानी की बात है कि कई वर्षों से शिक्षा मंत्री मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं । ऐसे किसी लोकतन्त्रीय देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां शिक्षा मंत्री मन्त्रिमण्डल का सदस्य न हो । यदि हम आर्थिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा

मंत्री को इस मामले में विश्वास में लिया जाये। क्योंकि सभी कार्यक्रमों की सफलता पढ़े लिखे लोगों पर ही निर्भर करती है। जब तक उसे मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं बनाया जायेगा, जब तक शिक्षा पर खर्च करने के लिये राष्ट्रीय आय-व्यय का सबसे बड़ा भाग आवंटित नहीं किया जायेगा तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

शिक्षा एक राज्य विषय है। मैं नहीं चाहता कि इसे संघ सूची में शामिल कर लिया जाये। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके लिये नवप्रवर्तन, कल्पना और प्रयोगों का होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में नये-नये प्रयोग करने की स्वतन्त्रता देश के सभी भागों को होनी चाहिये। यह तभी हो सकता है जब यह विषय राज्य सूची में ही रहे। हां इसमें इतना ध्यान जरूर रखना होगा कि इस क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयोगों का हमारे विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव न पड़े। अतः समस्या केवल समन्वय की है। शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को नई दिशा देने तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के लिए इस क्षेत्र में स्वतन्त्रता और पहल के अवसर सभी को मिलने चाहियें जिससे नये-नये प्रयोगों द्वारा शिक्षा का प्रसार हो सके और अधिकाधिक लोगों को कारगर ढंग से शिक्षित बनाया जा सके क्योंकि तभी वे अपने पावों पर खड़ा होना सीख सकेंगे।

स्वयं मंत्री महोदय कई बार यह बता चुके हैं कि अनपढ़ बच्चों की संख्या उत्तरोत्तर बहुत ही अधिक बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण तो यह है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस पहलू के अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मूल समस्या की ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है और इस पर कितना धन खर्च किया जा रहा है? मेरे विचार में अपने देश के बहुत ही अधिक बच्चों को शिक्षित बनाने के लिये हमें इस क्षेत्र में अधिक खर्च करना चाहिये और इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि 22 अगस्त, 1974 को बच्चों के लिये एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि अब तक इन दो वर्षों में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये क्या-क्या सक्रिय और ठोस कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा चुके हैं और कौन-कौन से कार्यक्रम अब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है। जब हम पश्चिमी देशों, समाजवादी देशों आदि में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर बच्चों का बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाता है। इसलिये, बच्चों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति के बारे में 10+2+3 प्रणाली को केवल अपना लेने की बात स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। हमें देखना यह है कि हमने इसे सफल बनाने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, उपकरणों की पूर्ति करने, अधिक धनराशि का आवंटन करने, ग्रन्थालयों और प्रयोगशालाओं और भवनों का निर्माण करने के मामले में क्या ठोस कार्यवाही की है? क्योंकि इन सब चीज़ों के अभाव में हमारा सारा कार्यक्रम असफल रहेगा और हमारा लक्ष्य केवल एक स्वप्न बन के रह जायेगा। इस प्रयोजन के लिये शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी।

यह ठीक है कि आपात स्थिति की घोषणा होने के पश्चात् विश्वविद्यालय प्रांगण में शान्ति स्थापित हो गई है और अब विद्यार्थियों ने अधिकारियों, अध्यापकों और नेताओं को चुनौती देना बन्द कर दिया है। हिंसा और अव्यवस्था का दौर समाप्त हो गया है। परन्तु यही पर्याप्त नहीं है। वहां पर नये विचारों का पता लगाने, सत्य की खोज करने तथा पुराने विश्वासों को चुनौती देने के लिये विद्यार्थियों में उत्साह अवश्य होना चाहिये। हमारे शास्त्रों में यह कहीं नहीं लिखा है कि हमें वह सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिये जो अध्यापक बतायें। हमें उन विचारों को सुनना चाहिये, उन पर

मनन करना चाहिये और फिर उसको या तो मान लेना चाहिये या उसका विरोध करना चाहिये। क्या ऐसा हो रहा है ? राजनीतिज्ञ-शिक्षकों को विद्या संस्थाओं से निकाल देना चाहिये। वहां पर स्वतन्त्र और प्रबुद्ध अध्यापक होने चाहियें जिससे विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच महत्वपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान हो सके। शिक्षा नागरिकता, लोकतन्त्र और व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के लिये होनी चाहिये।

इस मामले में प्रतिवेदनों या विचारों की कमी नहीं है। कमी तो कल्पना-शक्ति, प्रबुद्धता, समर्पण और प्रचार की है जिसके सहारे इन प्रतिवेदनों को सत्यनिष्ठा और बुद्धिमानी से क्रियान्वित किया जाना है। यदि ये कमियां दूर हो जायें, तो हम शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे और इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे जैसी कि हम अब तक करते आये हैं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while giving her speech at Gauhati the other day our Prime Minister had rightly observed that there had been no change in the system of our education. We are still continuing that vary system which was prevalent during the British rule. This system of education has become purposeless because by continuing this system, we have not been able to prepare our students on practical lines. It is therefore necessary that a drastic change should be brought about in it. To-day we find that instead of spending money on education. We are giving undue importance to big buildings for Universities. Universities should be opened on the pattern of Shantiniketan so that we are able to make our students human beings in true sense.

It is necessary to make education not only job oriented but practical also so that our students are able to stand on their feet, after completion of their technical or non technical courses. It is also necessary that education should be such as can inculcate a sense of dignity for labour and respect for elders. Instead of running after white collar jobs, our youngmen should not hesitate to work in fields and factories.

There is a great hiatus in education between the rich and the poor. Students coming from privileged class of the society receive the best education available in public schools while those belonging to the lower strata of the society receive ordinary education in government schools. The standard of education both in public schools and other schools should be more or less the same so that there are equal opportunities for all the students in the country.

Under 20 point programme, books and foodstuffs are to be provided to students at cheaper rates. But when I visited certain schools in rural areas in Hazaribagh district. I found that books were not available to students at most of the schools there. Whatever books were available there, they were available at a very high price. There are reports that note-books meant to be sold at controlled price here are being smuggled out to Nepal in order to earn huge profit. A note book of 30 paise is fetching Re. 1 in Nepal. This matter should, therefore, be throughly enquired into.

Government should see that main tenets of socialism are taught in primary, secondary and higher secondary schools and the pattern of education is the same throughtout India.

Secondly, colleges and universities situated in remote and backward areas of our country should get more funds.

Thirdly, simplicity should be our watch-word so far as colleges and universities are concerned. More open colleges and open universities should be established in every state on the pattern of Shantiniketan. There should be at least one open college in each district.

Fourthly, more scholarships should be granted to students belonging to the weaker sections of our society.

My next point is that education should be imparted in regional languages. But where it is not possible to introduce regional languages as medium of instruction at higher stages of education, English may however be continued as a medium of instruction.

The work of appointment of Vice-Chancellors of universities in our country should be entrusted to a Board Consisting of experienced educationsits. So that only competent persons are appointed as vice-chancellors.

Lastly, keeping in view the importance of education, it must be made a central subject.

With these words I congratulate the hon. Minister for whatever has been done for the well being of both teachers and students of primary schools.

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : Mr. Deputy-speaker, Sir, I rise to support the demands for grants in respect of the Ministry of Education and Social Welfare.

Education is an important subject. But adequate funds are not being made available for this purpose. I will suggest that whatever funds are made available, a large portion out of them should be spent for the benefit of common people or the poor andbackward people. The standard of education in the schools situated in the rural areas, where children of workers, Harijans and Adivasis receive education is very low. What we find to-day is that children belonging to the higher strata of our society receive the best education in public schools. That is why they become officers from the very beginining while Children belonging to lower or lower middle classes are deprived of getting good education, as a result of which they lag behind in all spheres. They become peons and utilimatley retire as peons. So long as this gap in education remains, the talk of socialism is irrelevant. This type of monopoly in the field of education should be done away with and it should be ensured that all the students get equal opportunities in the matter of education.

It is regretted that even after a lapse of so many years we have not been able to formulate any policy on education under the present system, the type of education which is being imparted to our students is such that it does not equip our students with self-confidence. As a result they hanker after white collar jobs instead of attending to other jobs. Education should therefore, be job oriented and it should be such as can inculcate a sense of responsibility, nationalism and discipline in the students.

Highly qualified doctors and engineers are steadily going out of this country. This brain drain should be stopped forth with.

Shri J.P. Dube (Bhandara) : Mr. Deputy Speaker Sir, it seems that there is some confusion about the three language formula. It is said that as India is a big country, it is for this reason that this formula has been adopted. Our great educationists and leaders visit many foreign countries but it seems that they learn nothing during these visits from these countries. Russia is a big country but it has adopted Russian as national language. Then why not use Hindi as a national language throughout the country and save the students from learning three languages. India is a poor country and she cannot waste money on teaching three languages. There is no sense in adopting three language formula. So I would suggest that there is a need for thinking afresh on the issue and take some courageous step to ensure that Hindi, which was adopted as national language as it was spoken & understood by large number of people, should be taught.

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए]

[Shri Vasant Sathe in the chair]

The whole system of education is in a complete mess. More or less, the same system of education as has been handed over to us from the British have been continuing to this day. This system needs a basic change.

Our students should also be taught the history of our neighbouring countries, this will give them a better understanding of the problems around us.

I would also request the honourable Minister that our education should be India-oriented. The people of the south should be convinced about the futility of the three language formula. If they experience any difficulty in getting jobs they can take the rests in their own languages. So a fresh look should be given to the entire issue with a view to save resources which are wasted on the arrangements for teaching the three languages. Resources thus served can be utilised on primary education. With these words, I support these demands.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): Mr. Chairman Sir, the honourable members have referred to the youth force and its involvement in the creative works. I would like to say something on this. The population of youth in the country is approximately nine crores. Out of this seven crores are in the rural areas and two crores are in the urban areas.

We have tried to give a new approach and new direction to our youth. The Government cannot provide jobs to every person because it is not possible to do so. Therefore we are making efforts to see that the available resources of our country are used in such a way that it can provide work to our young men and they can be made self-employed. We want to bring a basic change in the approach of our youngmen. As you all are aware, India is third among the world countries in matter of progress made in the scientific and technical fields. It is not proper to say that we can solve our problems with only vocational education, technical education on or agriculture education. But I am proud of the achievement which India has made in respect of our institutions. Our institutions are in no way inferior to such institutions in the foreign countries. This is no mean achievements. But our approach is that we do not work to make our youth only fit for jobs. So certain schemes have been formulated by the Ministry under which potentiality survey will be done village-wise and block-wise so that these youngmen can be employed in their own areas through the Nehru Youth Centres or the National Service Schemes.

As far as the availability of resources is concerned, there is no dearth of resources in our country. What is needed is an integrated approach. We have to bring about an awareness in our youth so that they could utilise the available resources. With this end in view a Youth Leadership Training programme has been initiated.

It has been found that short-term training motivation programme is very helpful not only for educated youth but for the uneducated also. It helps them to learn rapidly and effectively. This programme is being expanded.

There has been a basic change in our approach. Our efforts is to see that our youth stand on his own legs. For this, we require motivation and an integrated approach. This is being done through various courses of training.

Under the 20-point programme, 2 lakh university students will be covered under the National Service Scheme this year. We also propose to start a National Volunteer Scheme so that this Programme can be implemented effectively and the economic targets laid in the programme can be achieved.

Every effort is being made to gear up the existing facilities of training in our technical and technological institutions and also in other institutions so that our youth movement can be strengthened. Efforts are being made to cover as large number of youth as possible.

Shri Hari Singh (Khurja) : Mr. Chairman, Sir, Government has done a commendable job in spreading education throughout the country.The number of students has gone up by eight crores since independent. Similarly the number of high schools and colleges has also increased manifold. To-day, we find that a large number of scientists, engineers and doctors are working in the various industries in our country. From where they have come ? How have they become highly qualified? They are the product of our universities. All this speak of the tremendous efforts made in the field of education by our Government. The student to-day is more knowledgeable, critical and conscious.

It is true that last year indiscipline and violence were the order of the day in the Universities and Colleges, but since the declaration of emergency peace prevails every where and the students now are pursuing their studies quite peacefully.

Open universities should be established throughout the country like America and England. In case it is not possible to do so because of huge expenditure involved, candidates should be allowed to appear privately in all the examinations so that they can improve their educational qualifications. The doors of the Universities should be opened to all the students irrespective of the State to which they belong. Government should ensure that no restrictions are imposed on bearing. This step will lead to national integration also.

In lower classes most the time of the students is taken by Arithmetic. It should, therefore, not be compulsory for those students who are not to take up this subject in higher classes. It should be made an optical subject.

So far as the subject of Home Science is concerned, all the articles should be supplied by schools as poor students cannot afford to purchase them. The hon. Minister should pay attention to this matter.

More funds should be allocated to the Social Welfare Department and the amount should be allotted evenly among all the States. At present almost 95% of money is being given to institutions belonging to Delhi State alone and nothing is being given to such institutions as are working in rural areas. This should be looked into.

Anti-dowry ideas should be instilled in the minds of the students from the very beginning so that they start looking down upon this evil.

With these words, I support these Demands for Grants.

Shrimati Premalabai Chavan (Karad) : Mr. Chairman, if the Government is really been to spread education throughout the country and to raise the standard of education, then education should be made a central subject. Since the policies framed by State Governments are not being implemented properly at lower levels, the allocations made in the field of education hardly penetrate into the rural areas. Most of this money is spent in urban areas alone. More and more Colleges and Universities should therefore be opened in the rural areas so that the people living in rural areas are able to make use of these institutions and receive higher education in their own areas.

Many private institutions including those run by Charitable Trusts, are being run on purely commercial lines with a profit motive. Many corrupt practices are rampant there. These institutions should not be allowed to be run on commercial lines or instead these should be nationalised so that their functioning can be improved.

It is regrettable that teachers have been asked to devote some time on family planning work daily. This will definitely hit hard the students. Because the teachers will definitely not be able to do justice to their primary duty. It is , therefore, suggested that they should not be asked to do any other work except teaching.

It is good that education is now being imported by means of radio and television. This will result not only in savings to the Ministry of Education but also in an improvement in the matter of education. Even the illiterate persons will be able to make use of this facility.

Too many books have been prescribed for our school children. It is very difficult for them to grasp them all. A small Committee should be constituted to look into this matter.

The number of Convent schools is going on increasing day by day. Instead of spending so much money on these schools, we should open more schools in the rural areas.

There is dearth of hostels in the Country. The result is that our students have to face a lot of difficulties. Those students who have to come from far off places have either to come on foot to schools in urban areas or to spend atleast Rs.100/- per month as a rent for one room. Efforts should, therefore be made to provide more hostels for students.

At present sports scholarships are not given at primary stage. I have been inviting the attention of the hon. Minister to this matter repeatedly. But nothing has so far been done in this regard. These scholarships should be provided to encourage sports.

The Ministry has done good work and the hon. Minister deserves our congratulations.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैंने सदा इस बात का समर्थन किया है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिये । आज हम देखते हैं कि देश में बहुत पब्लिक स्कूल हैं । आम लोग इन स्कूलों का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं । शिक्षा के मामले में इस प्रकार की विषमता दूर की जानी चाहिये । सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिये ।

14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये । सभी बच्चों को चाहे वह किसी जाति या धर्म के हों, शिक्षा के मामले में हर प्रकार की समान सुविधाएं मिलनी चाहिये ।

राष्ट्रीय एकता लाने और बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिये शिक्षा बहुत ही अच्छा माध्यम है । इसका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये ।

हमारे देश में अभी तक कोई शिक्षा नीति नहीं बन पायी है क्योंकि हम अभी तक विभिन्न प्रकार के प्रयोग ही कर रहे हैं । इसी प्रकार अब 10+2+3 पद्धति को लागू किया जा रहा है । देखें यह कहां तक सफल होती है । मेरे विचार में देश में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली होनी चाहिये जिसके अन्तर्गत देश भर में एक ही तरह की शिक्षा दी जाये, जिससे एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दूसरे विश्वविद्यालयों में बिना किसी कठिनाई के शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये प्रादेशिक भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाने का जो प्रस्ताव है, उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि इस समय देश में पहले ही प्रान्तीयता का बोलबाला है और फलतः परीक्षक अपने ही प्रान्तों से अधिकाधिक उम्मीदवारों को सेवाओं में लेना चाहेंगे । इससे स्तर तो गिर ही जायेगा, साथ ही प्रान्तों में फूट पड़ जायेगी । अतः इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य ध्येय कमज़ोर वर्गों का उत्थान करना है । मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को व्यवसायी और तकनीकी शिक्षा देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? ऐसा देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है इसलिये वे इन क्षेत्रों में नहीं जा पाते हैं । इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाय और प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जाये । भर्ती करते समय यह कह दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो सका है । इसीलिये मैं चाहता हूं कि देश भर में

सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर एक जैसा हो और यदि सम्भव हो, तो शिक्षा को संघ सूची में शामिल कर लिया जाये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं अपने विचार केवल खेलकूद विभाग के सम्बन्ध में ही व्यक्त करता चाहता हूं। परन्तु इससे पहले मैं एक बात शिक्षा मंत्रालय और दूसरी बात संस्कृति विभाग के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा।

हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येन बोस की स्मृति में कलकत्ता में एक संस्था बनाई गई थी। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री को इस बात की पूरी जानकारी है कि इस संस्था को पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस ओर ध्यान देंगे।

साहित्य अकादमी पर आते हुए मैं प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचन्द्र चटर्जी की ओर संकेत करना चाहता हूं। एक बार मैं संसद को पहले भी कह चुका हूं कि हमें उनके उपन्यासों को देश की सभी प्रान्तीय भाषाओं में प्रकाशित करना चाहिए जिससे लोग शरत्चन्द्र चटर्जी और उनके विचारों को जान सकें। उनके लेखों का आज बहुत महत्व है। इससे हमें अपने समाज की बहुत सी समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी।

अब मैं खेल-कूद पर आता हूं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/15 वां भाग है। हमारा देश विज्ञान और इलैक्ट्रानिक्स में बहुत उन्नत देश माना जाता है। हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व में विख्यात हैं। परन्तु हमारे देश में खेल-कूद का स्तर अन्धकारमय है। केवल इतना ही नहीं हम अन्तराष्ट्रीय मंच पर बड़ी तेजी से पीछे हो रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि यदि सरकार ने इस ओर ध्यान न दिया तो अन्तराष्ट्रीय खेलों में से भारत का नाम ही समाप्त हो जाएगा। हाकी ही एक ऐसा खेल है जिसमें हमें औलम्पिक में विश्व स्तर प्राप्त था परन्तु अब हमने इसमे भी पिछड़ना शुरू कर दिया है। हालैण्ड तथा यूरोप के अन्य देशों ने हाकी में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है तथा किसी भी समय वे हमें पिछाड़ सकते हैं। जहां तक वालीबाल का सम्बन्ध है इसमें तो हम एशियाई स्तर की प्रतियोगिता में भी पिछड़ गए हैं। तैराकी प्रतियोगिता में तो हमने अब भी विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त कर रखा है किन्तु एशियाई और अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में हम बुरी तरह पिछड़ गए हैं।

जहां तक क्रिकेट के स्तर का सम्बन्ध है हम गत पांच वर्षों से यह देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को जब तेज गेन्दबाजों का सामना नहीं करना पड़ता तब तो वह अच्छी तरह खेलती है किन्तु जहां उसे तेज गेंदबाजों का सामना करना पड़ जाता है वहां वह सन्तोषजनक खेल नहीं खेल पाती। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड और खेल-कूद मंत्रालय इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भारत में तेज गेंदबाजों का विकास नहीं हो रहा है। यदि हमें वैस्ट इण्डीज का क्रिकेट में मुकाबला करना है तो हमें तेज गेंदबाज तैयार करने पड़ेंगे। मैंने वैस्ट इण्डीज की क्रिकेट टीम से बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके गेंदबाज ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले होते हैं। वे गरीब परिवारों के होते हैं और उनका कोई आधार भी नहीं होता है। परन्तु यह बात जरूर है कि वे बहुत हृष्ट-पुष्ट होते हैं। हमारे देश में भी नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा मेघालय में बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं। परन्तु हम देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों से कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं आया है। मुझे विश्वास है कि यदि

हम क्रिकेट में इन क्षेत्रों से खिलाड़ी लें तो हमें तेज़ गेंदबाज मिल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसमें रुचि लें और भारत का स्तर ऊंचा करें।

हमारा फुटबाल का स्तर 1964 से विश्व स्तर पर नहीं पहुंच सका है । 1964 की ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता के बाद तो हम पूर्व-ओलम्पिक कठिनाइयों को भी दूर नहीं कर पाए । यह बहुत चिन्ताजनक बात है । इस वर्ष भी हम अच्छा खेल नहीं खेल पाए हैं । फुटबाल का खेल स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ा रहा है । जब 1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो कलकत्ता की फुटबाल टीम ने अंग्रेजों को पराजित करने की शपथ ली तथा 1911 में पहली बार अंग्रेजो को हराया ।

मलेशिया में खेलने जाने वाले नेरड़ेका ओलिम्पिक में हम ठीक तरह से क्यों नहीं खेल पाते इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि टीम की चयन के एक या डेढ़ महीने के अन्दर खेल के लिए जाना होता है। दूसरे, उन खिलाड़ी को देश में कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता है जिसके कारण वे बहुत थक जाते हैं इसके अलावा चूंकि वे खिलाड़ी अपने क्लबों के लिए नाम कमाना चाहते हैं जिनसे उनका जीवन निर्वाह होता है इसलिए वे भारत से बाहर जाकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिक इच्छुक नहीं होते हैं। मैंने एक सुझाव दिया था कि जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते है किन्तु उनकी कुछ कठिनाइयां और सीमाएं होती हैं। इन में कुछ खिलाड़ी तो रोजगार में होते हैं तथा कुछ बेरोजगार भी होते हैं। इसलिए यदि सरकार ऐसी योजना बना ले कि जिन खिलाड़ियों को देश का प्रतिनिधित्व करना पड़े और उन्हें कोचिंग सेंटरों में रहना पड़े उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और सरकार उनकी सेवा सुरक्षा के मामले की देखभाल करती रहेगी तो मुझे विश्वास है भारतीय फुटबाल का कार्यसंचालन सराहनीय हो जाएगा।

आपको पता ही होगा कि भारत जैसे विशाल देश में खेलों पर अन्य देशों की तुलना में कितना व्यय किया जाता है। हमारे देश में अन्य विकासशील देशों की तुलना में खेलों पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है। यदि इन आंकड़ों का दूसरे देशों को पता लगे तो वे इस पर हंसेंगे। खेल फेडरेशन को 1973-74 में 11.90 लाख, 1974-75 में 8.24 लाख और 1975-76 में 51.95 लाख रुपए की सहायता की गई। इसी तरह से खिलाड़ियों के खानपान पर बहुत कम रुपया खर्च किया जा रहा है। सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये यदि हम उस राशि का एक चौथाई भाग खेलों पर व्यय कर दें तो जो हम पुलिस पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े बड़े नगरों पर व्यय करते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कानून और व्यवस्था की तीन-चौथाई समस्या अवश्य हल हो जाएगी। हमें देश के युवकों को रचनात्मक कार्य पर भी लगाना चाहिए। हमारे गांवों में, तलाब, जोहड़ या नदी तो होती है। उन्हें वहां तैराकी सीखनी चाहिए ।

हाल ही में संसद् ने रिक्त भूमि के वितरण के संबंध में एक विधेयक पारित किया था। अतः मेरा सुझाव है कि हर नगर में ताल्लुक स्तर पर खेलकूद के लिए एक भूभाग रखा जाना चाहिए। इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में खेलों की बिल्कुल अवहेलना की जा रही है। इस संबंध में न तो संसद में ही कोई चर्चा होती है और न ही सरकार इस बारे में कोई चर्चा करती है।

जापान तथा कई अन्य नगरों में खेलकूद अनिवार्य विषय है। वहां पर अच्छे खिलाड़ियों को 300 रुपए प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। परन्तु हमारे देश में 100 रुपए प्रति मास भी नहीं दिए जाते। यही कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ियों के माता-पिता अपने खिलाड़ी बच्चों को बिगड़े हुए बच्चे समझते हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे देश में संगठनों के भीतर राजनीति चलती है और वे खेलों को बढ़ावा नही दे रहे हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाया है वह बहुत ठोस है। पुराने नेताओं को बदलना ही ठीक था।

भारतीय ओलिम्पिक यूनियन में प्रभारी व्यक्ति ही होना चाहिए। एसा व्यक्ति पुलिस या सेना का सेवानिवृत्त व्यक्ति होना चाहिए। यहां पर उस व्यक्ति को प्रभारी नहीं बनाया जाता जिसने अपना सारा जीवन खेलों में लगा दिया हो। अपनी प्रशासनिक क्षमता के आधार पर व्यक्तियों को लिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वे काबिल व्यक्ति नहीं होते। वे काबिल होते हैं परन्तु वहां और भी काबिल व्यक्ति हैं। खेलकूद परिषद् या ओलिम्पिक एसोसियेशन के अध्यक्ष पद को सरकार को सम्मान की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। यह ऐसा पद है जिसके लिए कर्त्तव्यनिष्ठा, एकाग्रता और अनुभव की आवश्यकता होती है। केवल तभी खेलकूद समुचित रूप से चल सकता है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह भारत में एशियाई खेलों को कराने की दिशा में कुछ करें। भारत को मेजबान बनना चाहिए तथा ये खेल कलकता में होने चाहिएं।

Shri **Shivnath Singh (Jhunjhunu)** : The Education Ministry has done a lot of work for the expansion of education during the last 25-26 years but we have to judge whether there is any qualitative improvement in education or not. The rural areas are still neglected. We do not find any Collage in villages. A few Colleges have been Started in some municipal towns but their condition is not good. The villagers have to provide themselves building for opening schools in rural areas. Only those teachers, who are to be transferred as a punishment, are posted in the Schools in rural areas and these teachers are not provided with any residential accommodation. The Students have to walk down 3-4 miles to reach their Schools. As such I request the hon. Minister to lay down directive principles for states in regard to education also and special attention should be paid towards education in rural areas.

I can not say about other States but at least in my State a large number of educational institutions are in private hands and inspite of this fact they are getting 80 to 85 percent grants from Government. Such private management appoint teachers of their own choice, and the employment of these teachers remains at the mercy of the management. It will be better if such Schools are taken over by the State government. Till such time, the Central Government should make arrangement for taking over those trusts which do not follow the instructons of the State governments in respect of their private educational institutions. The Central government should enact ligistation to empower themselves for taking over the trusts who express their inability to run their private educational institutions.

There are Central Schools where Children of only those employees of government departments whose services are transferable can get education. As such the children of other persons residing in nearby areas are not benefitted from such Scools. Children should be admitted in Central Schcols on merit basis.

Youth welfare programmes should not be limited to educated youth. Rural youth should also be brought within your definition of youths. The educated yours are not taking as much interest as rural youths in 20 point programme and your other Schemes. We should also utilise the rural youth power and chalk out some programmes for them also.

There are various social welfare programmes but we find that their results are nil. So we must have limited number of result oriented programmes.

Midday meal programme for private School children is being implemented under which food stuffs are provided for cooking and distribution amongst children. But it is being followed blindly since there are such regions where school children are already healthy and they do not require any meal in Schools. This programme has created corruption among teachers.

The activities of the vice-chancellor of Rajasthan Universitiy shown that he has a leaning towards RSS and Anandmarg. The students who are not pro RSS and Anandmarg have not been given admission in the University. The Government should take action against the institutions having such elements.

The social welfare programme need to be expanded and they should include also old disable and destitute persons. We should also look into the past percentage in to different subjects and should pay special attention towards the teaching of such subjects. With these works I support the demands for grants of the Ministry.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : Mr. Chairman Sir, I am highly obliged that that you have provided me an opportunity to intervene in the debate.

Reference has been made to the deterioration in our performance so far as football is concerned. I would like to say that I was a football player and I know that football is a mass game, but its standard has been falling from 1964 onwards whereas we were Champions in 1962. There can be various reasons for that. The new office-bearers of the All India Football Federation should join the Government in making efforts to raise the standard of our football. It is hoped that our performance in future will be better. If preparations are started for the 1978 Asians Games from right now, we can give a better account of ourselves. The Government will like our football team to participate in various international tournaments which are going to take place. The Government will also give its approval if any foreign football teams wanted to come to our country.

As far as our cricket is concerned, it has been said that India do not have fast bowlers. One of the reasons is that we do not have a pitch which can help fast bowlers. We should prepare fast pitches which can help us in our having fast bowlers.

It is being felt that there is lack of self-confidence after Wadekar and Nawab of Pataudi. But the leadership provided by Bishen Singh Bedi has restored self-confidence and it is hoped that our performance will be better in future.

Our volley-ball has also suffered because of mutual differences in the Federation. There is a lot of potential with us so far as Volleyball is concerned. It is hoped that we will go ahead in thie game also in future.

In the International Hockey Federation, the European countries have a dominant say. The rules are changed in a manner which help he European countries. This has put India and Pakistan at a disadvantage. We are now making efforts to improve our training and we can hope for a better performance in the coming Olympics.

It is said that proper diet is not being given to our players. We are giving good diet to our players during training. It has also to be kept in mind that the players can continue the diet of a particular standard after the training. As far as Scholarships are concerned, we have increased Scholarships at State and national levels last year. We have given 400. Scholarships for 800 rupees at national level and 800 Scholarships at a State levels.

The allocation for sports in the 5th Plan has been increased as compared to the 4th Plan. Our performance in various spheres of sports has been quite satisfactory during the year.

We are also paying attention to the sports in the rural areas. A lot is being done in cooperation with the State Governments. Financial asssitance is being given to State sports councils.

The Netaji Subhash Institute of Sports at Patiala is giving useful training to various teams. It helps in imporving the performance of our teams. It also prepares coaches because there is a great need of coaches in the country. It has prepared one thousand coaches so far.

There used to be complaints about selection of our teams in the past. These complaints are no longer there. We are doing our best to promote sports within our limited means.

One more N.I.C. Centre has been opened in Bangalore. I hope that players from South India will make full use of it. Efforts are being made for its expansion also.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, ever since I have come to the Lok Sabha, I have been trying to draw Government's attention to the pitiable conditions prevailing in Patna University and I shall continue to do it so long as this university is not converted into a Central University.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

(Shri Ishaque Smbhali in the chair)

The problems of students regarding hostels and science equipment are well known to the Government. When the Minister had gone to Patna to lay the foundation of a Central School, the teachers and students there had pleaded that it should be made a Central University. I would like to know what do Government propose to do in this regard.

Secondly, I would like to point out the pitiable condition of the employees of the University and draw Governments attention to it. The pay scales of the University employees are very low. They are not considered to be workmen. If they were accepted as workmen they could get various facilities. It is high time Government pay attention to these employees and raise their pay scales.

Thirdly, I would like to draw your attention to Unemployed trained blind students. You should pay attention towards them.

Now I come to scholarships granted to Harijans and backward caste persons.

Ministry of Education, Social welfare and culture (Prof. S. Nurul Hasan) : We do not give them scholarships. Ministry of Home Affairs give them scholarships.

Shri Ramavatar Shastri : The Government of Bihar have derecognised 'Shastri' degree and persons holding this degree do not get employment. Is it considered to be proper ? If not, why should Government not advise the state Government to rectify this mistake ?

With these words I finish my speech.

श्री नरायण चन्द पराशर (हमीरपुर): मैं शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 1975-76 की अनुदानों का समर्थन करता हूं। मैं स्वर्ण सिंह समिति की इस सिफारिश से पूर्णत: सहमत हूं कि शिक्षा एक समवर्ती विषय होना चाहिए तथा संविधान में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। हाल ही में शिक्षाविदों का भी एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 46 उपकुलपतियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में भी इस आशय का संकल्प एक मत से पारित किया गया था। मैं समझता हूं कि जब तक शिक्षा का एक समान ढांचा नहीं बनाया जाता तब तक देश शिक्षाविदों तथा राष्ट्र के नेताओं की इच्छा के अनुसार प्रगति नहीं कर सकता।

दूसरे, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके कार्यसंचालन में सुधार की गुंजाइश है।

मैं श्री प्रिय रंजन दास मुंशी से पूर्णतया सहमत हूं कि देश में खेलकूद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि दिल्ली जैसे नगर में भी, जहां मंत्री महोदय का निवासस्थान है, शारीरिक प्रशिक्षण के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत ग्रेड नहीं दिये गये हैं। उनसे ऐसा अन्याय क्यों किया गया है? अतः मेरा अनुरोध है कि शारीरिक प्रशिक्षण की शिक्षा देने वालों को प्राध्यापकों की भांति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रेड दिए जाने चाहिए यदि उन्हें ये ग्रेड मिल गया तो इससे खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ राशि अलग से भी रखनी चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि खेलकूद के महत्व को ध्यान में रखते हुए शारीरिक शिक्षा पर समुचित धनराशि व्यय की जानी चाहिए। जबकि धनराशि विज्ञान, वाणिज्य, विधि की शिक्षा पर व्यय की जा रही है। अतः मेरा फिर से अनुरोध यह है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रेड एक समान तिथि से दिए जाने चाहिए।

मेरी तीसरी बात तकनीकी विकास के बारे में है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह तकनीकी विकास की ओर भी कुछ ध्यान दें। बहुत से इंजीनियरिंग कालेजों में बहुत सी सुविधायें उपलब्ध होती है परन्तु पोलिटैक्निकों में जहां डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थी पढ़ते हैं ये सुविधायें नहीं होती हैं। पौलिटैक्निकों को शिक्षकों की भी दशा ऐसी ही हैं। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत ग्रेड दिये जाने चाहिए। उनके वेतनमान भी बढ़ाए जाने चाहिए। वर्कशापों के इंस्ट्रक्टरों के वेतनमानों में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

अब मैं केन्द्रीय स्कूलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। केन्द्रीय स्कूल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु इन स्कूलों में शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। इसके अलावा इन स्कूलों का स्थानीय लोगों से कोई संबंध नहीं है। अतः जब तक इन स्कूलों में कुछ स्थानीय विद्यार्थी नहीं लिए जाते तब तक इनसे कोई उद्देश्य होने वाला नहीं है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 1973 में 36वीं बैठक हुई थी। उस बैठक में यह कहा गया था कि हर विकास खण्ड में एक माडल स्कूल खोला जाएगा। यह भी कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार इन स्कूलों के लिए वित्त जुटाएगी तथा राज्य सरकार इन्हें चलाएंगी। हमारे देश में 5026 सामुदायिक विकास खण्ड हैं। यदि वित्तीय कठिनाई के कारण इनमें माडल स्कूल खोलना संभव नहीं है तो केन्द्रीय स्कूलों का माडल स्कूलों के रूप में विकास किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक-एक केन्द्रीय स्कूल अवश्य खोला जाना चाहिए।

अब मैं युवक सेवाओं के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। श्री यादव ने कहा है कि देश में नेहरू युवक केन्द्र हैं। इस समय 185 नेहरू युवक केन्द्रों में से केवल 93 कार्य कर रहे हैं।

साहित्य अकादमी के प्रतिवेदन में कहा गया है कि गत वर्ष नेपाली भाषा को मान्यता दे दी गई थी। किन्तु प्रतिवेदन में कोंकणी भाषा का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय इस बात की जांच करें कि प्रतिवेदन में कोंकणी भाषा को मान्यता देने के लिए बात क्यों नहीं आई है। क्या ऐसा उस दल के दबाव के कारण किया गया है जो कोंकणी को मान्यता दिलाने के विरुद्ध है।

संस्कृत का अपना महत्व है तथा इससे हम सब को प्रेरणा मिलती है। इसलिए चाहे कोई भी भाषा फार्मूला अपनाया जाए संस्कृत को महत्व दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : Mr. Chairman, Sir, the bureaucracy and vested interests have ruined the country and th field of education is no exception. So long as the corruption rampant in this field is not totally eradicated, there is no hope of any improvement. To-day we find that how Managers of Schools are indulging in corrupt practices in connivance with the Government Officers. The various agencies working in the field of education are making money like any thing. Even the teachers are actually paid less than what is shown in the records. All these things are in the knowledge of the Government, but nothing is being done to eradicate these corrupt practices. Some concrete steps should therefore be taken in this regard.

Education should be taken out of the State and private sector and made in central subject.

Secondly English should be made an optional subject while Hindi should become a compulsory subject.

Thirdly university should be set up at Amravati in Maharashtra. If this is done the pressure of work on the Nagpur University will be reduced considerably.

Fourthly our students should be saved from moval degeneration by enforcing prohibition.

Lastly, arrangements should be made for the supply of stationery and essential commodities to students at fixed prices as these have not so far been made as envisaged under the 20 point programme.

Shri R.P. Yadav (Madhepura) : Mr. Chairman, Sir, I support the Demand for grants in respect of the Ministry of Education and Social Welfare.

Education is an important subject. But we have so far been treating it in a casual manner. It is regretted that we are still groping in the initial stage of experimentation in the field of education, though 27 years have elapsed since indepedence. We have not been able to decide as to which subjects should be made compulsory and which subjects should be made optional. I think children should be taught such subjects which are vitally important for their future life.

It is good that emergency has brought about descipline in educational institutions but Government should see that slackness does not creep in.

I think that teachers in the colleges and universities are also responsible for spreading indiscipline in their institutions. On the one side they take part in active politics and even work as elected representatives in legislatives and on the other side they also work in their institutions and thrust their ideas on the students. The hon. Minister should pay attention to this matter.

The Department of Education is responsible for the growing unemployment in the country. Education should have been made job-oriented from the very beginning. It is good that now 10+2+3 pattern has been adopted in the country. Necessary arrangements should be made to see that jobs are made available to them as soon as they complete their studies under this new formula. Since enongh Government jobs are not available, private industries should be contacted to explore job apportunities.

At present three types of schools—public schools, Central Schools and village schools—with different standards are working in the country. There should be uniforam pattern of education throughout the country and in order to achieve this objective, it is necessary that education should be made a central subject.

It is also necessary that our educational syllabus should be framed in such a way as to include teachings on nationalism and morality.

Keeping in view the growing population of the country, students should be made aware of this problem.

N.C.C. should be made compulsory both in schools and colleges because it inculcate discipline among the students. According to my information, a very good work is being done in various districts in my state so far as Nehru Youth Centre is concerned. Move assistance should therefore be given to it.

Hindi, which is our national language, should be developed as such.

श्रीमति रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : शिक्षा को केन्द्रीय सूची में रखा जाना चाहिए और नीति विषयक निर्णय मंत्रि-मंडल स्तर पर लिये जायें और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन नीति विषयक निर्णयों का उचित क्रियान्वयन हो।

पाठ्य-पुस्तकों में जिस प्रकार से राय व्यक्त की जाती हैं उनके बारे में हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा क्योंकि हमें देश के युवा वर्ग को ऐसे रूप में ढालना है ताकि वह देश के प्रति निष्ठावान बने। हमें युवा वर्ग को इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि जिससे वह अपने देश और उसके इतिहास के प्रति गर्व अनुभव करे।

मेरे सामने एक ऐसी पुस्तक का उदाहरण है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने पाठ्य-पुस्तक के रूप में मान्यता दी है और जिसे पढ़कर छात्र-छात्राएं अपने देश पर गर्व का अनुभव नहीं कर सकते। इस पुस्तक में देश का सही इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपने देश तथा उसकी नेता के प्रति सम्मान जागृत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ये पुस्तकें हटा दी जानी चाहिऐ और भारतीय प्रशासन, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों की पाठ्य-पुस्तकें केन्द्र द्वारा निर्धारित की जायें।

कोल्हापुर के निकट एक कस्बे में स्थित एक कृषि विद्यापीठ में एक लड़के की हत्या कर दी गई है। इसकी ओर जब मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया तो उन्होंने इसे राज्य का विषय बताया। ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं होने के कारण आपको उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और उनके बारे में राज्यों को केन्द्र का परामर्श मानना अनिवार्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए व्याबसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था केवल कागजी कार्यवाही बन कर रह गई है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये केन्द्र देश में उचित रूप से कार्य करें। महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता है। लड़कियों के लिए जिला स्तर पर कुछ निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था की जायें। नगरों में भी काम करने वाली महिलाओं के लिए अधिकाधिक छात्रावास बनाने की कोशिश की जाये।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री प्रो० एस० (नुरुल हसन) : मैं सभा के उन सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे मंत्रालय की मांगों का न केवल समर्थन किया है बल्कि अपने भाषणों में राष्ट्र के भविष्य के लिए शिक्षा का क्या महत्व है यह भी बताया है। मैं समझता हूं कि सभा का यह विचार बिल्कुल सही है कि शिक्षा का बहुत ही राष्ट्रीय महत्व है। शिक्षा को राष्ट्र निर्माण कार्यों में सदा एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखने की हमारी राष्ट्रीय परम्परा रही है। हमारे राष्ट्र पिता ने शिक्षा के समूचे प्रश्न पर विचार किया और शिक्षा को नई दिशा देने की ओर समुचित ध्यान दिया। हमारे सुप्रसिद्ध प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया और कहा है कि गांवों और देश के सभी भागों में विज्ञान की भावना जागृत की जानी चाहिये। यदि शिक्षा का यह आधार जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाया गया था न बनाया गया होता तथा जो वैज्ञानिक दिशा उन्होंने देश को दी यह न दी गई होती तो हमें यह सफलता जो अब प्राप्त हुई है कभी प्राप्त न हुई होती ऐसे लोगों के कारण ही हमारे देश में शिक्षा का विकास हुआ है।

हमारे लिए बहुत खुशी और संतोष की बात है कि हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री ने शिक्षा को सदा बहुत महत्व दिया है। उनका हमेशा यह विचार रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने आप को इस तरह बना लें कि वह अपने मन और बुद्धि, अपने शरीर और व्यक्तित्व का इस प्रकार विकास कर सके कि वह अंधविश्वास और पिछड़ेपन को दूर कर अपने को आत्म-निर्भर समझने लग जाए। यही कारण है कि संसद ने सरकार को शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए आयोग नियुक्त करने संबंधी सलाह देने में पहल की। अंतिम शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जिसे शिक्षा संबंधी सभी कठिनाइयों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, इस सभा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प को पारित किया। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि शिक्षा के संबध में हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। 1968 में प्रकाशित हुआ राष्ट्रीय नीति संकल्प जिसका इस सभा ने अनुमोदन किया था अभी भी वैध है हालांकि समय गुजरने के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह भारत सरकार और मेरे मंत्रालय के प्रयासों का ही परिणाम है कि इस नीति संकल्प को क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प को एकमत से स्वीकार किया है। सरकार अब इस नीति संकल्प को, जिसमें शिक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत है, क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। यह राज्य सरकारों को मनवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। यह सही है कि मेरे पास राजनीतिक, वित्तीय या संवैधानिक कोई शक्ति नहीं है परन्तु मुझे इस सभा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त है। मैं वित्तीय संसाधनों की कमी के संबंध में काफी चिन्तित हूं। शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने यह बात स्वीकार कर ली है कि मंत्रालय के पास संसाधनों की कमी है। बोर्ड ने विस्तृत नीतियां बनाई हैं तथा राज्य सरकारों ने उन्हें सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। यदि इन नीतियों को क्रियान्वित किया गया तो हम शिक्षा को अवश्य व्यापक बना सकेंगे।

यहां पर अपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देता हूं कि राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये कार्य सरकार के सामने हैं और उन्हें पूर्ण करने में कोई कसर नहीं उठा रखी जायेगी। यद्यपि संसाधनों का अभाव है परन्तु मुझे आशा है कि राज्य सरकारों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। फिर भी मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अब तक की देश को मिली उपलब्धियां भी कुछ कम नहीं हैं।

6 से 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों का प्रवेश पाने का अनुपात 74 प्रतिशत से बढ़ कर 79 प्रतिशत हो गया है। पिछले आठ वर्षों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लड़कियों का पहली कक्षा में प्रवेश अनुपात 48 प्रतिशत तथा पांचवीं कक्षा में 33 प्रतिशत है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह चिन्ता का विषय हैं क्योंकि 1971 में पुरुषों और महिलाओं का परस्पर अनुपात 930 से 1000 था। सरकार से यह तथ्य भी छिपा नहीं है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या काफी अधिक हैं अतः इस संबंध में विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं इसमें अभेदमूलक ग्रेड रहित कक्षाएं, अंशकालिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं।

मेरे मित्र श्री डी० पी० यादव ने नेहरू युवक केन्द्रों की गतिविधियों का उल्लेख किया है। इस संबन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत ऐसी शिक्षा के कार्यक्रम बनाये गये हैं जिसके माँध्यम से उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखा जा सकता है। अतः शिक्षा के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता नहीं की जा रही है। यह इस तथ्य से और भी

स्पष्ट हो जायेगा कि 1971 में पुरुषों में साक्षरता 61.5 प्रतिशत और महिलाओं में 32.5 प्रतिशत थी। 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में साक्षरता 47 प्रतिशत था। 1961 में केवल 36 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। दस वर्षों के दौरान साक्षरता में केवल 11 प्रतिशत वृद्धि हुई।

शिक्षा के अवसर में समानता के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह बात इस तथ्य से और स्पष्ट हो जायेगी कि केन्द्रीय स्कूलों के 60 प्रतिशत विद्यार्थी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं आई०आई० टी० की प्रवेश परीक्षा जो कि सबसे कठिन मानी जाती है, में सफल होने वाले 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों का संबंध निर्धन परिवारों से है जिनके परिवार की आय 6000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति में भी वही छात्र आगे बढ़ रहे हैं जिनके परिवार की आय 500 से 1000 रुपये के बीच हैं। हमें उन छात्रों के लिये भी देश में उपलब्ध उत्तम शिक्षा को सुनिश्चित करना होगा जो आर्थिक कठिनाईयों के कारण आगे पढ़ नहीं सकते तथा जिन्हें परिवार की आय में विवश होकर योगदान देना पड़ता है।

व्यक्तित्व तथा चरित्र के विकास के उद्देश्य से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद तथा प्रजातंत्र के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण बोर्ड ने अत्यन्त उच्च शक्ति प्राप्त तथा पूरी तरह सक्षम संपादक बोर्ड की नियुक्ति की है। सारे देश में नए किस्म की शिक्षा का संदेश देने के लिये राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक तथा अन्य सहयोगी कठिन परिश्रम कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अत्यन्त कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यवश हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने दी जिसमें कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और देश में काफी संख्या में कालेज खोले जा रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : ऐसा इसलिये हुआ है क्योंकि आपने एक क्लर्क की नौकरी के लिये भी न्यूनतम शिक्षा बी० ए० निर्धारित की है। यही वजह है जिसके कारण लोग कालिजों के लिये भाग रहे हैं। आज न्यूनतम शिक्षा मैट्रिक क्यों नहीं निर्धारित कर देते हैं?

प्रो०एस०नुरुल हसन : मेरे माननीय मित्र यह बात जानते हैं कि भर्ती विषय मेरे मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जहां तक कालिजों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थीयों की संख्या का संबंध है 1960–70 वर्ष को आधार माना जाये तो 1970 में इस संबंध में 8.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1971-72 में यह वृद्धि 6 प्रतिशत थी, 1972-73 में 5 प्रतिशत थी और 1973-74 में यह कम होकर 3 प्रतिशत हो गई हैं।

जहां तक कालिजों की संख्या में वृद्धि का संबंध है 1970-71 में 307 कालिज स्थापित किये गये, 1971-72 में 292, 1972-73 में 262 तथा 1973-74 में 150 कालिज खोले गये। मैं इस संबंध में यह बात कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार विद्यार्थियों और कालेजों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि होने से राज्य सरकारें असमन्जस में पड़ गई और उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि या तो वे सभी कालेजों को भली प्रकार वित्तीय सहायता दें और प्राथमिक, प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये आबंटन में आनुपातिक कमी कर दें अथवा कालेजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता न दें। यह एक ऐसी गंभीर स्थिति थी जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयासों के

कारण कुछ रोक लगाई जा सकी। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों या समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों/स्त्रियों तथा प्रथम बार शिक्षा प्राप्त करने वाली पीढ़ी के लिये अवसर में किसी प्रकार की कमी न हो।

श्री कार्तिक उरांव: मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं यह बात कहने के लिये कि एक वर्ष पहले बिहार के जमशेदपुर में एक साइंस टैलेंट परीक्षा ली गई थी जिसमें दो आदिवासी बच्चे पास हुये थे। बाद में इस परीक्षा को रद्द करके एक नई परीक्षा ली गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की परीक्षाओं में केन्द्र का किस प्रकार का नियंत्रण रहता है।

प्रो० एस० नुरुल हसन: यह विषय विवरण का है जिसका मैं इस प्रकार से उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री कार्तिक उरांव: मैं तो केन्द्र के नियंत्रण के बारे में पूछ रहा हूं।

प्रो० एस० नुरुल हसन: मैं इस बात की जांच करके माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा। बात यह है कि शिक्षा के लिये कुल आबंटित राशि में से प्रारंभिक शिक्षा के लिये 45 प्रतिशत से कम व्यय करना संभव नहीं है। वस्तुतः यह प्रतिशतता 45 के बजाय 50 होनी चाहिये। यदि ऐसा हो तो माध्यमिक शिक्षा के लिये कुछ प्रतिशतता निर्धारित करनी पड़ेगी। तकनीकी शिक्षा के लिये संगत प्रतिशतता होनी चाहिये। उच्च शिक्षा के लिये बहुत कम राशि रह जाती है। अतः हम एक ओर तो यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अनियमित विस्तार पर रोक लगायें और दूसरी ओर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कमजोर और निर्धन वर्गों और काम करने वालों के लिये उच्च शिक्षा उपलब्ध हो। सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव यह भी है कि एक खुला विश्वविद्यालय खोला जाय। एक अन्य प्रस्ताव पत्राचार पाठ्क्रम की योजना का विस्तार करना है। एक तीसरा प्रस्ताव स्वाध्याय, शैक्षणिक केन्द्र खोलने आदि की सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव है। कई अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं और बहुत जल्दी ही हम इसके बारे में नीति की घोषणा करेंगे।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को सहायता देने का प्रश्न उठाया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कठिनाइयों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काफी चिंतित है। आयोग ने इस विश्वविद्यालय को कालेज-स्तर की शिक्षा के लिये सामान्य राशि देने के अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की पेशकश की है। मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता देने की पेशकश की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह सुनिश्चित करने में काफी रुचि ले रहा है कि पाठ्यक्रम को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा आधुनिक बनाया जाए और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। आशा है कि शीघ्र ही जनमत के परिणामस्वरूप उभरने वाली शिक्षा की नई विधि काफी विश्व-विद्यालयों में लागू की जाएगी।

यह कहा गया है कि योजना और वास्तुकला स्कूल की ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि नहीं है। इस स्कूल ने ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ चालू परियोजनाओं का अध्ययन किया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा।

यह एक प्रसन्नता की बात है कि अब केन्द्रीय सरकार के लिये इंजीनियरिंग कालेजों और अन्य तकनीकी संस्थाओं में सुविधाओं में सुधार करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय क्षेत्र से सहायता देना संभव हो गया है। आशा है इससे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का काम और आसान हो जाएगा।

जहां तक समाज कल्याण का संबंध है, राष्ट्रीय बाल क्रीड़ा की स्थापना की गई है और इसने एक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना पहले ही तैयार कर ली है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ शहरी ब्लाकों और आदिवासी ब्लाकों सहित 33 ब्लाकों में कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। राज्य क्षेत्र में पोषाहार कार्यक्रम बराबर चल रहा है और निराश्रित बच्चों के कल्याण संबन्धी योजना को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुदान की शर्तों में सुधार किया गया है और श्रमकार महिलाओं के बच्चों के लिये शिशु गृहों की संख्या में काफी वृद्धि कर दी गई है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या इस वर्ष विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय शिशु वर्ष मनाया जा रहा है और क्या हमने इस उपलक्ष में शिशु कल्याण के प्रति लोकमत बनाने के लिये शिक्षा गोष्ठियां संगठित करने के लिये कोई प्रबन्ध किये हैं और क्या इस संगठन में कोई योजना बनाई गई है?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जी, हां। यह सब विचाराधीन है। शिशु कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की क्रियान्विति की देखभाल करने के लिये एक ब्यूरो खोला जा रहा है।

जहां तक भारतीय भाषाओं के विकास का प्रश्न है, हमारा विचार है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भाषाओं की समृद्धि के प्रश्न को बहुत ही उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसीलिये राज्य ग्रन्थ अकादमियों को सहायता देने का कार्य बराबर चलता रहेगा। जैसा कि सभा को विदित है, पहले प्रत्येक राज्य को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता देने का कार्यक्रम था जो कि केवल चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पूरा हो जाना था। परन्तु अब इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया है जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकें लिखने का कार्य होता रहे क्योंकि तभी प्रादेशिक भाषाएं विश्वविद्यालय और कालेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम बन सकेंगी।

एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास को सब से अधिक महत्व दिया गया है। हिन्दी को न केवल एक सम्पर्क भाषा के रूप में ही परन्तु एक साहित्यक भाषा के रूप में भी विकास करना होगा जिससे इस के माध्यम से भारत की मिश्रित संस्कृति की झांकी पेश की जा सके।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : त्रि-भाषाई सूत्र को अपनाने के बारे में क्या स्थिति है?

प्रो० नूरुल हसन मैं तो सदा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प की ओर ध्यान दिलाता रहा हूं। इस संकल्प में त्रि-भाषाई सूत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और सरकार इस सूत्र का अब भी समर्थन करती है।

गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में शतप्रतिशत आधार पर हिन्दी अध्यापक नियुक्त करने की नीति अब भी जारी है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य विज्ञानों के संबंध में छोटी-छोटी पुस्तकें निकालनी आरंभ कर दी हैं। विद्यार्थियों के उपयोग के लिये आधुनिक ज्ञान पर भी एक पुस्तिका निकाली गई है। इसके अलावा द्विभाषी शब्दकोष भी तैयार किये जा रहे हैं। आशा है इससे हिन्दी का अधिक तेजी से विकास होगा।

मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं संबंधी केन्द्रीय संस्थान ने जनजाति भाषाओं के विकास की ओर काफी ध्यान दिया है। जहां तक विभिन्न भाषाओं को उन की मूल लिपि के अतिरिक्त लिखने के लिए देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने की बात का संबन्ध है इसको बढ़ावा देना हमारा कर्त्तव्य है और हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा मिले।

संस्कृत भाषा का विकास करना भी हमारा प्रमुख कर्त्तव्य है और इसीलिये हम इस के लिये धन की व्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे हैं। हमने इस प्रयोजन के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किये गये आवंटन को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में 275 लाख रुपये, चौथी पंचवर्षीय योजना में 275 लाख रुपये और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 520 लाख रुपये कर दिया। हम पांच विद्यापीठों तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता दे रहे हैं। मंत्रालय ने आदर्श संस्कृत पाठशालाएं खोलने की एक नई योजना शुरू की है।

इसी प्रकार उर्दू, फारसी और अरबी भाषा का विकास करने के लिये भी योजनाएं आरंभ की गई हैं। अरबी और फारसी तो हमारी राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण भाग हैं और उर्दू भाषा हालांकि इसका प्रयोग तो काफी लोग करते हैं फिर भी जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह किसी प्रमुख राज्य की प्रादेशिक भाषा नहीं बन पायी है। अतः केन्द्र इन भाषाओं का विकास करने में पूरी-पूरी मदद कर रहा है।

याद रहे कि समाज कल्याण की किसी भी योजना को तब तक सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके लिये सभी प्रकार के लोगों का पूरा-पूरा सहयोग न मिले। अतः प्रार्थना है कि लोग इसमें पूरा-पूरा सहयोग दें और हम उनकी इस संबन्ध में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं।

श्री बी० वी० नायक: क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास के बारे में विद्यमान प्रादेशिक विषमताओं और असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की संस्कृति का विकास करने के लिये एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा?

प्रो० एस० नूरुल हसन : पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सरकार शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर रही है और क्या सरकार ने इस निमित्त संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की राय ली है?

प्रो० नूरुल हसनः : इसका उत्तर केवल प्रधान मंत्री ही दे सकते हैं।

श्री कार्तिक उरांव: शिलांग विश्वविद्यालय स्थापित करते समय हमें बताया गया था कि आदिवासी लोगों की मदद के लिये अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस पंचवर्षीय योजना काल में विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : (मध्य बम्बई) : देश में कई विद्यापीठ और ऐसे गैर-सरकारी संस्थान खुले हुए हैं जो विश्वविद्यालय कहलाते हैं और कुछ व्यक्ति इन्हें अपनी निजी सम्पत्ति समझते हैं और मनमानी करते हैं। क्या सरकार ऐसे संस्थानों के लिये कोई समान पद्धति लागू करना चाहती है क्योंकि उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जहां तक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का संबंध है, वह संसद की विधायी शक्ति के अन्तर्गत नहीं आती है।

सभापति द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखें गए तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut motions were put and negatived

सभापति द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग की निम्नोक्त मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of the Ministry of Education and Social Welfare and the Departmont of Culture were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व (रुपये)	राशि पूंजी (रुपये)
26	शिक्षा विभाग	1,19,51,000	—
27	शिक्षा	135,80,94,000	38,93,000
28	समाज कल्याण विभाग	11,31,90,000	—
101	संस्कृति विभाग .	6,27,17,000	—
102	पुरातत्व	5,04,24,000	—

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 अप्रैल, 1976/8 वैशाख, 1898 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the April 28, 1976/ Vaisakha 8, 1898 (Saka).

MG IP RRND—IV (D)—8 LSS/76—9-9-76—200